11

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी
स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड

ग्यारहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

सीपीएंडएनजी सं.

ग्यारहवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड

25.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।
25.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

खुदरा सीएनजी बिक्री केन्द्र	65
पीएनजी के तहत कवरेज	67
पीएनजी और सीएनजी का मूल्य निर्धारण	68
शिकायत निवारण तंत्र	74
भाग - दो	
समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें	75
परिशिष्ट	
परिशिष्ट एक	समिति (2019-20) की दिनांक 07.07.2020 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
परिशिष्ट दो	समिति (2020-21) की दिनांक 23.12.2020 को हुई पाँचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
परिशिष्ट तीन	समिति (2021-22) की दिनांक 07.02.2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
अनुबंध	
अनुबंध I	स्रोत-वार आपूर्ति विवरण 91
अनुबंध II	एलएनजी आयात का विवरण 92
अनुबंध III	देश में प्राकृतिक गैस की खपत का विवरण 93
अनुबंध IV	राज्य-वार पीएनजी और सीएनजी गैस खपत 94
अनुबंध V	गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निगरानी की जा रही 96
अनुबंध VI	गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निगरानी नहीं की जा रही 100
अनुबंध VII	लंबित मामलों को दबाने वाली सूची 102
अनुबंध VIII	सीजीडी संस्थाओं से संबंधित मामलों की सूची 108
अनुबंध IX	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ढांचे द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्रों की सूची 113
अनुबंध X	पीएनजी घरेलू कनेक्शनों का जीए-वार विवरण 122
अनुबंध XI	प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले 130

विषय-सूची

समिति (2021-22) की संरचना.....	
प्राक्कथन	
प्रतिवेदन	
भाग-एक	
अध्याय - एक (राष्ट्रीय गैस ग्रिड)	
प्रस्तावना	1
वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य	2
भारतीय ऊर्जा खपत के रुझान	2
मांग-आपूर्ति के मुद्दे	7
क्षेत्रीय आवंटन और गैस का उपभोग	9
राष्ट्रीय गैस ग्रिड के अंतर्गत पाइपलाइन परियोजनाएं	14
राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए धनराशि	17
विनियामक ढांचा	19
पाइप लाइन परियोजनाओं की स्थिति	22
पाइपलाइन परियोजनाओं में चुनौतियां	27
एनजीजी के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला	30
पाइपलाइनों का क्षमता उपयोग	33
गैस आधारित विद्युत संयंत्र	36
कोविड-19 का प्रभाव	38
अध्याय - दो (पीएनजीआरबी)	
पीएनजीआरबी की संरचना	40
पीएनजीआरबी का अधिदेश/कार्य	43
पीएनजीआरबी के धन/राजस्व के स्रोत	46
सीजीडी प्रगति के विनियामक प्रावधान	47
गैस एक्सचेंज	49
पीएनजीआरबी और पाइपलाइन परियोजनाएं	50
मुक़दमेबाज़ी	54
सुरक्षा संबंधी मुद्दे	56
बिडिंग राउंड	59
अध्याय - तीन (सीजीडी नेटवर्क)	
नगर गैस वितरण नेटवर्क की सुरक्षा	61
सीजीडी नेटवर्क का विस्तार	61
सीजीडी के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र	63

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

क्र. सं. सदस्यों के नाम

लोक सभा

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. डॉ. रमेश बिन्द
4. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
5. श्री गिरीश चन्द्र
6. श्री तपन कुमार गोगोई
7. श्री नारणभाई काछड़िया
8. श्री संतोष कुमार
9. श्री रोड़मल नागर
10. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
11. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
12. श्री एम.के. राघवन
13. श्री चन्द्र शेखर साहू
14. श्री दिलीप शइकीया
15. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
16. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
17. श्री लल्लू सिंह
18. श्री विनोद कुमार सोनकर
19. श्री अजय टम्टा
20. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
21. श्री राजन बाबूराव विचारे

राज्य सभा

22. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
23. श्री रिपुन बोरा
24. श्रीमती कान्ता कर्दम
25. श्री ओम प्रकाश माथुर
26. श्री रामभाई हरजीभाई मोकारिया
27. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
28. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
29. डॉ. वी. शिवदासन
30. श्री ए. विजयकुमार
31. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी - अपर सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
3. श्री दीपक कुमार - सहायक कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर **"पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड"** विषयक यह **ग्यारहवां प्रतिवेदन** प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने दिनांक 07.07.2020 और 23.12.2020 को हुई अपनी बैठकों में क्रमश: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/पीएसयू तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिनांक 07.02.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

4. समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/पीएसयू तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपने विचार रखने और विषय की जांच के संबंध में वांछित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद किया।

5. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है ।

नई दिल्ली
24 मार्च, 2022
3 चैत्र, 1944 (शक)

रमेश बिधूडी
सभापति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

अध्याय –एक

राष्ट्रीय गैस ग्रिड

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था सही विकास पथ पर है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश में बढ़ती आबादी से प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा की खपत में वृद्धि होने जा रही है। भारत न केवल चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, बल्कि अपने साथियों के बीच सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है।

उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों में से, प्राकृतिक गैस पर्यावरण अनुकूल एक स्वच्छ ईंधन होने के नाते, पर्यावरण चुनौतियों के समाधान के साथ-साथ सतत रूप में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है।तद्नुसार, भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को लगभग 6.2% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कम से कम 15% करने के लिए देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया है।

पिछले 33 वर्षों में, देश में गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विकास गैस स्रोतों (घरेलू + आयातित एलएनजी) और प्रमुख गैस खपत वाले क्षेत्रों जैसे उर्वरक, बिजली, एलपीजी उत्पादन, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, स्टील की आगामी परियोजनाओं, अन्य औद्योगिक इकाइयों और सिटी गैस वितरण (सी जी डी) क्षेत्र के साथ तालमेल से किया जा रहा है। । वर्तमान में, देश में लगभग 20,227 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क प्रचालन में है।

गैस पाइपलाइन अवसंरचना गैस स्रोतों को गैस उपभोक्ता बाजारों से जोड़कर प्राकृतिक गैस के परिवहन का एक किफायती और सुरक्षित साधन है। गैस पाइपलाइन व्यावहारिक रूप से गैस बाजार की संरचना और उसके विकास को निर्धारित करती है। इसलिए, देश के सभी भागों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक परस्पर जुड़ी हुई राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार देश भर में गैस अवसंरचना विकसित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसने गैस ग्रिड बनाने के लिए संस्थाओं को कई पाइपलाइन खंड विकसित करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर 2007 को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत स्वतंत्र नियामक [अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी)] की भी स्थापना की है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीएनजीआरबी को नई गैस अवसंरचना विकसित करने के लिए प्राधिकार देने का भी अधिकार था।

सरकार ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए लगभग 17,000 कि.मी. अतिरिक्त पाइपलाइनों के विकास द्वारा देश भर में एक गतिशील गैस बाजार विकसित करके प्राकृतिक गैस

को स्वच्छ ईंधन के रूप में उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है। इन पाइपलाइनों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/पीएनजीआरबी द्वारा पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है और अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार इन पाइपलाइनों पर कार्य,निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विकास भारत में सभी प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ेगा। यह सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और संभावित रूप से समान आर्थिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने में मदद करेगा।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

1.2 विश्व स्तर पर कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

> "बीपी वर्ल्ड एनर्जी स्टैट-2020 के अनुसार, विश्व में कुल बुनियादी खपत 13946 एमटीओई (मिलियन टन तेल समतुल्य) है जिसमें से प्राकृतिक गैस की खपत 3378 एमटीओई है। इस प्रकार, कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 24.2% है।

विश्व बुनियादी ऊर्जा खपत और ऊर्जा बास्केट में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी का दीर्घकालिक रुझान नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
बुनियादी ऊर्जा खपत-विश्व (एमटीओई)	12086	12380	12539	12776	12880	12973	13151	13385	13763	13946
प्राकृतिक गैस की खपत- विश्व (एमटीओई)	2718	2784	2856	2903	2923	2991	3060	3146	3312	3378
गैस की हिस्सेदारी	22%	22%	23%	23%	23%	23%	23%	24%	24%	24%

भारतीय ऊर्जा खपत के रुझान

1.3 वैश्विक औसत की तुलना में देश की कुल ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस खपत में भारत की हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी:

"बीपी वर्ल्ड एनर्जी स्टैट -2020 के अनुसार24.2%वैश्विक औसत की तुलना में भारतीय बुनियादी ऊर्जा खपत बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.3%है।"

1.4 अगले दशक में गैस की खपत को 15% तक बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

" सरकार की मंशा वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 15% करने की है। सरकार ने प्राकृतिक गैस को जनसामान्य का ईंधन बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार किए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

अपस्ट्रीम क्षेत्र –

- एनईएलपी/पीएससी के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी)/ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) का आरंभ।
- तेल और गैस के लिए संवर्धित पुनर्प्राप्ति प्रणालियों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत ढाँचा: मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार और घरेलू हाइड्रोकार्बन का समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र।
- राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) की गैर-मुद्रीकृत खोजों के त्वरित मुद्रीकरण के लिए अन्वेषित लघु क्षेत्र डीएसएफ) नीति का आरंभ।
- गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम: 48,243 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) का डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और व्याख्या (एपीआई) करने के लिए 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव।
- घरेलू प्राकृतिक गैस बाजार मूल्य को अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जोड़ने के लिए नई घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश, 2014 का आरंभ।
- वर्ष 2016 में, वैकल्पिक ईंधन के उतराई के आधार पर सीलिंग मूल्य के अध्यधीन, उच्च दाब-उच्च ताप (एचपीएचटी), डीपवाटर और अल्ट्रा डीपवाटर में खोजों से उत्पादित गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता।
- वर्ष 2017 में कोल सीम्स (सीबीएम) से प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता।

वर्ष 2014 से सरकार ने नीतिगत हस्तक्षेप और मौद्रिक समर्थन के माध्यम से मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के निमित्त देश के नागरिकों के लिए प्राकृतिक गैस कवरेज को इष्टतम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

मिडस्ट्रीम क्षेत्र :

- भारत सरकार ने गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए अपेक्षित 17000 किलोमीटर की अतिरिक्त गैस पाइपलाइन विकसित करने और विभिन्न पाइपलाइन खंडों को चिह्नित किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पाइपलाइनों को अधिकृत किया है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- प्राकृतिक गैस ग्रिड का निर्माण और जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) - ऊर्जा गंगा के नाम से लोकप्रिय परियोजना के निर्माण के लिए

40% पूंजीगत सब्सिडी। पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए जेएचबीडीपीएल का गुवाहाटी (बीजीपीएल) तक विस्तार।

- लगभग 1650 किलोमीटर के पूर्वोत्तर भारत गैस ग्रिड को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए लगभग 9265 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी का गठन। पूर्वोत्तर भारत गैस ग्रिड के लिए 60% (5559 करोड़ रुपए) का पूंजीगत अनुदान स्वीकृत।

डाउनस्ट्रीम क्षेत्र :

- 86 जीएज कवर करने वाली 9वीं दौर की सीजीडी बोली और 50 जीएज कवर करने वाली 10वीं सीजीडी बोली को वर्ष 2018 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 10वें सीजीडी दौर के अंत के साथ, सीजीडी कवरेज में भारत की 53% क्षेत्र में फैली लगभग 70% आबादी समाविष्ट होगी।
- अखिल भारतीय सीजीडी कवरेज का विस्तार मई, 2014 में 66 जिलों (आंशिक/पूर्णकालिक) में फैले 34 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) से बढ़कर फरवरी, 2020 में 407 जिलों में फैले 232 जीएज तक हो गई है।
- सीजीडी बोली का 11वां दौर सार्वजनिक परामर्श के अधीन है।
- भारत सरकार अपने संयुक्त उद्यम/सहायक सीजीडी कंपनियों के साथ तेल और गैस कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिन्होंने वर्ष 2024 तक (अक्टूबर, 2019 के स्तर से) 1 करोड़ अतिरिक्त घरों तक पीएनजी नेटवर्क कवरेज का विस्तार करने की योजना बनाई है।
- एमओपीएनजी ने दिनांक 14.11.2013, दिनांक 03.02.2014 और दिनांक 20.08.2014 के दिशा-निर्देशों द्वारा पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) प्रयोजनार्थ शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों के गैस आवंटन/आपूर्ति में कोई भी कटौती न करना सुनिश्चित किया है।
- राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली सीजीडी नीति का मसौदा।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा दिया गया है।
- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने अपने आवासीय क्षेत्रों/यूनिट लाइनों में पीएनजी के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को अपने-अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी संबंधी प्रावधान हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- आवासन और शहरी मामलें मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी को सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी संबंधी प्रावधान हेतु निर्देश दिया है।
- पीएसयू ओएमसीज और गेल द्वारा संपीडित बायो गैस उत्पादकों के लिए नियत मूल्य सुनिश्चित करने के निमित्त बायो-सीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए सतत योजना।"

1.5 देश में गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय की कार्य योजना के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"मौजूदा नीति के अनुसार सरकार कटौती रहित श्रेणी के तहत आयातित गैस की तुलना में किफायती घरेलू गैस की आपूर्ति करके सीजीडी नेटवर्कों की सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की समस्त ज़रूरत पूरी कर रही है।

इसके अलावा सरकार ने देश में तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय/पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) हाइड्रोकार्बन खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति, 2014

(ii) खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

(iii) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

(iv) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाने के लिए नीति, 2016 और 2017

(v) कोल बैड मिथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लिए नीति, 2017

(vi) नेशनल डाटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017

(vii) तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन

(viii) हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन

(ix) एनईएलपी पूर्व और एनईएलपी ब्लॉकों में उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

(x) तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए नीति, 2018

(xi) मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, कोल बेड मिथेन संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन हेतु नीतिगत ढांचा, 2018

(xii) उच्च दाब-उच्च तापक्रम (एचपी-एचटी) रिजर्वायर्स तथा गहरे समुद्री और अत्यधिक गहरे समुद्री क्षेत्रों (सीमा सहित) से प्राकृतिक गैस के उत्पादन, सीबीएम ब्लॉकों, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) तथा खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति के तहत प्रदान किए गए ब्लॉकों से उत्पादित गैस, दिनांक 01 जुलाई, 2018 तक अथवा उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) से उत्पादित वाणिज्यिक गैस तथा ऐसी नई गैस खोजों के संबंध में मूल्य निर्धारण साथ साथ विपणन की स्वतंत्रता प्रदान करना, जिनकी क्षेत्र विकास योजना का अनुमोदन फरवरी, 2019 के बाद किया गया है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) क्षेत्रों से अतिरिक्त गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामान्य कारोबारी परिदृश्य से अधिक उत्पादन किए जाने पर लागू रायल्टी में 10% की कमी करने की भी मंजूरी दी गई है।

(xiii) इसके अलावा, सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बेसिनों के गैर-अन्वेषित/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया

है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्य कार्यक्रम को और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और संविदागत शर्तों को सरल बनाना, सरकार के साथ बगैर किसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी II और III के तलछटीय बेसिनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली लगाना है। इसके अलावा, किए जाने वाले सुधारों में विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आसान राजकोषीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना की गई है। इस नीति में नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की पद्धतियों हेतु सहयोग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को काम करने की और ज्यादा आजादी देने की भी व्यवस्था की गई है। अनुमोदन की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना तथा इलैक्ट्रॉनिक एकल खिड़की व्यवस्था के साथ कारोबार में आसानी को बढावा देना भी नीतिगत सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

(xiv) नवंबर 2018 में पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के लिए बोली 10वां दौर आयोजित किया। बोली के पूरा होने के बाद देश के 53% क्षेत्र और 71% आबादी को कवर करते हुए 407 जिलों (27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) में कुल 232 जीएज की सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच होगी।

(xv) घरेलू गैस का आबंटन जहाँ भी लागू हो, समय-समय पर तैयार की गई विभिन्न गैस उपयोग संबंधी नीतियों के तहत किया जाता है। सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा शुरू करने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए गैस ट्रेडिंग हब (हब्स)/एक्सचेंज (एक्सचेंजेज) के माध्यम से मुक्त गैस बाजार बनाना ज़रूरी है। इस संबंध में संकल्पना के तौर पर इस पर सहमति हो गई है कि गैस ट्रेडिंग हब (हब्स)/एक्सचेंज (एक्सचेंजेज) के माध्यम से घरेलू गैस के व्यापार की अनुमति दी जाए और कॉमन कैरियर/कॉन्ट्रैक्ट कैरियर सिद्धांत पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित करने और उसका प्रचालन करने की एकल जिम्मेदारी के साथ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर (टीएसओ) स्थापित करके एक मुक्त गैस बाजार बनाया जाए।

(xvi) पीएनजीआरबी ने अब तक देश में लगभग 32,600 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को प्राधिकृत किया है। इन पाइपलाइनों में से लगभग 20,227 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का प्रचालन किया जा रहा है और लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2024-25 तक लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को देश के मौजूदा पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में शामिल किए जाने की उम्मीद है। मौजूदा और भविष्य में बिछाई जाने वाली पाइपलाइनें देश में बुनियादी राष्ट्रीय गैस ग्रिड का एक हिस्सा होंगी।"

मांग-आपूर्ति के मुद्दे

1.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान मांग की तुलना में देश में प्रत्येक स्रोत के हिस्से को दर्शाते हुए आयात सहित विभिन्न स्रोतों से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर लिखित उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"पिछले तीन वर्षों के लिए स्रोत-वार आपूर्ति विवरण (पीपीएसी के अनुसार) **अनुबंध-एक** के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (पीपीएसी के अनुसार) एलएनजी आयात का विवरण **अनुबंध-दो** में संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस की खपत का विवरण (पीपीएसी के अनुसार) **अनुबंध-तीन** में संलग्न है।"

1.7 प्राकृतिक गैस आयात के लिए अपनाई जाने वाली कार्य विधियों और इस संबंध में वैश्विक कार्य पद्धतियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> "गेल अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर प्राकृतिक गैस का आयात करता है। इसके अलावा, दिशानिर्देश निम्नलिखित प्रकारों के आधार पर सोर्सिंग पद्धति का वर्णन करते हैं: -

- **स्पॉट ट्रांजैक्शन** - एक कार्गो की सोर्सिंग, जिसे 12 महीने की अवधि तक डिलीवर किया जाएगा।
- **स्ट्रिप ट्रांजैक्शन** - एक ही मामले में 2 या अधिक कार्गो की सोर्सिंग, जो कि 12 महीने की अवधि तक डिलीवर किया जाएगा।
- **लघु अवधि लेनदेन** - एक ही मामले में मात्रा की सोर्सिंग, जहां कार्गो 12 महीने से अधिक की अवधि में और पहले कार्गो की डिलीवरी से शुरू करके 36 महीने तक डिलीवर किया जाएगा, भले ही कार्गो की संख्या कुछ भी हो।
- **मध्यम अवधि के लेन-देन** - एक ही मामले में मात्रा की सोर्सिंग, जहां कार्गो 36 महीने से अधिक की अवधि में और पहले कार्गो की डिलीवरी से शुरू करके 60 महीने तक डिलीवर किया जाएगा, भले ही कार्गो की संख्या कुछ भी हो।
- **लंबी अवधि के लेन-देन** - एक ही मामले में मात्रा की सोर्सिंग, जहां कार्गो पहले कार्गो की डिलीवरी से शुरू करके 60 महीने से अधिक की अवधि में डिलीवर किया जाएगा।

इसके अलावा, उपरोक्त वर्गीकरण वर्षों में एकत्रित अनुभव के आधार पर किए गए हैं।

लेन-देन की प्रकृति अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंधों में गंतव्य लचीलापन होता है (यानी, खरीदार के पास किसी भी वैश्विक गंतव्य पर कार्गो पहुंचाने का विकल्प होता है) जबकि कतर/ऑस्ट्रेलियाई अनुबंधों में आमतौर पर डिलीवरी के निश्चित गंतव्य होते हैं।

यद्यपि, अधिकांश कंपनियां सोर्सिंग प्रोसेस प्रकृति में गोपनीय हैं, उन्हें मात्रा, कार्यकाल और संगठनात्मक वरीयता के आधार पर व्यापक रूप से पूछताछ और द्विपक्षीय चर्चा में विभाजित किया जा सकता है।"

1.8 समिति ने आगे देश में किए गए प्राकृतिक गैस के आयात के तरीके को जानने की इच्छा जताई, जिस पर पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"दोनों प्रकार की प्रणालियाँ हैं। हम इसे ऐसे कहते हैं, जैसे लंबी अवधि के अनुबंध होते हैं जहां मूल्यएक बेंचमार्क आधार पर तय किए जाते हैं। अगर कच्चे तेल का मूल्य50 डॉलर है, तो एलएनजी का मूल्य इसका 12 या 13 प्रतिशत होगा। तो, ये दीर्घकालिक अनुबंध हैं। फिर, एलएनजी का स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट बदलता रहता है। वर्तमान में यह 6-7 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के दायरे में है लेकिन एक स्तर पर यह घटकर दो डॉलर भी हो गया था । तो, ये स्पॉट मार्केट हैं। लेकिन भारत के मामले में, प्रमुख अनुबंध लंबी अवधि के अनुबंध हैं और अल्पकालिक अनुबंध कम हैं।"

1.9 समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि देश में एलएनजी का आयात कैसे किया जा रहा है और विभिन्न नियामक मानदंड क्या हैं, जिसके संबंध में पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

> "हमारे पास कोई अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन नहीं है। इसलिए, हम जो भी गैस आयात कर रहे हैं, वह एलएनजी, तरल प्राकृतिक गैस के रूप में आ रही है। यह एलएनजी केवल वही लोग आयात कर सकते हैं जिनके पास भारत में एलएनजी टर्मिनल हैं। बड़ी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी है जो सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसलिए, 50 प्रतिशत सार्वजनिक उपक्रमों के पास है और शेष 50 प्रतिशत जनता के पास है। इसलिए, यह एक सार्वजनिक कंपनी और एक निजी कंपनी दोनों है। इसलिए, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर गैस आयात किया जाता है। फिर, गेल, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल सहित हमारी सभी तेल कंपनियां इसका आयात कर रही हैं। कुछ एलएनजी का आयात जीएसपीएल द्वारा भी किया जाता है जो गुजरात राज्य की कंपनी है और कुछ आयात एच-एनर्जी जैसी निजी कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। यह उपयोग पर निर्भर करता है। यदि यह एक बड़ा उपभोक्ता है, तो वे सीधे विदेशी स्रोतों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात भी कर सकते हैं, और तब वे भारत में द्रवीकरण सुविधाओं का उपयोग करते हैं। वे पाइपलाइन सुविधा का उपयोग करते हैं और गैस को अपने संयंत्र तक ले जाते हैं। इसलिए, यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है"।

1.10 भविष्य में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए गैस की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

> "... आज की तारीख में भी जो देश का गैस उत्पादन है, वह 50 पर्सेंट घरेलू गैस उत्पादन है और 50 पर्सेंट के करीब हम आयात करते हैं। धीरे-धीरे आयात वाला प्रतिशत बढ़ ही रहा है। पिछले साल शायद 51 प्रतिशत के करीब था। लेकिन दुनिया में गैस की कमी नहीं है। अगले तीन सौ सालों तक का गैस का रिज़र्व है। इसलिए ऐसी कुछ परेशानी नहीं है। अगर देश में गैस की खपत बढ़ती है तो हम उतनी गैस इंपोर्ट कर लेंगे"।

1.11 समिति ने गैस की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> "घरेलू गैस की उपलब्धता में गिरावट के कारण मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए, गेल और अन्य आयातकों (जीएसपीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल आदि) ने पर्याप्त मात्रा में आयातित एलएनजी (आरएलएनजी) की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया है। तदनुसार, देश में गैस की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। तथापि, आयातित एलएनजी (आरएलएनजी) अक्सर घरेलू गैस की तुलना में रीगैसिफिकेशन और अन्य आयात संबंधी घटकों के कारण महंगा होता है और क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों पर आधारित होता है।
>
> इसके अलावा, देश में स्वदेशी प्राकृतिक गैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न नीतियां लाईं जैसे:
>
> • खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (डीएसएफ), 2015 में
> • 2017 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)
> • 2016 में गहरे पानी, अत्यधिक गहरे और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित होने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन
> • 2017 में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के प्रारंभिक मुद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचा
> • 2020 में प्राकृतिक गैस विपणन सुधार।"

क्षेत्रीय आवंटन और गैस का उपभोग

एक. क्षेत्रीय आवंटन

1.12 विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों की क्षेत्रीय मांग और प्राकृतिक गैस के आवंटन तथा गैस के स्रोत के संबंध में एक टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

	वित्त वर्ष 2020-21		
क्षेत्र	घरेलू	आरएलएनजी	योग
उर्वरक	17.96	30.76	48.72
विद्युत	19.92	9.76	29.68
सीजीडी	13.08	12.21	25.29
अन्य	16.12	33.93	50.05
योग	67.08	86.66	153.74

स्रोत: प्राकृतिक गैस के संबंध में पीपीएसी की मासिक रिपोर्ट, अप्रैल, 2021 **(इकाई उपलब्ध नहीं)**

घरेलू गैस: विभिन्न अंतिम प्रयोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली घरेलू गैस में मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

क. एपीएम गैस

• पूर्ववर्ती गैस लिंकेज समिति (जीएलसी) द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न ग्राहकों को एपीएम गैस आवंटित की गई थी। जीएलसी का गठन 22जुलाई 1991को सचिव (पी एंड एनजी) की अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी अन्य बातों के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं द्वारा प्राकृतिक गैस के आवंटन के अनुरोधों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी थी। जीएलसी ने सरकार द्वारा ओएनजीसी और ओआईएल को आवंटित नामांकन क्षेत्रों से लगभग 120एमएमएससीएमडी गैस का कुल आवंटन किया।

• तत्पश्चात, एमओपीएंडएनजी ने दिनांक 20.06.2005के आदेश द्वारा नई गैस आवंटन और मूल्य निर्धारण नीति अधिसूचित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई कि उपलब्ध एपीएम गैस की आपूर्ति विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों को उनके मौजूदा आवंटन के साथ-साथ ऐसे न्यायालय आदेशों के तहत प्रतिबद्ध विशिष्ट अंतिम प्रयोक्ताओं/ऐसे छोटे उपभोक्ता जिनका आवंटन एपीएम मूल्य पर 0.05एमएमएससीएमडी तक है, के लिए की जाएगी। । दिनांक 20.06.2005की उपरोक्त नीति की पृष्ठभूमि में और चूंकि आवंटन के लिए आगे कोई आवंटन योग्य प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं थी, इसे ध्यान में रखते हुएजीएलसी को दिनांक 09.11.2005के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2020-21के दौरान, गेल द्वारा लगभग 23.13एमएमएससीएमडी एपीएम गैस की आपूर्ति की गई थी।

ख. गैर-एपीएम / एमडीपी गैस

एमओपी एंड एनजी ने दिनांक 28.06.2010के आदेश द्वारा राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) द्वारा उत्पादित गैर-एपीएम गैस के मूल्य निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग पर दिशानिर्देश जारी किए। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एनईएलपी गैस के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय का हवाला देते हुए, एमओपी एंड एनजी ने

एनओसी के गैर-एपीएम गैस का उत्पादन करने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में संपर्क करने का निर्देश दिया:-

क) गैस आधारित उर्वरक संयंत्र
ख) एलपीजी संयंत्र
ग) ग्रिड को आपूर्ति करने वाले विद्युत संयंत्र
घ) घरेलू और परिवहन क्षेत्रों के लिए सिटी गैस वितरण प्रणाली
ड.) फीडस्टॉक प्रयोजनों के लिए इस्पात, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र
च) औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए सिटी गैस वितरण प्रणाली
छ) कैप्टिव और मर्चेंट पावर, ईंधन उद्देश्यों के फीडस्टॉक के लिए कोई अन्य ग्राहक।

एमओपी एंड एनजी ने दिनांक 14.11.2013,03.02.2014और 20.08.2014के दिशानिर्देशों के द्वारा पीएनजी (घरेलू) और सीएनजी (परिवहन) उद्देश्य के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को गैस आवंटन/आपूर्ति को नो कट श्रेणी के तहत रखा। सीजीडी क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए एमओपी एंड एनजी के दिशानिर्देशों को देखते हुए, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और बिजली क्षेत्र को आपूर्ति की जा रही घरेलू गैस (एनईएलपी गैस को छोड़कर) पर कटौती लागू की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21के दौरान, गेल द्वारा लगभग 18एमएमएससीएमडी गैर-एपीएम गैस की आपूर्ति की गई।

ग. एनईएलपी-पूर्व/एनईएलपी पीएससीज के तहत खरीदी गई गैस

वित्त वर्ष 2020-21के दौरान, गेल द्वारा नामित ग्राहकों को लगभग 0.72एमएमएससीएमडी राव्वा जेवी गैस की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, गेल ग्राहकों को हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड (एचओईसी) के पीवाई-1क्षेत्रों से लगभग 0.04 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति भी कर रहा है।

एमओपीएंडएनजी ने एनईएलपी प्राथमिकता आदेश के अनुरूप कावेरी बेसिन में मदनम के एनईएलपी क्षेत्रों और दक्षिण गुजरात में उबर और आलियाबेट क्षेत्रों से भी गेल को गैस आवंटित की है।

घ. गहरे समुद्री, उच्च तापमान उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से खरीदी गई गैस:

एमओपीएंडएनजी के दिनांक 21.03.2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, गहरे समुद्री, अत्यधिक गहरे समुद्री और उच्च दबाव- उच्च तापमान (एचटीएचपी) क्षेत्रों से घरेलू गैस के विकासकर्ताओं को उत्पादन योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा छमाही आधार पर घोषित गैस के अधिकतम मूल्य की शर्त पर विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी दी गई है। हाल के वर्षों में आरआईएल-बीपी और ओएनजीसी, केजी बेसिन में अपने एचपी-एचटी क्षेत्रों से गैस बेचने के लिए खुली निविदाएं लेकर आई हैं। गैस को

गेल सहित देश भर के विभिन्न खरीदारों द्वारा निविदाओं में भागीदारी के माध्यम से और विभिन्न मूल्य स्तरों पर खरीदा गया था।

ड. कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉकों से खरीदी गई घरेलू गैस

सीबीएम गैस के शीघ्र मुद्रीकरण पर एमओपी एंड एनजी के दिनांक 11.04.2017के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीबीएम ब्लॉकों के ठेकेदारों को निविदाओं के माध्यम से खोजे गए मूल्य पर घरेलू बाजार में सीबीएम गैस बेचने के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता दी गई है।

इसके अलावा, एपीएम और एनएपीएम क्षेत्रों से घरेलू गैस उत्पादन में गिरावट के कारण कमी को पूरा करने के लिए, विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के माध्यम से एलएनजी का आयात किया जाता है। निजी और सरकारी दोनों कंपनियां इस कारोबार में हैं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से एलएनजी का आयात कर रही हैं। अंतिम प्रयोक्ता करार के अनुसार अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से आरएलएनजी को अनुबंधित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

1.13 विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटित प्राकृतिक गैस के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"क्षेत्र के पुराने होने के कारण राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात ओएनजीसी, ओआईएल के मौजूदा गैस उत्पादक क्षेत्रों से घरेलू गैस उत्पादन में पिछले कुछ समय से कमी हो रही है। तदनुसार, समय-समय पर जारी गैस उपयोग नीति के अनुसार, उपलब्धता के मुताबिक नामांकन क्षेत्रों से आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। गेल को सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की 110% तक की आवश्यकता पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस मंत्रालय ने ओएनजीसी क्षेत्र से अन्य कंपनियों और गेल को तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के उपभोक्ताओं [अर्थात सीजीडी, उर्वरक (यूरिया), एलपीजी, ग्रिड से जुड़े विद्युत क्षेत्र आदि] को इसकी आपूर्ति करने के लिए गैस आबंटित की है, ये आबंटन निम्नानुसार है:

नामांकन क्षेत्र				
क्र.सं.	तिथि	क्षेत्र का नाम	मात्रा (एमएमएससीएमडी)	ग्राहक

1.	15.03.2016	रामनद	0.9	एसपीआईसी
2.	02.08.2017	दमन क्षेत्र, पष्चिमी अपतट	क्षेत्र की प्रोफाइल के अनुसार, (अधिकतम 9.7)	गेल
एनईएलपी क्षेत्र				
1.	08.02.2017	मदानम	0.66	गेल
2.	26.03.2018	नागायलंका, केजी बेसिन	0.09	एमईआईएल, आरएके सिरेमिक्स एंड सेंटिनी सेनिटरीवेयर्स (प्रा.) लि.
3.	26.03.2018	आलिया बेट, अंकलेश्वर	0.35	गेल
4.	26.03.2018	उबेर, अंकलेश्वर	0.04	गेल
अन्य				
1	31.05.2019	पन्ना-मुक्ता	क्षेत्र की प्रोफाइल के अनुसार, (अधिकतम 3.36)	गेल

1.14 यह पूछे जाने पर कि इस संबंध में कौन सी एजेंसी दिशानिर्देश तैयार करती है, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> "जीएलसी, ईजीओएम और अन्य एमओपीएनजी आवंटनों के आधार पर, गेल देशभर में बिजली, उर्वरक, सीजीडी, एलपीजी, पेट्रोरसायन, रिफाइनरी, सिरेमिक, चाय-बागान, ग्लास उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को घरेलू गैस की आपूर्ति करता है। भारत सरकार/एमओपीएनजी द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयातित एलएनजी/आरएलएनजी की आपूर्ति गेल और उसके ग्राहकों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर की जाती है।"

दो. <u>क्षेत्रीय उपभोग</u>

1.15 पीपीएसी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान आरएलएनजी सहित प्रकृतिक गैस की क्षेत्र-वार आवश्यकता निम्नानुसार है:

(आंकड़े एमएमएससीएम में)

क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20 (P)**
(1)	**(2)**	**(3)**

(क) ऊर्जा के प्रयोजन हेतु		
विद्युत	12005	10796
औद्योगिक	944	568
विनिर्माण	142	132
सड़क परिवहन सहित नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	9206	10764
कृषि (चाय बगान)	192	200
पाइपलाइन प्रणाली के लिए आंतरिक खपत	541	525
रिफाइनरी	7047	7805
विविध	3393	4166
योग (क)	**33470**	**34957**
(ख) गैर-ऊर्जा प्रयोजन हेतु		
उर्वरक उद्योग	14987	16083
पेट्रो रसायन	3386	3567
स्पंज लोहा	1124	708
एलपीजी श्रिंकेज	874	858
योग (ख)	**20370**	**21216**
कुल क्षेत्र-वार बिक्री (क+ख)	**53840**	**56174**

1.16 विगत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार सार्वजनिक, निजी और घरेलू क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न रूप में प्राकृतिक गैस के उपभोग की राज्य-वार मात्रा का ब्यौरा देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

> "सीजीडी कंपनियों द्वारा पीपीएसी को दी गई सूचना के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 (एच1 और एच2) और वित्त वर्ष 2020-21 (एच1) की राज्य-वार पीएनजी और सीएनजी गैस खपत संबंधी आँकड़े, **अनुबंध-चार** के रूप में संलग्न हैं।"

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के अंतर्गत पाइपलाइन परियोजनाएं

1.17 राष्ट्रीय गैस ग्रिड के मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

> "मौजूदा प्रमुख राष्ट्रपारीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों से भारत के पश्चिम, उत्तर और पूर्व (निष्पादन के तहत) भागों में प्राकृतिक गैस की ढुलाई की जा रही है। वर्तमान में, मध्य भारत, उत्तर-पूर्व और पूर्वी तट के हिस्से से भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न स्रोतों के साथ इन पाइपलाइनों की पर्याप्त संबद्धता नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र में कुछ

अलग-थलग नेटवर्क भी हैं। अत: पूरे देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) की आवश्यकता महसूस की गई जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के लिहाज से देश के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना और पूरे देश में स्वच्छ और हरित ईंधन उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय गैस ग्रिड गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ेगा और इससे सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता और विभिन्न शहरों में नगर गैस वितरण नेटवर्क का विकास सुनिश्चित होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड से पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स को प्रभावित करने वाली मांग में किसी भी उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करने में भी मदद मिलेगी।"

1.18 राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत बिछाई जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के बुनियादी ढांचे की कुल लंबाई और आज तक पूरी की गई पाइपलाइनों के बुनियादी ढांचे की कुल लंबाई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"राष्ट्रीय गैस ग्रिड को विकसित करने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए पीएनजीआरबी ने अब तक देश में लगभग 32,600 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को प्राधिकृत किया है। इन पाइपलाइनों में से लगभग 20,227 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का प्रचालन किया जा रहा है और लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।"

वर्ष 2024-25 तक लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें देश के मौजूदा पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में शामिल किए जाने की उम्मीद है। मौजूदा और भविष्य में बिछाई जाने वाली पाइपलाइनें देश के बुनियादी राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा होंगी। हालांकि, राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विकास एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न क्षेत्रों की गैस की मांग के आकलन के आधार पर पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाता है।"

1.19 देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात, एलएनजी टर्मिनल क्षमता और आगामी एलएनजी टर्मिनलों के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनियों द्वारा पीपीएसी को दी गई सूचना के अनुसार, देश में 33867 (अं) एमएएससीएम तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात किया गया था। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार पीपीएसी को बताई गई एलएनजी टर्मिनल की क्षमता 42.5 एमएमटीपीए थी।

एलएनजी टर्मिनल बुनियादी ढांचा (क्षमता और आगामी टर्मिनल)

क्र.सं.	टर्मिनल	डेवलपर्स	क्षमता (एमएमटीपीए)
	मौजूदा टर्मिनल		
1	दाहेज	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	17.5
2	हजीरा	रॉयल डच शेल, टोटल गाज़ इलेक्ट्रिकाइट	5.0
3	दाभोल *	गेल, एनटीपीसी	1.7

4	कोच्चि	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	5.0
5	एन्नोर	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन	5.0
6	मुंद्रा	जीएसपीसी, अडानी	5.0
कुल मिलाकर			39.2
निर्माणाधीन			
7	जयगढ़ (एफएसआरयू)	एच ऊर्जा	4.0
8	धामरा	अदानी	5.0
9	जाफराबाद (एफएसआरयू)	स्वान	5.0
10	छारा	एचपीसीएल और शापूरजी पलोनजी	5.0
कुल निर्माणाधीन/ निर्माण पूरा हो गया			19.0
	कुल योग		61.5

(* नेम प्लेट की क्षमता 5 एमएमटीपीए है लेकिन ब्रेकवॉटर के अभाव में टर्मिनल केवल ~ 1.7 एमएमटीपीए पर काम कर सकता है)

1.20 समिति ने आगे यह भी जानना चाहा कि गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए क्या-क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल हैं तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) वह विनियामक है जो भारत में नए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। गैस पाइपलाइन विकसित करने की इच्छुक कंपनी प्रस्तावित पाइपलाइन के अपेक्षित विवरण के साथ पीएनजीआरबी को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। पीएनजीआरबी स्वत: संज्ञान के आधार पर पूरे भारत में किसी भी मार्ग पर पाइपलाइन के विकास के लिए बोली आमंत्रित करता है। जहां तक गैस की मांग का संबंध है, कंपनियां किसी प्रस्तावित पाइपलाइन के रास्ते में पड़ने वाली गैस मांग के आकलन का विस्तृत सर्वेक्षण करती हैं। मांग मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ऐसी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकसित करने के लिए ईओआई प्रस्तुत करती है।

तथापि, पीएनजीआरबी ने भारत में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में एक अध्ययन करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से संयुक्त राज्य व्यापार विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) के साथ एक समझौता किया है। उक्त अध्ययन संविदाकार, आईसीएफ रिसोर्सेज, एलएलसी, यूएसए के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। उक्त अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक गैस मांग विश्लेषण को अद्यतन करना है, जिसमें लंगर उपभोक्ता, उद्योग, नगर गैस वितरण, और सड़क परिवहन के लिए सीएनजी और एलएनजी जैसे उभरते मांग केंद्र शामिल हैं। आईसीएफ द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।"

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लिए धनराशि

1.21 राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत उसके स्थापना काल से पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि और आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में निर्धारित निधियों सहित इसके विस्तार के ब्यौरे के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"वर्तमान में गेल, आईओसीएल और आईजीजीएल द्वारा 'राष्ट्रीय गैस ग्रिड' के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं:

क्र.सं.	पाइपलाइन परियोजना	कंपनी	लंबाई (कि.मी.	स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपए)	खर्च की गई धनराशि (करोड़ रुपए)	बजट अनुमान 20-21 में निर्धारित निधियां (करोड़ रुपए)
1	जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा (चरण 2 और 3)	गेल	1905	12214	5000	1390
2	बरौनी - गुवाहाटी		729		1670	430
3	धामरा-हल्दिया		240	1030	-	100
4	कोच्चि-कूट्टानद-बैंगलोर-मंगलौर (चरण 2)		887	5909	3150	230
5	विजईपुर-औरैया (वीएपीएल)		352	2881	1430	210
6	अंगुल-श्रीकाकुलम		690	2658	3	800
7	मुंबई - नागपुर - झारसुगुड़ा		1755	7844	-	500
8	सुल्तानपुर-झज्जर-सीजेएचपीएल का हिसार खंड		135	327	13	150
9	-ऋषिकेश-देहरादून-डीबीएनपीएल का हरिद्वार खंड		54	218	48	25
10	एन्नोर-थिरुवल्लूर-बैंगलोर-नागापट्टिनम-मदुरै - तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	आईओसीएल	1444	6025	2815	1314
11	उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड	आईजीजीएल	1665	9265	37	464
योग			**9856**	**48371**	**14166**	**5613**

इसके अलावा, अनेक निजी कंपनियां भी राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत गैस पाइपलाइनें बिछा रही हैं।".

1.22 जब यह पूछा गया कि उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आपूर्ति, विपणन और वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया है तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आपूर्ति, विपणन और वितरण में शामिल प्रमुख सरकारी कंपनियां निम्नानुसार हैं:

(एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड।
(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड।
(तीन) गेल (इंडिया) लिमिटेड।
(चार) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
(पांच) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
(छह) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

उपर्युक्त प्रमुख सीपीएसईज के अलावा देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आपूर्ति, विपणन और वितरण में उनकी सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।"

1.23 जब यह पूछा गया कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत उसके प्रचालन से लेकर अब तक पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि में से उपयोग की गई धनराशि की अद्यतन स्थिति क्या है औरनिधि का पूरा उपयोग कब तक होगा तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"आज तक सरकार द्वारा कुल निधि स्वीकृति 1030 करोड़ रुपए है जिसमें से दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 180 करोड़ रुपये जारी किए गए और दिनांक 22.06.2021 को 850 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। आईजीजीएल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसारदिनांक 15.06.2021 की स्थिति के अनुसारकुल उपयोग किया गया सरकारी अनुदान रु. 249.6 करोड़ रुपए है। शेष 780.4 करोड़ रुपए का उपयोग वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक किया जाएगा।"

1.24 जब यह पूछा गया कि गैस पाइप लाइन बिछाने वाली उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के रूप में आज तक बजटीय सहायता मिली है, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"सीसीईए ने निम्नलिखित गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत अनुदान/वीजीएफ को मंजूरी दी है:

(एक) जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन: सीसीईए ने गेल (इंडिया) लिमिटेड को 5176 करोड़ रु (12,940 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत का 40%) मंजूर किया है।

(दो) पूर्वोत्तर गैस ग्रिड पाइपलाइन : सीसीईए द्वारा 5559 करोड़ रु (अनुमानित परियोजना लागत 9,265 करोड़ रुपये का 60%) का पूंजीगत अनुदान अनुमोदित किया है। मैसर्स इंद्रधनुश गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) पूर्वोत्तर गैस ग्रिड पाइपलाइन परियोजना का निष्पादन कर रही है, जो गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) से समान भागीदारी (20% प्रत्येक) द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है)।".

विनियामक ढांचा

1.25 समिति ने यह जानना चाहा कि देश में प्राकृतिक गैस के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित नीतिगत दिशा-निर्देश/ढांचा का ब्यौरा क्या है तोमंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"देश में संपूर्ण गैस मूल्य श्रृंखला में निजी और सरकारी दोनों कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पादन:

देश में घरेलू गैस के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिएभारत सरकार विभिन्न नीतियां लेकर आई है, जैसे:

- वर्ष 2015में खोजे गई लघु क्षेत्र संबंधीनीति (डीएसएफ)
- वर्ष2017में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)
- वर्ष2016में गहरे समुद्री, अत्यधिक गहरे समुद्री और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित होने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण की आजादी सहित विपणन!
- वर्ष2017में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के प्रारंभिक मौद्रीकरण के लिए नीतिगत ढांचा
- वर्ष2020में प्राकृतिक गैस विपणन सुधार

देश में अपस्ट्रीम प्राकृतिक गैस उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नीतिगत पहल की गई थी। वर्तमान में भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड - बीपी; वेदांत लिमिटेड; एस्सार ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड; हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड आदि शामिल हैं!

विपणन:

	घरेलू गैस (एमएमएससीएमडी)	आरएलएनजी (एमएमएससीएमडी)	योग (एमएमएससीएमडी)
वित्त वर्ष 20-21 के दौरान भारत में प्राकृतिक गैस की खपत	76.12 (46%)	90.03 (54%)	166.15
डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं (अपस्ट्रीम उपभोक्ताओं द्वारा आईसी को छोड़कर) द्वारा वित्त वर्ष 20-21 के दौरान भारत में प्राकृतिक गैस की खपत	67.07 (44%)	86.67 (56%)	153.74

स्रोत: पीपीएसी

भारत में प्राकृतिक गैस की मांग घरेलू गैस उत्पादन और एलएनजी विदेशों से मंगाकर तथा एलएनजी जहाजों में भारत लाकर पूरी की जा रही है।

पहले घरेलू प्राकृतिक का विपणन केवल सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किए गए गैस के आवंटन के आधार पर किया जाता था। तथापि, भारत सरकार द्वारा कई सुधार किए गए हैं और अब निर्दिष्ट क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस के उत्पादकों को विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी दी गई है, जिसमें निर्माता अपने द्वारा उत्पादित गैस के लिए बोली बिक्री आमंत्रित करते हैं। इन उत्पादकों में निजी और सरकारी दोनों कंपनियां शामिल हैं।

इसके अलावा, देश में मांग आपूर्ति के अंतर को आयातित एलएनजी के माध्यम से पूरा किया जाता है। भारत में एलएनजी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के जरिए किया जाता है। निजी और सरकारी दोनों कंपनियां इस कारोबार में हैं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से एलएनजी का आयात कर रही हैं और वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बेचने / उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विभिन्न निजी कंपनियां जो वर्तमान में पुनर्विक्रय के साथ-साथ निजी मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस के कारोबार में हैं वे अदानी टोटल प्राइवेट लिमिटेड; शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; एच-एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड; टोरेंट पावर लिमिटेड; अदानी गैस लिमिटेड; आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड; रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड; भारत गैस सॉल्यूशन आदि हैं।

इन कंपनियों द्वारा लाई गई इस एलएनजी को देश के विभिन्न एलएनजी टर्मिनलों अर्थात दाहेज (17.5एमएमटीपीए), हजीरा (5एमएमटीपीए), कोच्चि (5एमएमटीपीए), दाभोल (1.9एमएमटीपीए), मुंद्रा (5एमएमटीपीए), एन्नोर (5एमएमटीपीए), एच-एनर्जी जयगढ़ (4एमएमटीपीए), (शीघ्र ही चालू किया जाएगा) में पुनर्गैसीकृत किया जाता है । इनमें से अधिकांश मौजूदा और भावी एलएनजी टर्मिनल निजी कंपनियों के स्वामित्व में हैं।

आपूर्ति/परिवहन:

पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियमन, 2008 तैयार किए हैं। उपरोक्त विनियमनों के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कंपनियां पीएनजीआरबी विनियमनों के तहत विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ एक आवेदन पत्र के रूप में बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अलावा, बोर्ड किसी भी मार्ग पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए एक कंपनी के चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव शुरू कर सकता है।

अतः, किसी भी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा आमंत्रित बोलियों में भाग लेने से निजी कंपनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मिडस्ट्रीम क्षेत्र में, कई निजी फर्में हैं जिन्होंने देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाई हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक गैस को विभिन्न स्रोतों से उपभोग/मांग केंद्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। निजी फर्मों द्वारा बिछाई गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें निम्नानुसार हैं:
• पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड: ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन (ईडब्ल्यूपीएल)
• एच-एनर्जी गेटवे प्राइवेट लिमिटेड:

क. जयगढ़ से दाभोल टाई-इन पाइपलाइन;
ख. जयगढ़-मैंगलोर पी/एल;
ग. कनाई-छटा पी/एल

• रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड: शहडोल-फूलपुर पी/एल
• अन्य समर्पित पाइपलाइन/टाई-इन पी/एल: एस्सार, टोरेंट, आरआईएल, केईआई-आरएसओएस आदि।

नगर गैस वितरण:

डाउनस्ट्रीम सीजीडी कारोबार में भी कई निजी फर्म हैं जो कई भौगोलिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के वितरण में शामिल हैं। अब तक पीएनजीआरबी ने देश में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न कंपनियों को 230 जीएज प्राधिकृत किए हैं। सीजीडी कारोबार में कुछ प्रमुख निजी संस्थाएं टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड; अदानी गैस लिमिटेड; आईओएजीपीएल; थिंक गैस लि. आदि हैं।"

1.26 जब नेशनल गैस ग्रिड के विस्तार में राज्यों की भूमिका के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पीएनजीआरबी प्राधिकार प्रदान करने के लिए विनियमन अर्थात पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने, उनका निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 को अधिसूचित किया था जिसमें विनियमन 4(1) और 4(2), विनियमन 5 और विनियमन 7 में कंपनी के चयन और बोली मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

इसी प्रकार, विनियमन 6 (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, उनका निर्माण, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा आमंत्रण) में कहा गया है कि बोर्ड एक विशिष्ट क्षेत्र, क्षेत्र या मार्ग में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के विकास के बारे में एक राय कायम कर सकता है और ऐसे मामले में विनियमन 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया (रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित पहलुओं को छोड़कर अन्य को बोर्ड द्वारा तैयार किए गए परियोजना विवरण से प्रतिस्थापित किया जाएगा) लागू होगी।

उपर्युक्त विनियमन की अनुपालना करते हुए पीएनजीआरबी विभिन्न नई पाइपलाइनों को प्राधिकृत कर रहा है जो एक प्राकृतिक गैस ग्रिड का हिस्सा होंगी। उपर्युक्त के अलावा, विनियमन 17 पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत किए जाने से पूर्व केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए शामिल है। इसी प्रकार, नियमन 18 उस कंपनी के लिए शुरू किया गया है जिसने निर्धारित दिन अर्थात दिनांक 01.10.2007 से पहले किसी अन्य प्राधिकार के साथ पाइप लाइन बिछाई थी।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 में केंद्र सरकार द्वारा पीएनजीआरबी को नीतिगत निर्देश जारी करने के लिए प्रावधान है। इस धारा के तहत केंद्र सरकार ने पहले प्राधिकृत की गई हल्दिया-जगदीशपुर पाइपलाइन के एक भाग के रूप में बोकारो-धामरा को प्राधिकृत करने के लिए निर्देश जारी किया। इसी प्रकार, सरकार ने 1656 किलोमीटर लंबे उत्तर पूर्व गैस ग्रिड, जो राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा होगा, हेतु इंद्रधनुश गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) को प्राधिकृत करने के लिए पीएनजीआरबी को नीतिगत निर्देश जारी किया।

आरओयू को सुसाध्य बनाकर और विभिन्न सांविधिक और अन्य मंजूरियां शीघ्र प्रदान करके गैस पाइपलाइन, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क परियोजनाओं को शीघ्र और समय पर पूरा करने और प्रचालित करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।"

<u>पाइप लाइन परियोजनाओं की स्थिति</u>

1.27 समिति ने यह नोट करते हुए कि गेल, आईओसीएल और आईजीजीएल द्वारा बिछाई जा रही नेशनल गैस ग्रिड की 15,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में से 9856 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में है, यह जानना चाहा कि शेष 5000 किलोमीटर पाइपलाइनों के संदर्भ में पूरी जानकारी क्या है, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड बनाने के उद्देश्य सेपीएनजीआरबी ने दिनांक 31.03.2021 तक देश भर में लगभग 33,764 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है। प्राधिकृत एनजीपीएल कंपनी को विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्पर लाइनें बिछाने की अनुमति है। तदनुसार, दिनांक31.03.2021 तक 19,998 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों प्रचालनरत हैं और 15,369 किलोमीटर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस लंबाई में समर्पित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें, स्पर लाइनें, टाई-इन कनेक्टिविटीज, सब-ट्रांसमिशन पाइपलाइनें और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के टैरिफ कॉरिडोर में बिछाई गई अतिरिक्त स्पर लाइनें शामिल हैं।"

1.28 समिति ने यह जानना चाहा कि गैस पाइप लाइनों को भारत के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः-

1. दक्षिण भारत में गैस पाइपलाइनों को विभिन्न स्रोतों से जोड़ने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं: -

i. दक्षिणी भारत को जोड़ने के लिए पीएनजीआरबी ने मई, 2011 में गेल (इंडिया) लिमिटेड को 1,104 किलोमीटर लंबी कोच्ची-कुट्टानद-बैंगलोर-मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो कोच्चि से निकलती है और मैंगलोर में समाप्त होती है, बिछाने के लिए प्राधिकृत किया।

ii. पीएनजीआरबी ने जुलाई, 2014 में आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड को 275 किलोमीटर लंबी काकीनाडा-विजाग-श्रीकाकुलम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो काकीनाडा से निकलती है और श्रीकाकुलम में समाप्त होती है, बिछाने के लिए प्राधिकृत किया ।

iii. पीएनजीआरबी ने दिसंबर, 2015 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 1431 किलोमीटर लंबी एन्नोर-तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो एन्नोर से निकलती है और तूतीकोरिन में समाप्त होती है, बिछाने के लिए प्राधिकृत किया ।

iv. पीएनजीआरबी ने फरवरी 2018 में आईएमसी लिमिटेड को काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केवीएनपीएल), जो काकीनाडा से निकलती है और राजमुंदरी-विजयवाड़ा-गुंटूर-ओंगोल से होकर गुजरती है और नेल्लोर में समाप्त होती है, बिछाने के लिए प्राधिकृत किया ।

v. पीएनजीआरबी ने जुलाई, 2019 में गेल (इंडिया) लिमिटेड को श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के 690 किलोमीटर को बिछाने के लिए प्राधिकृत किया, जिसमें ट्रंक लाइन और स्पर लाइन की लंबाई शामिल है। यह श्रीकाकुलम से निकलती है

और गंजम-नयागढ़-खोरधा-कटक-ढेंकनाल से होकर गुजरती है और अंगुल में समाप्त होती है।

2. मध्य भारत में गैस पाइपलाइनों को विभिन्न स्रोतों से जोड़ने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं: -

i. मध्य भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए पीएनजीआरबी ने मई, 2020 में गेल को मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकृत किया। इसके अलावा, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पीआईएल) 1460 किलोमीटर लंबी पूर्व-पश्चिअम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का प्रचालन कर रही है।

ii. इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जीआईटीएल) को मल्लावरम-भोपाल भीलवाड़ा से विजयपुर होते हुए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकसित करने के लिए प्राधिकृत किया है। उक्त तीनों पाइपलाइनों में भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर मौजूद विभिन्न गैस पाइपलाइनों को आपस में जोड़ने का प्रावधान है।

3. गैस पाइपलाइनों को उत्तर-पूर्व और पूर्वी तट के हिस्से को विभिन्न स्रोतों से जोड़ने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं: -

i. उत्तर-पूर्व और पूर्वी तट के हिस्से की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गेल 3546 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) विकसित कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरती है जो विभिन्न उर्वरक संयंत्रों, नगर गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडी) और पेट्रोरसायन संयंत्रों की गैस की आवश्य,कता को पूरा करेगी, जो गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए फंसे हुए हैं/थे।

ii. इसके अलावा, जेएचबीडीपीएल बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के माध्यम से इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के निर्माणाधीन नॉर्थ-ईस्ट ग्रिड से भी जुड़ती है, जो चरणबद्ध तरीके से आठ पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की गैस की आवश्यकता को पूरा करेगी। ।

iii. पीएनजीआरबी ने जुलाई, 2019 में कनई छटा-श्रीरामपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए हुगली पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया।"

1.29 साथ ही, नेशनल गैस ग्रिड परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.	परियोजना विवरण	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति/प्रगति
1	कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मेंगलूरु पाइपलाइन परियोजना फेज़-II कुल लंबाई - 891 किमी राज्य: केरल- 515 किमी कर्नाटक- 57 किमी तमिलनाडु - 319 किमी	5,909	समग्र भौतिक प्रगति: 66.8% • **कोच्चि कुट्टनाड मेंगलूरु खंड (450 किमी):** दिनांक 23.11.2020 को कमीशन किया गया और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 05.01.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। • **कुट्टनाड बेंगलूरु खंड (441 किमी):** - दिनांक 26.04.2021 को कुट्टनाड (केरल) से वालायर (केरल) खंड कमीशन किया गया - वालायर (केरल) से कोयंबटूर (तमिलनाडु) खंड (12 किमी): वेल्डिंग का कार्य पूर्ण और 40 मीटर सेक्शन को छोड़कर पाइपों की लोअरिंग का कार्य पूर्ण - तमिलनाडु में कोयंबटूर से कृष्णागिरी सेक्शन (286 किमी): निर्माण-पूर्व गतिविधियां की जा रही हैं। निविदा एवं आदेश कार्रवाई प्रगति पर। - सिंगसांद्रा (कर्नाटक) से कृष्णागिरी (तमिलनाडु) खंड (48 किमी): कर्नाटक में 22 किमी सेक्शन को कमिशन किया गया। शेष 26 किमी खंड तमिलनाडु में है जिसमें 10 किमी लोअरिंग का कार्य पूर्ण। **समय में वृद्धि: जी हाँ (मूल समापन कार्यक्रम के संबंध में)** • मूल अनुमोदित समय-सारणी: दिसम्बर'12 • संशोधित अनुमोदित समय-सारणी: फरवरी'22 **प्रत्याशित समापन:** - वालायर से कोयंबटूर (केरल व तमिलनाडु)

क्र.	परियोजना विवरण	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति/प्रगति
			एवं सिंगसांद्रा से कृष्णागिरी खंड (तमिलनाडु) (38 किमी): उत्तरोत्तर दिसंबर 2021 तक - तमिलनाडु में कोयंबटूर से कृष्णागिरी खंड (286 किमी): तमिलनाडु में बाधा मुक्त आरओयू की उपलब्धता से 30 माह • समय वृद्धि हेतु कारण: - केरल और तमिलनाडु में किसानों के कड़े प्रतिरोध और राजमार्गों के साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए तमिलनाडु सरकार के निर्देश के कारण वर्ष 2013 में केकेबीएमपीएल परियोजना की निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया। - केरल सरकार के सहयोग से केरल राज्य में केकेबीएमपीएल परियोजना की गतिविधियों को वर्ष 2015 में फिर से शुरू किया गया। - एनएच/एसएच/सड़कों के साथ-साथ गैस पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2015 को उच्च स्तरीय "विशेषज्ञ समिति"का गठन किया गया था।विशेषज्ञ समिति को अक्टूबर'17 में फिर से सक्रिय किया गया था । - तथापि, गेल द्वारा कई बैठकों और विभिन्न स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, मार्च 2020 तक कोई मार्ग नहीं था । - तमिलनाडु सरकार ने मार्च 2020 में समर्थन की अभिव्यक्ति से अवगत कराया।हालांकि, किसानों के कड़े प्रतिरोध के कारण तमिलनाडु राज्य में निर्माण कार्य अभी भी रुके हुए हैं।

क्र.	परियोजना विवरण	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति/प्रगति
			लागत में वृद्धि: जी हां, (आरंभिक अनुमोदित लागत के संबंध में) प्रारंभिक अनुमोदित लागत: 2918 करोड़ रुपये संशोधित अनुमोदित लागत : 5909 करोड़ रुपये • लागत में वृद्धि के कारण - समय में लगभग 10 वर्षों की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण को बिछाने व संबद्ध कार्य तथा परियोजना लागत के अन्य घटकों में लागत वृद्धि । - स्टेशनों के लिए आरओयू मुआवजे और भूमि अधिग्रहण लागत में उल्लेखनीय वृद्धि।
2	श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन परियोजना कुल लंबाई - 744 किमी राज्य: आंध्र प्रदेश- 125 किमी ओडिशा- 619 किमी	2,658	समग्र भौतिक प्रगति: 27.9% आरओयू अधिग्रहण प्रगति पर है। परियोजना में समय और लागत की कोई वृद्धि नहीं। • मूल अनुमोदित कार्यक्रम: जुलाई'22 • प्रत्याशित पूर्णता: जुलाई'22

<u>पाइपलाइन परियोजनाओं में चुनौतियां</u>

1.30 जब यह पूछा गया कि पाइपलाइन परियोजनाओं में विलंब के क्या कारण हैं और क्या इन्हें शीघ्र पूरा करने व कारणों का समाधान करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा बनाया गया है, तो बताया गया है कि:-

"केरल राज्य (अभी समाधन किया गया) और तमिलनाडु राज्य (अभी भी जारी) में किसानों के आंदोलन के कारण कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन परियोजना चरण-II में समय और लागत में वृद्धि देखी गई है। विवरण *प्रश्न संख्या 4(i) और प्रश्न संख्या 5*में दिया गया है।

गेल परियोजना कार्यों को प्रभावित करने वाले किसानों के विरोध के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

- एनएच/एसएच/सड़कों के साथ-साथ गैस पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2015 को उच्च स्तरीय "विशेषज्ञ समिति"का गठन किया गया था। पाइपलाइन पुनः संरेखण (रि-एलाइनमेंट) योजना (जहां भी संभव हो) पर चर्चा करने और तमिलनाडु में पाइपलाइन निष्पादन हेतु विस्तृत चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ समिति को अक्टूबर, 2017 में पुनः सक्रिय किया गया था।
- तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लाभ के संबंध में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु में सभी पी एंड एनजी पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए केरल मॉडल के अनुरूप भूमि और फसल मुआवजे का निर्धारण करने के लिए जी.ओ. (एमएस) संख्या 54 दिनांक 14.02.2020 जारी किया।
- जिला प्रशासन द्वारा कोयंबटूर और कृष्णागिरी जिले में किसान संघ के साथ शांति बैठकें आयोजित की गईं।

हालांकि, गेल और तमिलनाडु सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद केकेबीएमपीएल-II परियोजना के परियोजना संबंधी कार्य अभी भी तमिलनाडु राज्य में रुके हुए हैं। निम्नलिखित निगरानी, रिपोर्टिंग और समस्या समाधान तंत्र का उपयोग किया जा रहा है:

- निगरानी संबंधी अद्यतन स्थिति और ई-समीक्षा और ई-प्रगति पोर्टल के माध्यम से समस्याओं का समाधान।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए मंत्रालय के निगरानी प्रकोष्ठ को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
- मासिक पीएमओ रिपोर्ट के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति और मुद्दों की आवधिक निगरानी।
- परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा समाधान आधारित निगरानी के मुद्दे । पीएमजी पोर्टल पर पोस्ट किए गए मुद्दे। एमओपीएनजी राज्यों के प्रधान सचिव और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाता है।
- जिला कलेक्टर, सचिव और प्रधान सचिव स्तर पर बढ़ते मामले ।
- विभिन्न स्तरों पर गेल द्वारा मुद्दों की नियमित समीक्षा ।
- मुद्दों के समाधान हेतु कृषकों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक । "

1.31 जब यह पूछा गया कि नेशनल गैस ग्रिड के तहत परियोजनाओं को पूरा करने में गेल को पेश आ रही प्रचालन संबंधी चुनौतियां और व्यावहारिक बाधाएं क्या हैं, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पाइपलाइन परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय गेल के सामने आ रही प्रमुख बाधाएं निम्नानुसार हैं:

(i) बिहार और झारखंड में भूमि स्वामित्व के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उपयोग के अधिकार के अधिग्रहण में देरी।
(ii) झारखंड के कई जिलों में घने जंगल और फ्रिंज तत्वों की मौजूगी।
(iii) झारखंड और ओडिशा में वन संबंधी मंजूरी प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया और मंजूरी में विलंब।
(iv) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आरओयू अधिसूचना, दर निर्धारण में विलंब और भूमि मालिक किसानों को मुआवजे का धीमा वितरण।
(v) ग्रामीणों द्वारा रुकावट और अधिक मुआवजे की मांग, जो पीएमपी अधिनियम के अनुसार नहीं है।
(vi) किसानों द्वारा तमिलनाडु में कड़ा विरोध।
(vii) केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट का प्रतिकूल इलाका और केरल में क्रीक, नदियाँ और बड़ी संख्या में जलाशय हैं।
(viii) राज्यों में विभिन्न सांविधिक मंजूरियां के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था नहीं होना।
(ix) भूमि अधिग्रहण गतिविधियों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को तैनात करने में विलंब।"

1.32 यह पूछे जाने पर कि जगदीशपुर-हल्दिया-गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के लिए कौन से घटक जिम्मेदार हैं, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"गेल ने बिना किसी विलंब के जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना के खंड -1 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसके अलावा, गेल परियोजना के शेष खंड को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और उन सभी मुद्दों/ बाधाओं का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो गेल के नियंत्रण से परे हैं। वर्तमान में, निम्नलिखित घटक जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना की प्रगति में बाधा बन रहे हैं:

ओडिशा राज्य में:

(i) सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में आरओयू अधिग्रहण के मुद्दे - ग्रामीण अधिक मुआवजा चाहते हैं।
(ii) लंबित वन संबंधी मंजूरी - वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 80 कि.मी. लंबी पाइपलाइन (13 वन प्रभागों को कवर करती है)।
(iii) आरओयू (वन के अलावा) में पेड़ों के मुआवजे के लिए लंबित दर निर्धारण।

झारखंड राज्य में:

(i) सुरक्षा संबंधी मुद्दे: पाइपलाइन चतरा जिले से गुजर रही है जो सीमांत कट्टरवादी समूह से प्रभावित है।

(ii) राज्य भर में भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी) की अनुपलब्धता के कारण भूमि के मुआवजे का वितरण धीमा है। संबंधित जिला कलेक्टरों से बात की जा रही है।

(iii) हजारीबाग जिले में आरओयू अधिग्रहण संबंधी मुद्दे: ग्रामीण भूमि के अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य में:

1.33 आरओयू अधिग्रहण: दुर्गापुर हल्दिया और बरौनी गुवाहाटी खंड में लंबे समय से लंबित (प्रभावित खंड - 550 किलोमीटर)। आरओयू उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई काम शुरू नहीं किया जा सका।

तथापि, केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों की मदद से मुद्दों का समाधान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। "

1.34 जब यह पूछा गया कि व्यय को कम करने के लिए उत्तराखंड में मजबूत सड़कों के साथ-साथ गैस पाइपलाइन बिछाने की व्यवहार्यता क्या है, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"सामान्यत: तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र-पारीय गैस पाइपलाइन के मार्ग को अंतिम रूप दिया जाता है। पाइपलाइन मार्ग छोटा और व्यवहार्य होना चाहिए जिसमें वन, वन्य जीवन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य भू-तकनीकी चुनौतियां जैसे नदी के किनारे, मिट्टी की स्थिति, भू-भाग प्रोफ़ाइल आदि सहित न्यूनतम पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र हों। गेल उत्तराखंड राज्य में 54 किलोमीटर लंबी हरिद्वार-ऋषिकेष-देहरादून पाइपलाइन परियोजना पर कार्य कर रही है।"

<u>एनजीजी के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला</u>

1.35 जब यह पूछा गया कि देश में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में गेल को पेश आ रही व्यावहारिक बाधाएं/ उपयोग का अधिकार संबंधी मुद्दे का क्या हैं, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"भूमि अधिग्रहण के लिए गेल उपयोग के अधिकार (आरओयू) संबंधी निम्नलिखित मुद्दों का सामना कर रही है:

नई पाइपलाइनों के लिए :

(i) किसान/भूमि मालिकों द्वारा कड़ा विरोध : पाइपलाइन निर्माण के लिए बुनियादी तौर पर उपयोग का अधिकार (आरओयू) और भूमि की उपलब्धता तथा विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी है। अधिकांश मामलों में आरओयू और भूमि

अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है और उसी के कारण परियोजना में विलंब होता है। परियोजनाओं को अक्सर किसानों से कठोर विरोध का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग होती है कि या तो पाइपलाइन का मार्ग बदला जाए या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। गेल को पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देना होगा।

(ii) भूमि अधिग्रहण प्रमाणपत्र (एलपीसी) या भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता/ अप्रचलित स्वामित्व रिकॉर्ड: किसानों को मुआवजे के वितरण के लिए भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र अपेक्षित है। एलपीसी की अनुपपलब्धता या अप्रचलित स्वामित्व रिकॉर्ड के चलते मुआवजे के वितरण में विलंब होता है।

(iii) बाधा रहित मार्ग की अनुपलब्धता: शहरी क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने में अन्य कठिनाइयाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण काम में अड़चनें, अतिक्रमण संबंधी मुद्दे, सार्वजनिक सुविधाओं का होना, काम करने के लिए सीमित समय आदि हैं।

(iv) मौजूदा पाइपलाइनों की मरम्मत/प्रतिस्थापन/क्षमता वृद्धि के लिए आरओयू फिर से शुरू करने के लिए_: भूस्वामी/किसान फिर से भूमि के मुआवजे की मांग करते हैं, हालांकि अधिग्रहण किए गए आरओयू में पाइपलाइन का काम किया जाता है तो भूमि के मुआवजे का भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। आरओयू को फिर से शुरू करने पर मुआवजे की फिर से मांग की जाती है (यह पी एंड एमपी अधिनियम, 1962 के अनुसार लागू नहीं है)। तथापि, आरओयू को फिर से शुरू करने पर फसल के मुआवजे और अन्य नुकसान का भुगतान नियमों के अनुसार किया जाता है। "

1.36 यह पूछे जाने पर किगेल के पास समयबद्ध तरीके से पूरी की जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है, तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए प्राथमिक हितधारक भूमि के स्वामी किसान, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग सहित जिला प्रशासन आदि हैं। आरओयू अधिग्रहण और पाइपलाइन बिछाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था को अपनाया जाता है:

(i) छोटे दल के साथ गेल निष्पादन प्रभारी को पाइपलाइन निर्माण स्थल कार्यालयों में तैनात किया जाता है। आम तौर पर संबंधित राज्य सरकारों के डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष स्तर के अधिकारी या विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को परियोजना के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है और उसे आरओयू और भूमि अधिग्रहण के लिए "सक्षम प्राधिकारी" (सीए) के रूप में अधिसूचित किया जाता है। सीए की मदद राजस्व कर्मचारियों की एक टीम करती है, ये कर्मचारी राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारियों में से लिए गए कर्मचारी या संविदा आधार पर लिए गए सेवानिवृत्त

कर्मचारी होते हैं। सीए के नेतृत्व वाली गेल और राजस्व टीम आरओयू और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यकलाप लागू अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार करती है। प्रयोक्ता का अधिकार (आरओयू) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पीएमपी) अधिनियम -1962 के अनुसार प्राप्त किया जाता है। आरओयू प्राप्त करने का प्रारंभिक इरादा 3 (1) अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और भूमि स्वामियों को नोटिस दिए जाते हैं। आपत्तियों की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है। उसी के आधार पर अंतिम आरओयू को 6 (1) राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। राज्य सरकार के राजस्व, वन और अन्य विभागों के परामर्श से सक्षम प्राधिकरण द्वारा भूमि, फसलों, पेड़ों के मुआवजे का निर्धारण किया जाता है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी और गेल टीम आवश्यक मदद के लिए कलेक्टर कार्यालय के साथ समन्वय करते हैं। जब भी आवश्यकता होती है टीम ग्राम पंचायत और अन्य निकायों और उसके प्रतिनिधियों के पास जाती है। आवश्यकता पड़ने पर वे पुलिस से भी मदद मांगते हैं।

(iii) पाइपलाइन के मार्ग पर स्टेशनों के लिए स्थायी भूमि के अधिग्रहण के लिए गेल की बहु-विषयक समिति का गठन किया जाता है। समिति सीए और राजस्व टीम की सहायता से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि की पहचान करती है और भूमि स्वामियों से बातचीत करती है।

(iv) गेल टीम संबंधित प्राधिकरणें की प्रक्रियाओं के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले सांविधिक प्राधिकरणों अर्थात पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, एनएचएआई, रेलवे, वन विभाग आदि से अनुमति और अनुमोदन प्राप्त करती है। इस कार्य में योजना, प्रस्ताव, रेखा चित्र, शुल्क और जमा, विभिन्न स्तरों पर संबंधित हितधारकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सहित आवेदन और प्रलेखन शामिल हैं।

(v) पाइपलाइन बिछाने और संबंधित निर्माण कार्य निविदा के माध्यम से नियुक्त संविदाकारों के माध्यम से किए जाते हैं।

(vi) राज्य सरकार के स्तर पर सभी अनुमतियों और अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था लागू करने से पाइपलाइन परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन आसान हो जाएगा। "

1.37 यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना में आज तक भूमि अधिग्रहण संबंधी कितनी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और कितनी अभी भी लंबित है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों की मदद से आरओयू भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को प्रगति से हल किया जा रहा है, हालांकि निम्नलिखित स्थानों पर आरओयू अधिग्रहण अभी भी लंबित है:

(i) जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) और बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन:

1. पश्चिम बंगाल राज्य में: लगभग 550 किमी पाइपलाइन खंड का आरओयू अधिग्रहण लंबित है।
2. झारखंड राज्य में: लगभग 35 किलोमीटर आरओयू अधिग्रहण
3. ओडिशा राज्य में: लगभग 120 किलोमीटर आरओयू अधिग्रहण।

(ii) कोच्चि-कूट्टानाड-बैंगलोर-मंगलौर पाइपलाइन चरण-2: तमिलनाडु राज्य में लगभग 300 किलोमीटर पाइपलाइन खंड का आरओयू अधिग्रहण लंबित है।

<u>पाइपलाइनों का क्षमता उपयोग</u>

1.38 जब एनजीजी के तहत मौजूदा गैस पाइपलाइनों की क्षमता उपयोग का विवरण देने और क्या पाइपलाइनें अपने इष्टतम स्तर पर चल रही हैं और इनके सुधार हेतु उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :-

"अप्रैल, 2020 - फरवरी, 2021 की अवधि के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड की प्राकृतिक गैस के औसत प्रवाह के आधार पर मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की क्षमता उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पाइपलाइन का नाम	उपयोग का प्रतिशत
(i)	एकीकृत हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एचवीजे)	67%
(ii)	दाहेज-उरण-पनवेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीयूपीएल-डीपीपीएल)	79%
(iii)	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क (उरण-थाल-उसर और ट्रॉम्बे-आरसीएफ)	67%
(iv)	गुजरात क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	58%
(v)	केजी बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	26%
(vi)	कावेरी बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	20%
(vii)	दाभोल-बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीबीपीएल)	11%
(viii)	कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मैंगलोर (केकेबीएमपीएल) *	29%
(ix)	दादरी- बवाना-नंगल पाइपलाइन (डीबीएनपीएल) *	20%

(x)	छैनसा-झज्जर-हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल)*	11%
(xi)	जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल)*	2%

** निर्माणाधीन पाइपलाइनोंकी चालू क्षमता के आधार पर उपयोग का प्रतिशत*

यह पूछे जाने पर कि क्या उपरोक्त पाइपलाइन अपने इष्टतम स्तर पर चल रही हैं, यदि नहीं, तो उसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, निम्नवत उत्तर दिया गया:

यह देखा जा सकता है कि आमतौर पर केजी बेसिन नेटवर्क और कावेरी बेसिन नेटवर्क जो अब तक मुख्य रूप से घरेलू गैस आपूर्ति की सीमित उपलब्धता के कारण बाधित रहा है, को छोड़कर, जो पाइपलाइनें कम से कम 10 वर्षों से अधिक समय से प्रचालन में हैं (उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (vi) में उचित क्षमता का उपयोग देखा जा रहा है।

जहाँ तक अन्य नई पाइपलाइनों (उपर्युक्त क्रम सं. (vii) से (xi) का संबंध है, उनका उपयोग प्रतिशत वर्तमान में निचले स्तर पर है जो मुख्यतः नई पाइपलाइन मार्ग होने के साथ अपेक्षाकृत धीमी और माँग के क्रमिक भौतिककरण के कारण है।
सामान्य तौर पर, प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को इष्टतम माँग प्राप्ति के लिए, 15-25 वर्षों की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख कारक जिन पर गैस पाइपलाइन का उपयोग निर्भर करता है, वे इस प्रकार से हैं:

1. कुछ परिकल्पित गैस उपभोक्ता उद्योग पाइपलाइन के सिंक्रोनाइज़ेशन में आते हैं जबकि कुछ अन्य अपनी योजनाओं को स्थगित कर देते हैं या कुछ अपने संबंधित व्यावसायिक परिदृश्यों में बदलाव के कारण बाद में सामने नहीं आते हैं।
2. घरेलू गैस आपूर्ति की उपलब्धता।
3. प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर आयातित गैस की उपलब्धता।
4. गैस पाइपलाइनों से जुड़े कुछ गैस आधारित बिजली संयंत्र घरेलू गैस आपूर्ति की अनुपलब्धता और उनके मूल्यों की चुनौतियों के कारण आयातित गैस का उपयोग पूरी तरह से नहीं करने के कारण (लगभग 14,305 मेगावाट) अधर में लटक हुए हैं।
5. पाइपलाइन मार्ग के साथ आगामी गैस आधारित उर्वरक इकाइयों, रिफाइनरी इकाइयों, इस्पात उद्योग आदि का सिंक्रनाइज़्ड कमीशनिंग/रूपांतरण किया जाना।
6. पाइपलाइन मार्ग के साथ सीजीडी नेटवर्क का विकास।
7. एक दूसरे के साथ विभिन्न गैस पाइपलाइनों का अंतर्संबंध।

पाइपलाइन क्षमता उपयोग में सुधार के लिए गेल द्वारा उठाए जा रहे कदम

i. **मौजूदा पाइपलाइनों में गैस के और नए स्रोत जोड़ना** :हाल ही में केजी बेसिन, राजस्थान, कावेरी बेसिन और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) खोजों में घरेलू गैस की अतिरिक्त खोज हुई है। गेल ने आगामी नए गैस स्रोतों को टाई-इन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि ग्राहकों को इन नई खोजों से नई घरेलू गैस की

उपलब्धता/आवंटन के परिणामस्वरूप पाइपलाइन का उपयोग बढ़ सके। गेल की हालिया/आगामी टाई-इन कनेक्टिविटी में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ओएनजीसी का मदनम: मेमाथुर, कावेरी बेसिन नेटवर्क
2. ओएनजीसी का बंटुमिली: उलुम्पुरु, केजी बेसिन नेटवर्क
3. ओएनजीसी का ओडालारेवु: बोडस्कुररु, केजी बेसिन नेटवर्क
4. ओएनजीसी का सुवाली: कवास, एकीकृत एचवीजे नेटवर्क
5. जयगढ़ एलएनजी टर्मिनल: दाभोल, डीयूपीएल-डीपीपीएल
6. सीबीएम बोकारो और झरिया: जेएचबीडीपीएल
7. शहडोल में सीबीएम गैस: फूलपुर, एकीकृत एचवीजे

ii. **अन्य ऑपरेटरों की पाइपलाइनों के साथ इंटर-कनेक्शन** :वर्तमान में, गेल ही एकमात्र ऑपरेटर है जिसने देश के लगभग सभी अन्य पाइपलाइन ऑपरेटरों को कई इंटर-कनेक्शन की सुविधा प्रदान की है। गेल ने अपने केजी बेसिन एनजी पाइपलाइन नेटवर्क के साथ मेसर्स पीआईएल के ईडब्ल्यूपीएल (ओडुरु/अंकोट/महस्कल में), डीयूपीएल और एचवीजे पाइपलाइनों, अपने एचवीजे पाइपलाइन के साथ मेसर्स आईओसीएल की दादरी पानीपत एनजीपीएल (दादरी में), अपनी एचवीजे पाइपलाइन के साथ मेसर्स जीएसपीएल एचपी गुजरात गैस ग्रिड (दाहेज), अपने डीबीएनपीएल के साथ भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर एनजीपीएल (जालंधर में),अपने जेएचबीडीपीएल के साथ जीआईजीएल कीआरजीपीएल (फूलपुर में) को अन्य पाइपलाइन ऑपरेटरों को इंटरकनेक्शन सुविधा प्रदान की है। इस प्रकार लगभग सभी अन्य ऑपरेटरों तक अपनी पाइपलाइनों की सुविधा प्रदान की है।

iii. **आगामी औरपाइपलाइनों के साथ इंटर-कनेक्शन** :गेल पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्य ग्रिड से जोड़ने के लिए मेसर्स आईजीजीएल के आगामी इन्द्रधनुष गैस ग्रिड के साथ अपनी जेएचबीडीपीएल पाइपलाइन की इंटर-कनेक्शन सुविधा भी प्रदान करेगा। दक्षिण में भी, गेल अपने केजी बेसिन नेटवर्क को मेसर्स एपीजीडीसी की आगामी काकीनाडा-श्रीकाकुलम पाइपलाइन से जोड़ेगा। इसके अलावा, गेल अपनी दाभोल-बेंगलुरु पाइपलाइन और बेंगलुरु में अपनी आगामी केकेएमबीपीएल को मैसर्स आईओसीएल की आगामी एन्नोर-थिरुवल्लूर-बेंगलुरु-पुडुचेरी-नागापट्टनम-मदुरै-तूतीकोरिन पाइपलाइन के साथ इंटर-कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान करेगा।इस प्रकार पूरे दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य ग्रिड से जोड़ेगा।

iv. **विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से गैस की प्राप्ति** :गेल ने भिन्न-भिन्न सूचकांकों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से अलग-अलग दीर्घकालिक/अल्पकालिक एलएनजी प्राप्त किए हैं। एक व्यापक गैस पोर्टफोलियो गैस आपूर्ति की दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता में सुधार लाने में सहायक होगा; डाउनस्ट्रीम ग्राहकों के साथ वाणिज्यिक शर्तों के निष्कर्ष के अध्यधीन, पाइपलाइन के उपयोग में और अधिक सुधार होने की संभावना है।

v. **ऑन-लाइन पाइपलाइन ओपन एक्सेस पोर्टल** :गेल एकमात्र गैस पाइपलाइन कंपनी है जिसने अपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में कॉमन कैरियर कैपेसिटी की आसान और

पारदर्शी बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इससे गैस पाइपलाइन के उपयोग को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

vi. **गेल की पाइपलाइनों के साथ सीजीडी क्षेत्र का जुड़ाव** :पीएनजीआरबी ने सीजीडी के विकास के लिए 9वें और 10वें दौर की बोली में लगभग 136 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) को अधिकृत किया है। इनमें से अधिकांश जीएज गेल की ट्रंक लाइन पर गिर रहे हैं। गेल इन जीए(जीएज) को प्राथमिकता आधार पर हुकिंग-अप की सुविदा प्रदान कर रहा है ताकि अधिकृत क्षेत्रों में सीजीडी बुनियादी ढाँचे के विकास और पहुँच के साथपाइपलाइन की क्षमता उपयोग में वृद्धि हो।

vii. **नए ग्राहकों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी** :इसके अलावा, गेल विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है ताकि वे प्राकृतिक गैस का उपभोग कर सकें और अन्य वैकल्पिक ईंधन को छोड़ सकें।

viii. **गैस एक्सचेंज को सुगम बनाना** :गेल ने गैस एक्सचेंज में कारोबार की जाने वाली गैस के परिवहन के लिए भारतीय गैस एक्सचेंज ऑपरेटर के साथ तौर-तरीके को मजबूत किया है, जिससे गैस एक्सचेंज में व्यापार में क्रमिक वृद्धि के साथ पाइपलाइन का उपयोग भी बढ़ता है।

ix. **नए/आगामी उर्वरक संयंत्रों, रिफाइनरियों के साथ गठजोड़**:जेएचबीडीपीएल और अन्य पाइपलाइनों के साथ उर्वरक संयंत्रों, रिफाइनरियों के साथ गठजोड़ भी इन संयंत्रों के रूपांतरण/कमीशन पर इसके उपयोग में वृद्धि करेगा।"

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

1.39 देश में चालू/बंद प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"जिन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निगरानी की जा रही है और जिन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की निगरानी नहीं की जा रही की सूची **अनुबंध-पांच** और **अनुबंध-छह** पर है।"

1.40 जब समिति ने 6099 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 201 संयंत्रों के शून्य उत्पादन के कारणों और कब तक इनके पुनः उत्पादन शुरू होने की संभावना के बारे में पूछा तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :-

"लगभग 85 एमएमएससीएमडी के घरेलू गैस आवंटन के सापेक्ष, देश में गैस आधारित बिजली संयंत्रों को आपूर्ति की जाने वाली घरेलू गैस क्रमशः 2019-20 और 2020-21 (अप्रैल, 2020

से फरवरी 2021) के दौरान लगभग 19.20 एमएमएससीएमडी और 18.55 एमएमएससीएमडी थी।

इस प्रकार घरेलू गैस की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता के कारण, महत्वपूर्ण गैस आधारित क्षमता रुकी हुई है या इष्टतम स्तरों से कम पर काम कर रही है। इसके अलावा, केजी-डी6 से बिजली क्षेत्र को गैस की आपूर्ति बहुत कम पीएलएफ पर चल रही है जो 2019-20 के दौरान लगभग 23% और 2020-21 (अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021) के दौरान 24.4% थी।

आयातित प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी - रेगैसिफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस) को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा जाता है और गैस आधारित बिजली संयंत्र भी बिजली उत्पादन के लिए आरएलएनजी का उपयोग कर सकते हैं। तथापि, आरएलएनजी के उच्च मूल्य के कारण, आरएलएनजी पर उत्पादन की लागत घरेलू गैस की तुलना में काफी अधिक है, जिससे मेरिट ऑर्डर डिस्पैच की शेड्यूलिंग करना मुश्किल हो जाता है।"

1.41 जब गेल द्वारा गैस आधारित बिजली संयंत्रों के साथ कोई गैस आपूर्ति समझौता किया गया है के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :-

"एमओपीएनजी के समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस (एपीएम/गैर-एपीएम) आवंटन के अलावा, गेल ने ग्रिड को बिजली की आपूर्ति के लिए देश में निम्नलिखित गैस आधारित बिजली संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक आरएलएनजी समझौता किया है:

- आरजीपीपीएल, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)
- आईपीजीसीएल, दिल्ली
- पीपीसीएल, दिल्ली
- पीपीसीएल, बवाना
- एनटीपीसी (अंता)
- एनटीपीसी (औरैया)
- एनटीपीसी (दादरी)
- एनटीपीसी (फरीदाबाद)

इसके अलावा, समय-समय पर एनटीपीसी संयंत्रों, श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (उत्तराखंड) और गामा इंफ्राप्रॉप प्रा. लिमिटेड (उत्तराखंड) के साथ भी अल्पकालिक समझौता किया गया है। ऐसे सभी समझौते 6 से 7 एमएमएससीएमडी की सीमा में हैं। इन अनुबंधों के तहत वास्तविक ऑफटेक उनके बिजली ऑफटेक कार्यक्रम के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं।"

1.42 यह पूछे जाने पर कि क्या कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक कंपनियों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाती है, तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :-

"समय-समय पर एमओपीएनजी द्वारा जारी नीति और/या मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार उर्वरक उद्योगों को किए गए घरेलू गैस आवंटन के अनुसार यूरिया के उत्पादन के लिए

उर्वरक कंपनियों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है और शेष आवश्यकता आयातित आरएलएनजी से पूरी की जाती है।"

कोविड-19 का प्रभाव

1.43 राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत परियोजना की प्रगति पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :-

"पाइपलाइन कंपनियों" ने परियोजना पूरी करने के निर्धारित कार्यक्रम पर चल रही महामारी और संबंधित व्यवधानों के गंभीर प्रभाव के बारे में बताया है जो निम्नानुसार हैं:

(i) आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों को अपेक्षित जनशक्ति/श्रम की अनुपलब्धता। इसके अलावा, प्रवासी श्रमिकों के अपने गृह नगरों में लौटने के कारण पाइपलाइन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कुशल कर्मचारियों और श्रमिकों की कमी है। सामाजिक दूरी बनाए रखना कुछ और समय तक जारी रहने की संभावना है और इससे परियोजनाओं के निष्पादन की गति भी प्रभावित होगी।

(ii) लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण इकाइयों के बंद होने से लाइन पाइपों के विनिर्माण के लिए स्टील कॉइल की उपलब्धता में विलंब हो सकता है।

(iii) स्वास्थ्य आपात स्थिति के चलते व्यस्तता के कारण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया में विलंब की संभावना।

(iv) आरओयू अधिग्रहण अनुसूची की अधिसूचना में विलंब के कारण आरओयू सौंपने में विलंब और उसके परिणामस्वरूप मेनलाइन निर्माण कार्यों के पूरा होने में देरी और जन आपत्ति सुनवाई में असमर्थता।

(v) ईपीसीएम द्वारा इंजीनियरिंग कार्यकलापों की गति धीमी हो गई है। सामाजिक दूरी मानकों के चलते सर्वेक्षण कार्यों और बुनियादी इंजीनियरिंग कार्यकलापों को रोक दिया गया है।

(vi) वाल्व और नियंत्रण वाल्व, सर्ज रिलीफ सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, एससीएडीए और टेलीकॉम उपकरण जैसे विभिन्न प्रक्रिया उपकरणों में आवश्यक वाल्व और सब-ऑर्डर किए गए घटकों की प्राप्ति में विलंब।"

1.44 क्या गेल ने कोविड-19 राहत संबंधी कार्यकलापों के लिए पीएम-केयर फंड में कोई वित्तीय योगदान दिया है, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"गेल और उसके कर्मचारियों ने पीएम-केयर फंडमें लगभग 54 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, प्राप्त हुए अनुरोधों के आधार पर 4.8 करोड़ रुपये के राहत उपाय के रूप में सभी जिलों में जरूरतमंदों को पीपीई किट, मास्क, भोजन और राशन इत्यादि का वितरण जैसे कई सीएसआर उपाय किए गए थे।"

1.45 पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन्द्रधनुष गैस ग्रिड परियोजना की प्रगति और चल रही कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना में विलंब की संभावना के बारे में पूछे जाने परमंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"वर्तमान में विस्तृत सर्वेक्षण आरओयू का अधिग्रहण, आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करना, विस्तृत इंजीनियरिंग, कार्य पैकेज सहित लाइन पाइप की खरीद और अन्य आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए निविदा जैसे परियोजना कार्यकलाप चल रहे हैं। भारत सरकार ने परियोजना की लागत के 60% के लिए व्यवहार्यता में कमी संबंधी वित्तपोषण को भी मंजूरी दे दी है। पीएनजीआरबी का अंतिम रूप से प्राधिकार शीघ्र ही मिलने की उम्मीद है।

चल रही कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना से पहले किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है:

(i) अंतर जिला/अंतरराज्यीय आवा-जाही पर बार-बार पूर्ण/सप्ताहांत लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। असम और त्रिपुरा राज्य में आरओयू अधिग्रहण संबंधी कार्यकलाप जैसे 3 (i) अधिसूचना जारी करना और मिट्टी की जांच आदि प्रभावित हुए हैं।

(ii) मेघालय और मिजोरम राज्य में कैडस्ट्राल सर्वेक्षण संबंधी कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं।

(iii) नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण प्रभावित हुए हैं।

तथापि, आईजीजीएल कैच-अप योजना को कार्यान्वित करके कोविड-19 से जुड़ी अड़चनों के बावजूद परियोजना कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है ताकि समग्र परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रभावित नहीं हो।"

अध्याय-दो

पीएनजीआरबी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 19) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है), संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 31 मार्च, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई।

प्रस्तावना के अनुसार, अधिनियम में कच्चे तेल के उत्पादन को छोड़कर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों से संबद्ध उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी हिस्सों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रतिस्पर्धी बाजारों और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों को बढ़ावा दिया जा सके।

देश में प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और "एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड नीति" को लागू करने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबीने 30.09.2020 तक देश भर में लगभग 32,559 कि.मी. राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क को प्राधिकृत किया है, जिसमें से 17,016 कि.मी. पाइपलाइन प्रचालन में है और 15,543 कि.मी. पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने राजस्थान राज्य में लंगटला से पचपद्रा तक 290 कि.मी.प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विकसित करने के लिए बोली आमंत्रित की है, जो जीआईजीएल की मेहसाणा-भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ी है।

पीएनजीआरबी की संरचना

2.1 पीएनजीआरबी की संरचना और क्या बोर्ड के सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, के बारे में पूछे जाने परमंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

" बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (कानूनी) और तीन अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।

पिछले 5 वर्षों में बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

बोर्ड की संरचना, पीएनजीआरबी						
क्रमांक	अवधि	अध्यक्ष	सदस्य (कानूनी)	सदस्य (1)	सदस्य (2)	सदस्य (3)
1	2020-21	04.12.2020 से रिक्त	20.03.2020 से रिक्त	श्री सतपाल गर्ग	16.08.2017 से रिक्त	19.05.2020 से रिक्त
2	2019-20	श्री डीके सर्राफ	डॉ. एसएस चाहर (19.03.2020 तक)	श्री सतपाल गर्ग	16.08.2017 से रिक्त	श्री. एस.रथ
3	2018-19	श्री डीके सर्राफ	डॉ. एस.एस. चाहर	श्री सतपाल गर्ग	16.08.2017 से रिक्त	श्री. एस.रथ
4	2017-18	रिक्त- 1.4.2017 से 3.12.2017 श्री डीके सर्राफ (04.12.2017 से)	रिक्त- 1.4.17 से 3.12.17 डॉ. एस.एस. चाहर (04.12.17 से)	रिक्त- 1.4.17 से 26.7.17 श्री सतपाल गर्ग (27.07.17 से)	डॉ बासुदेव मोहंती - 15.08.17तक; 16.08.17 से 31.3.2018 तक रिक्त	रिक्त- 1.4.17 से 3.12.17 श्री. एस. रथ (04.12.2017 से)
5	2016-17	रिक्त	श्री एस.सी. बत्रा (31.12.16 तक) 01.01.2017 से रिक्त	श्री पी के बिश्नोई 02.07.2016 तक; 01.4.2016 से 03.7.2016 तक रिक्त	डॉ बासुदेव मोहंती	श्री के के झा (06.01.17 तक) 07.01.2017 से रिक्त

2.2 जब समिति ने यह जानना चाहा कि बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, मौखिक साक्ष्य के दौरान पीएनजीआरबी के प्रतिनिधियों ने निम्नवत जानकारी दी:

"मैं वास्तव में इस मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि इससे हमें भी मदद मिलती है और हम अच्छी तरह से काम करने में सक्षम हैं। आपने सही कहा कि श्री डी.के. सर्राफ महज 20 दिन पहले 3 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। तब तक हमारे पास कोरम था और हम काम कर रहे थे।. टोटल पांच की स्ट्रेंथ है और कोरम दो का है। यह प्रॉब्लम अभी पिछले 20 दिन में अराइज हुई है। उनके रटायर होने से पहले हमने एक काम किया या था कि बोर्ड ने कुछ फंक्शन्स मझु डेलीगेट कर दिए हैं। जिससे मैं उतना काम कर पा रहा हूँ । सिर्फ एक्ट के सै क्शन 58 में बार है कि रेग्यूलेशन बनाने के काम को डेलीगेट नहीं

किया जा सकता है। इसके अलावा मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बाकी डे-टू-डे वर्क कर सकते हैं, जिनको मैं कर पा रहा हूँ ।

आम तौर पर, किसी सदस्य या बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक होता है। श्री डी.के. सर्राफ, उनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का था और यह 3 दिसंबर को समाप्त हो गया। एक मै मेम्बर लीगल मार्च में रटायर हुए थे और दूसरे मेम्बर टेक्निकल मई में रटायर हुए थे। एक मै मेम्बर की पोस्ट अगस्त, 2017 से खाली है। इनके लिए प्रोसैस चल रहा है। वैसे तो इस काम को मिनिस्ट्री करती है, लेकिन अभी दो मै मेम्बर के विजलेंस क्लीयरसें वगैरह का काम चल रहा है। मै म्बर लीगल के लिए कोई स्यूटेबल पसर्न नहीं मिला था इसिलए इसको रीएडवटाईज कर रहे हैं। चेयरमैन के लिए भी अप्लीकशंस ऑलरडी आ चुकी हैं और उनके अपॉइं टमेंट का भी प्रोसैस चल रहा है।"

2.3 जब पीएनजीआरबी की रिक्ति की स्थिति और ये रिक्तियां कब हुईं और इसे भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रक्रिया कब तक पूरी होने की उम्मीद है पर एक अद्यतन नोट प्रस्तुत करने को कहा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:-

"वर्तमान में बोर्ड में एक सदस्य है। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन और उनकी नियुक्ति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है। पीएनजीआरबी में सदस्य (सदस्यों) और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अग्रिम चरण में है।"

2.4 क्या पीएनजीआरबी यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय बहुमत के साथ लिए जाते हैं और कोरम की समस्या का समाधान कर लिया जाता के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

" बोर्ड की बैठकों के लिए वैधानिक दायित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2007 द्वारा शासित होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. अध्यक्ष सहित बोर्ड के तीन सदस्य या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, बोर्ड की बैठक की कार्रवाई करने के लिए कोरम पूरा करेंगे:

   बशर्ते, यदि बोर्ड में किसी भी समय रिक्ति या किसी अन्य कारण से पांच से कम सदस्य होते हैं, तो बोर्ड के दो सदस्य, अध्यक्ष सहित या उनकी अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, बोर्ड की बैठक संबंधी कार्रवाई करने के लिए कोरम को पूरा करेंगे।

2. बोर्ड की किसी भी बैठक से पहले आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य, दूसरा या निर्णायक वोट करेंगे:

बशर्ते कि, ऐसी बैठक के मामले में जहां अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में केवल दो सदस्य उपस्थित हों, बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य, जो विधिवत गणपूर्ति का गठन करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, का दूसरा या निर्णायक वोट होगा।"

<u>पीएनजीआरबीकाअधिदेश/कार्य</u>

2.5 समिति नोट करती है कि पीएनजीआरबी के अधिदेश में अधिसूचित पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। हालांकि, यह भी बताया गया है कि अभी तक किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद या प्राकृतिक गैस को अधिसूचित नहीं किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या पीएनजीआरबी पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करता है, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

चूंकि सरकार द्वारा किसी भी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को अधिसूचित नहीं किया गया है, बोर्ड पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उल्लिखित निम्नलिखित कार्यों को नहीं कर रहा है ।

(क) अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए और, केंद्र सरकार के संविदात्मक दायित्वों के अधीन, प्राकृतिक गैस के विपणन हेतु कंपनियों का पंजीकरण;

(ख) अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के संबंध में कार्य -

i. पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;
ii. खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमतों के बारे में जानकारी का प्रदर्शन सुनिश्चित करना;
iii. कीमतों की निगरानी करना और कंपनियों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करना;
iv. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सुरक्षित समान वितरण;
v. विनियमों के अनुसार, खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए खुदरा सेवा दायित्वों और कंपनियों के लिए विपणन सेवा दायित्वों को लागू करना;
vi. परिवहन दरों की निगरानी करना और कंपनियों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना। "

2.6 पीएनजीआरबी की शक्तियों और अधिसूचित किए गए नियमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11 से ली गई बोर्ड की वर्तमान शक्तियां और कार्य बताते हैं कि बोर्ड:

क. कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा;

ख. कंपनियों को पंजीकृत करेगा--

i. बाजार अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और, केंद्र सरकार के संविदात्मक दायित्वों के अधीन, प्राकृतिक गैस; *

ii. तरलीकृत प्राकृनिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और प्रचालन;

iii. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के लिए ऐसी क्षमता से अधिक भंडारण सुविधाएं स्थापित करना जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

ग. कंपनियों को अधिकृत करना–

i. एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक रखना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना;

ii. शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, बनाना, संचालित करना या विस्तार करना;

घ. पाइपलाइनों को सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में घोषित करना;

ङ. विनियमन, विनियमों द्वारा, -

i. सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक तक पहुंच ताकि कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके और उस उद्देश्य के लिए पाइपलाइन एक्सेस कोड निर्दिष्ट किया जा सके;

ii. सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के लिए परिवहन दरें;

iii. शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुंच ताकि पाइपलाइन एक्सेस कोड के अनुसार कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके;

च. पेट्रोलियम अधिसूचित, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के संबंध में -*

i. पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ii. खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमतों के बारे में जानकारी का प्रदर्शन सुनिश्चित करना;

iii. कीमतों की निगरानी करना और कंपनियों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करना;

iv. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सुरक्षित समान वितरण;

v. विनियमों द्वारा प्रदान करना, और खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए खुदरा सेवा दायित्वों और कंपनियों के लिए विपणन सेवा दायित्वों को लागू करना;

vi. परिवहन दरों की निगरानी करना और कंपनियों द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना;

छविनियमों द्वारा निर्धारित शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही करना;

ज. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों पर सूचना का डेटा बैंक बनाए रखना;

झ. विनियमों द्वारा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टताओं को निर्धारित

करना, जिसमें डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण और संचालन शामिल है;

ञ. ऐसे अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकते हैं। 01.07.2020 को, सरकार ने अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्देश जारी किया, जिसमें गैस ट्रेडिंग एक्सचेंजों की स्थापना और संचालन को विनियमित करने के लिए पीएनजीआरबी को अधिनियम की धारा 11 (जे) के तहत कार्य सौंपा गया।

*चूंकि सरकार द्वारा किसी भी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को अधिसूचित नहीं किया गया है, बोर्ड उपरोक्त (ख) (i) और (च) जैसे कार्यों को करने की स्थिति में नहीं है।

बोर्ड के पास शिकायतों और विवादों के समाधान के संबंध में कुछ शक्तियां भी हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(1) बोर्ड का अधिकार क्षेत्र होगा:

(क) अध्याय V के प्रावधान के अनुसार, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री से संबंधित मुद्दों पर संस्थाओं या किसी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मामले पर फैसला सुनाना और उन पर निर्णय देना, जब तक कि पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत न हों;

(ख) किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त करने और निम्नलिखित के उल्लंघन पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ और जांच करने-

(i) खुदरा सेवा दायित्व;

(ii) विपणन सेवा दायित्व;

(iii) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर खुदरा मूल्य का प्रदर्शन;

(iv) निबंधन और शर्तें जिनके अधीन एक पाइपलाइन को सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में घोषित किया गया है या अन्य कंपनियों के लिए किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुंच की अनुमति दी गई है, या किसी कंपनीको पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने के लिए प्राधिकार दिया गया है, एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में एक पाइपलाइन का विस्तार या प्रचालन या किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, विस्तार या प्रचालन के लिए प्राधिकार दिया गया है;

(v) इस अधिनियम का कोई अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियम या विनियम या आदेश।

(2) उप-धारा (1) के तहत शिकायत का निर्णय करते समय, बोर्ड ऐसे आदेश पारित कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे या पीएनजीआरबी अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार मामले को जांच के लिए संदर्भित कर सकता है।

नियम जिन्हें अधिसूचित किया गया है वे हैं:

1. पीएनजीआरबी (वेतन, भत्ते और अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006
2. पीएनजीआरबी (सचिव के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006
3. पीएनजीआरबी (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2006
4. पीएनजीआरबी (मुआवजे का भुगतान) नियम, 2006
5. पीएनजीआरबी (अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ जांच करने के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया) नियम, 2006
6. पीएनजीआरबी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल के पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तें) नियम, 2012
7. पीएनजीआरबी (लेखाओं और अभिलेखों का वार्षिक विवरण) नियम, 2017
8. पीएनजीआरबी (वेतन, भत्ते और अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 ।"

2.7 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय पेट्रोलियम क्षेत्र में पीएनजीआरबी की भूमिका बढ़ाने की योजना बना रहा है, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीएनजीआरबी के धन/राजस्व के स्रोत

2.8 पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएनजीआरबी के धन के स्रोत/राजस्व और इसके बजटीय आवंटन, वार्षिक आय, लाभप्रदता और विभिन्न लेखाओं पर खर्च किए गए धन के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"पीएनजीआरबी के फंड/राजस्व के स्रोत, बजटीय आवंटन, वार्षिक आय, लाभप्रदता और खर्च की गई धनराशि नीचे सारणीबद्ध हैं:

रुपए करोड़ में

	2017-18	2018-19	2019-20
बजटीय आवंटन			
वेतन शीर्ष	7.97	10.47	9.19
सामान्य शीर्ष	10.37	18.25	9.90

कुल सहायता अनुदान	**18.34**	**28.72**	**19.09**
पीएनजीआरबी के धन/राजस्व का स्रोत			
अन्यप्रभारों की उगाही	2.56	4.13	23.4
जमा पर ब्याज	7.45	12.29	17.72
दंड	27.57	1.55	4.04
अन्य रसीदें छोड़कर अनुदान	0.98	75.21	2.44
कुल आय	**38.56**	**93.18**	**47.60**
प्राप्त सहायता अनुदान	**18.34**	**28.72**	**19.09**
वार्षिक आय	**56.90**	**121.90**	**66.69**
विभिन्न खातों पर खर्च किया गया फंड			
वेतन शीर्ष	9.36	13.55	12.69
सामान्य शीर्ष	16.51	26.25	8.87
कुल खर्च की गई राशि *	**25.87**	**39.80**	**21.56**
लाभप्रदता	**31.03**	**82.10**	**45.13**

** प्राप्त सहायता अनुदान से अधिक व्यय पर खर्च की गई राशि को पीएनजीआरबी फंड से पूरा किया गया है।*

2.9 मौखिक साक्ष्य के दौरान बजट आवंटन के अलावा राजस्व के अन्य स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर आगे बताया गया कि:

"जहां तक धन के स्रोत का संबंध है, हम अब कमोबेश आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास अन्य शुल्कों से राजस्व है और हम उन कंपनियों पर कुछ दंड लगाते हैं जो कार्यनिष्पादन में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, ये निधियां हमारे दिन-प्रतिदिन के खर्च की जरूरतों को पूरा करती हैं। इसलिए, हमारे पास जो भी बजट है, हम उसे अपने राजस्व से पूरा करने मेंसक्षम हैं। हम अपने आंतरिक संसाधनों से पीएनजीआरबी के पूरे बजट को पूरा कर रहे हैं।"

<u>सीजीडी प्रगति के विनियामक प्रावधान</u>

2.10 सीजीडी परियोजनाओं की निगरानी के लिए विनियामक प्रावधान:

(क) प्राधिकृत संस्था विनियमों में निर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगी और ऐसा करने में किसी भी विफलता को विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। तदनुसार, संस्थाओं को नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप में बोर्ड को जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। बोर्ड प्रस्तुतियों के अनुरूप सीजीडी नेटवर्क परियोजना के संबंध

में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्था की प्रगति की निगरानी करता है, और किसी भी विचलन या कमी के मामले में, संस्थाओं को प्रगति समीक्षा बैठक में बुलाकर उन्हेंल उपचारात्मक कार्रवाई की सलाह देता है या उनके प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में इंच-कि.मी.पाइपलाइन और पीएनजी कनेक्शन बिछाने के संबंध में उपलब्धियों के बारे में और नवीनतम स्थिति पर चर्चा करने के लिए मौजूदा विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत वैधानिक सुनवाई करता है। यदि प्राधिकृत संस्था अवसर दिए जाने के बावजूद,प्राधिकार की निबंधन एवं शर्तों में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने या उसका पालन करने में विफल रहती है, तो मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। पीएनजीआरबी अपनी नवीनतम घटनाक्रमों और प्राधिकृत सीजीडी परियोजना को लागू और क्रियान्वित करने में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येेक प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क के लिए समीक्षा बैठक आयोजित करता है/ सुनवाई करता है।

(ख) यदि प्रभावित पक्ष या अपने स्वयं के आवेदन पर बोर्ड, इस बात से संतुष्ट हैं कि प्राधिकृत संस्था प्राधिकार की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रही है, तो वह ऐसी अवधि के लिए प्राधिकार को निलंबित कर सकती है या अधिनियम की धारा **23,** अर्थात निलंबन या प्राधिकार रद्द करना,के अनुसार प्राधिकार को रद्द कर सकती है।

<u>सीजीडी नेटवर्क तक खुली पहुंच:</u>

2.11 सीजीडी मार्गदर्शी सिद्धांतों की अधिसूचना और सीजीडी पहुंच संहिता विनियमों में संशोधन किए जाने से अब सीजीडी नेटवर्क में सीजीडी व्यवसाय खोलने का प्रावधान उपलब्ध हैं।

ये विनियम खुली पहुंच को नियंत्रित करने और निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हित की रक्षा करने के लिए हैं। सीजीडी नेटवर्क, जिसकी विपणन विशिष्टता समाप्त हो गई है, को सामान्य वाहक या संविदावाहक घोषित करने पर, इन प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए तीसरे पक्ष को खुली पहुंच प्रदान की जाएगी। इससे सीजीडी नेटवर्क का समग्र विकास और भारत की ऊर्जा बॉस्केनट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी।

पीएनजीआरबी अब सीजीडी नेटवर्कों को सामान्य वाहक या संविदा वाहक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगा, जिसने अपनी विशिष्टता अवधि पूरी कर ली है।

<u>सीजीडी के लिए ऑनलाइन पोर्टल</u>

2.12 (क) पीएनजीआरबी ने देश भर में प्राधिकृत नगर गैस वितरण नेटवर्क, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में, नगर गैस वितरण(सीजीडी) नेटवर्क के लिए ऑनलाइन पोर्टल का विकास कार्य कार्यान्वित किया गया है।

(ख) प्रणाली, जिसे विकसित और लागू किया गया है, में देश में सीजीडी अवसंरचना की प्रभावी निगरानी की परिकल्पना की गई है और यह समय-समय पर आवश्यक विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के निर्माण में भी मदद करेगी।

(ग) ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल देश में सभी प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्कों के लिए विभिन्न मापदंडों जैसे पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शनों, पाइपलाइन अवसंरचना, सीएनजी स्टेशनों और प्राकृतिक गैस की बिक्री आदि का संकलन और निगरानी शामिल है।

सेवा की गुणवत्ता:

2.13 संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, पीएनजीआरबी ने "पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता की आचार संहिता) विनियम, 2010" को अधिसूचित किया है। ये विनियम भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकृत संस्थाष द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के न्यूनतम स्तरों के अलावा,उपभोक्ताओं तथा जनता एवं उपभोक्ताओं के दायित्वों के लिए विश्वसनीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता को निर्धारित करते हैं।

2.14 पीएनजी/सीजीडी नेटवर्क में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए पीएनजीआरबी बोर्ड की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:
"पिछले पांच वर्षों में पीएनजी और सीएनजी की खपत में लगातार वृद्धि हुई है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, पीएनजीआरबी के पास प्राकृतिक गैस के आवंटन पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आवंटन एमओपीएनजी द्वाराकिया जाता है, इसलिए यह डेटा एमओपीएनजी द्वारा प्रदान किया जा सकता है।"

<u>गैस एक्सचेंज</u>

2.15 यह पूछे जाने पर कि क्यापीएनजीआरबी गैस एक्सचेंज के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा है और क्या इसके लिए आवश्यक अनुमोदन ले लिया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

क. "पीएनजीआरबी को दिनांक 01 जुलाई 2020 के पत्र द्वारा पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के नियम 42 के तहत नीतिगत दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार केन्द्र सरकार धारा 11 (जे) के तहत ऐसे गैस विनिमय केन्द्र (केन्द्रों) की स्थापना के विनियमन और उनके प्रचालन का कार्य प्रदान करती है जिससे उम्मीद है कि देश गैस आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने के लिए मुक्त गैस बाजार बनाकर सुरक्षित ढंग से प्राकृतिक गैस के समान वितरण और उपलब्धता बढ़ाए।इस संबंध में, पीएनजीआरबी ने देश में गैस एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए 02.12.2020 को इंडिया गैस एक्सचेंज को अधिकृत किया है।

ख. गैस एक्सचेंज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं, एग्रीगेटर्स, मार्केटर्स, व्यापारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं और ग्राहकों को एक साथ लाता है और

बाजार को वास्तविक समय में और खुले, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एकीकृत करता है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की तरह, गैस की कीमत कई विक्रेताओं और खरीदारों की बातचीत से निर्धारित होती है। विक्रेताओं के पास कोई पैमाना नहीं है कि उनके संभावित खरीदार कौन हैं। इसलिए एक एक्सचेंज पर निर्धारित गैस की कीमत को एक आर्म्स लेंथ, पारदर्शी, वास्तव में प्रतिस्पर्धी रूप से खोजे गए बाजार मूल्य के रूप में माना जाता है।

ग. इसके अलावा गैस एक्सचेंज पर अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाकर बाजार में गैस की तरलता बढ़ाने के लिए सरकार से निम्नलिखित निर्णय लेने की आवश्यकता है:

i. गैस आवंटन/उपयोग नीति में संशोधन ताकि गैस एक्सचेंज में व्यापार के लिए प्राकृतिक गैस का पर्याप्त प्रतिशत उपलब्ध हो सके;
ii. शुरू में कानूनी पृथक्करण के साथ गैस परिवहन और विपणन कार्यों को अलग करना और स्वामित्व पृथक्करण के लिए रोडमैप तैयार करना;
iii. एक स्वतंत्र ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर (टीएसओ) या एनजीजीएमएस स्थापित करने के लिए।
iv. प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए मद-तीन के तहत एक स्वतंत्र टीएसओ की स्थापना माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2021 के बजट भाषण में इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। अन्य मदों पर अभी सरकार की ओर से फैसला आना बाकी है।"

2.16 इसके अलावा, मौखिक साक्ष्य के दौरान उक्त मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि:

"हमने सितम्बर, 2020 में गैस एक्सचेंज रेगुलेशंस बनाए हैं। हमने 2 दिसंबर, 2020 को इंडियन गैस एक्सचेंज नामक एक कंपनी को गैस एक्सचेंज ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज किया है। अभी तक इंडिया में गैस का प्राइस सरकार फिक्स करती है या फिर बिडिंग के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जहां भी गैस प्राइसिंग फ्रीडम की आज़ादी है। हमें गैस एक्सचेंज के आने से एक प्लेटफार्म मिल गया है। हम इसके थ्रू मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने रिसेंटली एलएनजी स्टेशंस पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि एलएनजी स्टेशंस कोई भी सेटअप कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑथराइज्ड एनटिटी ही एलएनजी स्टेशंस लगा सकती है। अगर कोई चाहता है तो वह किसी भी एरिया में एलएनजी स्टेशंस लगा सकता है। आदरणीय मंत्री जी ने रिसेंटली में 50 एलएनजी स्टेशंस का उद्घाटन किया था। यह एक शुरुआत है और अगले चार-पांच वर्षों में देश में 1,000 नए एलएनजी स्टेशंस आ सकते हैं। इसके साथ ही देश में काफी इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा"।

<u>पीएनजीआरबी और पाइपलाइन परियोजनाएं</u>

2.17 यह पूछे जाने पर कि पीएनजीआरबी के पास पाइपलाइन बिछाने के लिए कितनी अनुज्ञप्तियां लंबित हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"वर्तमान में, बोर्ड के पास तीन टाई-इन कनेक्टिविटी का प्राधिकार दिया जाना लंबित है, जिस पर बोर्ड का कोरम उपलब्ध होने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

क्रमांक	टाई-इन कनेक्टिविटी का नाम	सत्ता	प्राप्ति की तिथि	विवरण
1.	बोकारो सीबीएम ब्लॉक से जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल)	गेल	04.05.2020	लंबाई: 23 किमी व्यास: 12" क्षमता: सामान्य वाहक सहित 0.991 एमएमएससीएमडी
2.	झरिया सीबीएम ब्लॉक से जेएचबीडीपीएल पाइपलाइन	गेल	04.05.2020	लंबाई: 6 किमी। व्यास: 8" क्षमता: सामान्य वाहक सहित 0.869 एमएमएससीएमडी
3.	स्वान एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड का एफएसआरयू आधारित एलएनजी टर्मिनल, जाफराबाद से जीपीपीसी टर्मिनल, जाफराबाद	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल)	20.11.2019	लंबाई: 3 किमी। व्यास: 30" क्षमता: सामान्य वाहक सहित 18 एमएमएससीएमडी

पीएनजीआरबी ने निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विकास के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं, जिन्हें बाद में प्रत्येक पाइपलाइन की बोली मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने पर सफल कंपनियों को अधिकृत किया जाएगा:

क्रमांक	पाइपलाइन का नाम	बोली जमा करने की तिथि	बोली खुलने की तिथि	पाइपलाइन का विवरण
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन				
1.	लंगटाला - पचपदरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	01.12.2020	01.07.2021	लंबाई: 290 किमी क्षमता: 4 एमएमएससीएमडी
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन				
2.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), नवी मुंबई से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एटीएफ) पाइपलाइन	10.09.2020	10.05.2021	लंबाई: 15 किमी। क्षमता: 2 एमएमटीपीए
3.	देवांगोंथी - चित्रदुर्ग (कर्नाटक) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	10.06.2019	28.10.2019	लंबाई: 230 किमी क्षमता: 1 एमएमटीपीए

	(डीसीपीएल) *			

(* डीसीपीएल पाइपलाइन वित्तीय बोली मूल्यांकन चरण में है जिसके लिए एपीटीईएल द्वारा लगाए गए स्थगन हटने के बाद प्राधिकार प्रदान किया जाएगा)

उपरोक्त के अलावा, पीएनजीआरबी को निम्नलिखित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) / प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर बोर्ड उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता और आपूर्ति/मांग परिदृश्य के आधार पर निर्णय लेगा:

क्रमांक	पाइपलाइन का नाम	सत्ता	ईओआई की प्राप्ति की तिथि	पाइपलाइन का विवरण
प्राकृतिक गैस पाइपलाइन				
1.	जामनगर-द्वारका प्राकृतिक गैस स्परलाइन	जीएसपीएल	18.01.2021	लंबाई: 100 किमी क्षमता: 3 एमएमएससीएमडी व्यास: 18"
2.	कोंडापल्ली-तिरुपति प्राकृतिक गैस पाइपलाइन	गेल	17.11.2020	लंबाई: 450 किमी क्षमता: 4 एमएमएससीएमडी
3.	अंजार-पालनपुर प्राकृतिक गैस स्परलाइन	जीएसपीएल	21.12.2020	लंबाई: 274 किमी क्षमता: 12 एमएमएससीएमडी व्यास: 30"
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन				
4.	पलवल से जेवर एयरपोर्ट पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एटीएफ) पाइपलाइन	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.12.2020	लंबाई: 36 किमी क्षमता: 2.5 एमएमटीपीए व्यास: 14 "
5.	कांडला-समाखियाली पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एलपीजी) पाइपलाइन	आईएमसी लिमिटेड	17.10.2018	लंबाई: 70 किमी क्षमता: 1.2 एमएमटीपीए
6.	पारादीप से हैदराबाद पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन *	एएआरडीवीएआरके डवेल्पर्स एलएलपी एंड एच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	09.05.2017	लंबाई: 1150 किमी क्षमता: 4.5 एमएमटीपीए
7.	पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर-पटना-मुजफ्फरपुर-रक्सल	एर्डवार्क डेवलपर्स एलएलपी	10.04.2017	लंबाई: 1388 किमी क्षमता: 1.5 एमएमटीपीए

	पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन *			
8.	एन्नोर से मदुरै पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन *	आईएमसी लिमिटेड	20.12.2016	लंबाई: 526 किमी क्षमता: 1.5 एमएमटीपीए
9.	धामरा से आसनोल/दत्तपुलिया पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (एलपीजी) पाइपलाइन *	अदानी गैस लिमिटेड	02.04.2016	लंबाई: 650 किमी क्षमता: 1.60 एमएमटीपीए

(* इन ईओआई को होल्ड पर रखा गया है क्योंकि आईओसीएल उसी रूट पर पाइपलाइन बिछा रहा है)

2.18 यह पूछे जाने पर कि पिछले पांच वर्षों में पीएनजीआरबी ने इस विजन को कहां तक साकार किया है, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी :

"अखिल भारतीय आधार पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में, पीएनजीआरबी ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 9959 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 5210 किमी लंबी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को अधिकृत किया है।

31.03.2017 तक, देश भर में लगभग 35.22 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन और 1,141 सीएनजी स्टेशन चालू थे। इसके अलावा, 28.02.2021 तक, देश भर में 76.05 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन हैं और 2,830 सीएनजी स्टेशन चालू हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, देश के गैस बुनियादी ढांचे में लगभग 40.83 लाख पीएनजी घरेलू कनेक्शन और 1,689 सीएनजी स्टेशन जोड़े गए हैं।"

2.19 किसी भी गैस वितरण नेटवर्क के लिए पाइपलाइन बिछाने के संबंध में पीएनजीआरबी को हो रही समस्याओं के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी :

> "पाइपलाइन (स्टील और एमडीपीई) बिछाना सीजीडी नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और इसे पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। समीक्षा बैठकों और अन्य संवादों के दौरान विभिन्न निकायों के साथ बातचीत के आधार पर, सीजीडी संस्थाओं ने बताया है कि उन्हें राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – केंद्रीय और राज्य, वन विभाग, सिंचाई विभाग, एनएचएआई, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेलवे, एसईजेड, पीईएसओ आदि जैसे कई सांविधिक प्राधिकरणों से समयबद्ध तरीके से विभिन्न अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और विभिन्न राज्यों में सीजीडी नेटवर्क के विकास में उनके सामने आने वाली यह बड़ी बाधा है।"

2.20 यह पूछे जाने पर कि पाइपलाइन बिछाने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने में क्या समस्याएँ आ रही हैं और पीएनजीआरबी को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

" विभिन्न सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमति / मंजूरी प्राप्त करना, प्राधिकृत कम्पनी की एकमात्र जिम्मेदारी है। हालांकि, परियोजना को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, जब कभी भी आवश्यकता होती है, पीएनजीआरबी अक्सर संबंधित अधिकारियों को इसे शीघ्र निपटान करने के लिए अनुरोध भेजता है।"

<u>मुक़दमेबाज़ी</u>

2.21 यह पूछे जाने पर कि क्या पीएनजीआरबी और सीजीडी कंपनियों के बीच मुकदमेबाजी की कोई घटना हुई है और ऐसी कानूनी कार्यवाही का परिणाम क्या रहा है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

" जी हां, पीएनजीआरबी और सीजीडी कंपनियों के बीच मुकदमे लंबित हैं, एपीटीईएल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को दबाने वाली सूची का विवरण **<u>अनुबंध - सात</u>** में दिया गया है ।
कार्यवाही का परिणाम मामला-दर-मामला आधार पर भिन्न होता है, हालांकि, सीजीडी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मामलों की सूची **<u>अनुबंध-आठ</u>** में प्रदान की जाती है ।"

2.22 यह पूछे जाने पर कि पीएनजीआरबी के पास/उसके विरुद्ध कितने मुकदमें लंबित हैं और इन मामलों में बचाव के लिए क्या तंत्र है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी दी :

"पीएनजीआरबी ने विभिन्न मंचों के समक्ष अपनी सहायता और प्रतिनिधित्व के लिए वकीलों का एक पैनल तैयार किया है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी विद्वत भारत के महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता से सहायता/कानूनी सलाह भी लेता है।"

2.23 मौखिक साक्ष्य के दौरान इस मामले को और आगे स्पष्ट करते हुये यह बताया गया कि:

"... हमारे पास अच्छी संख्या में मुकदमे हैं क्योंकि संस्थाओं को छोटे-छोटे बहाने से अदालत जाने की आदत है। एपीटीईएल में 36मामले हैं। उच्च न्यायालय में, हमारे 25 और उच्चतम न्यायालय में हमारे पास 12 मामले हैं। एपीटीईएल वह निकाय है जिसके

विरुद्ध पीएनजीआरबी की अपील की जाती है और इसके बाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है।

... इसलिए, पीएनजीआरबी में मुकदमेबाजी प्रणाली में, लोग एपीटीईएल जा सकते हैं जो पीएनजीआरबी और बिजली क्षेत्र के मामलों को संभालने के लिए एक विशेष टर्मिनल है। तो, यह है एपीटीईएल। इसके बाद, यह उच्चतम न्यायालय में जाता है।"

2.24 आर्बिट्रेशन के संबंध में स्पष्ट करते हुये आगे यह भी बताया गया कि:

"... आर्बिट्रेशन वाले केसेज़ हमारे परव्यू में नहीं आते हैं, लेकिन लिटिगेशन के केसेज़ या तो एपटेल में होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। वहां हम अपने आपको डिफेंड करते हैं। हमारा सक्सेस रेट ठीक-ठाक ही है, अच्छा है तो लिटिगेशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है"।

2.25 जब समिति ने यह जानने की इच्छा जताई कि क्या पीएनजीआरबी मामलों के बचाव के लिए किसी विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति कर रहा है, तो यह बताया गया कि:

"हमारे पास अधिवक्ताओं का एक पैनल है जिसे हम एपीटीईएल में मामलों को संभालने के लिए नियुक्त करते हैं। कभी-कभी, हम उन मामलों के लिए भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हैं, जिसके लिए हमारे पास एक निश्चित पैनल नहीं है। इसलिए, मामले को देखते हुए, हम अधिवक्ताओं को नियुक्त करते हैं"।

2.26 पीएनजीआरबी द्वारा अपनाए गए विवाद समाधान तंत्र पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ,मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"वर्तमान में पीएनजीआरबी से संबंधित मामलों में एडीआर तंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी धारा 25 के अनुसार शिकायतकर्ता का न्यायनिर्णयन करता है और अधिनियम की धारा 24 के अनुसार विवादों का निपटारा/निर्णय करता है।"

2.27 यह पूछे जाने पर कि पेट्रोलियम क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों जैसे पेट्रोलियम वस्तुओं के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा बिछाने और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण और विपणन में प्रतिस्पर्धी कम्पनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार कार्य को सुनिश्चित करने में बोर्ड समान अवसर कैसे सुनिश्चित करता है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"कंपनियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, पीएनजीआरबी ने सामान्य वाहक पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्कों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनजीपीएल एक्सेस कोड विनियमों और सीजीडी एक्सेस कोड विनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।

पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए ऑपरेटिंग कोड और मानक जीटीए सहित यूनिफॉर्म एक्सेस कोड को संशोधित करने की प्रक्रिया कर रहा है ताकि, सभी सामान्य वाहक और अनुबंध वाहक क्षमता को एक स्वतंत्र ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर (टीएसओ) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से बुक किया जा सके।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन करने या उसका विस्तार करने, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कम्पनियों को अधिकृत करने के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन करता है।

आज की तारीख के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है, तदनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से संबंधित गतिविधियां पीएनजीआरबी के दायरे में नहीं हैं।"

2.28 यह पूछे जाने पर कि निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने पर कितने संविदाकारों को दंडित/काली सूची में डाला गया है और कितना जुर्माना लगाया गया है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

" एनजीपीएल, पीपीपीएल और सीजीडी प्राधिकरण विनियमों के अनुसार, बोर्ड मौजूदा विनियमों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राधिकृत कम्पनी को उचित समय देगा। हालांकि, कम्पनी द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करने में असफल होने पर, बोर्ड विनियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।"

सुरक्षा संबंधी मुद्दे

2.29 गैस स्टेशनों की सुरक्षा में सुधार के लिए हाल ही में की गई पहल के बारे में पूछे जाने पर, पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"..... हम लोग सेफ्टी पर काफी काम कर रहे हैं। इसे टी-4 एस रेगुलेशंस बोलते हैं। हमने टेक्नोलॉज़िकल चेंजेंज पर बेस्ड कई सारे रेगुलेशंस को अपडेट किया है। कई नए रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। जैसे पहले पेट्रोलियम इंस्टालेशन के लिए सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं थे। हमने उनके लिए नए रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे ऑयल टर्मिनल्स होते हैं, डीपोज़ होते हैं, वहां क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए, उसके लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। पहले एलएनजी डिस्पेंसिंग के लिए भी सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं थे, वह भी बनाए गए हैं।

हमने अमेरिकन सोसायटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रतिष्ठित रेगुलेटर है। उनके साथ एमओयू करने से यह फायदा होगा कि जो डेवलपमेंट्स वहाँ होंगी, हम उनको इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं।

इसी तरह से, सेफ्टी रेगुलेशन बनाने के बाद यह चेक करना होता है कि उन रेगुलेशंस को कम्पनीज फॉलो कर रही हैं या नहीं? उसके लिए हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसीज एप्वॉइंट करते हैं। लगभग 70 ऐसी इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, जो इन एनटिटीज को इंस्पेक्ट करती हैं कि वे सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं?

एक एमरजेंसी रिस्पांस डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम (ईआरडीएमपी) है। एनटिटीज के लगभग 500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, जिनको टीपीआइज के द्वारा चेक करवाए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को कम्पनीज के बोर्ड्स ने भी अप्रूव कर दिए हैं"।

2.30 पिछले पांच वर्षों में सीएनजी और पीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों/पाइपलाइनों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और दुर्घटनाओं का स्वरूप क्या है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"कम्पनियों ने यह बताया है कि पिछले 5 वर्षों में सीएनजी और पीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों /पाइपलाइनों में निम्नलिखित प्रमुख दुर्घटनाएं हुई हैं:

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
दुर्घटनाओं की संख्या	31	16	16	12	15

2.31 जब समिति ने मुख्य प्रकार की दुर्घटनाओं और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में और आगे जानने की इच्छा जताई, तो पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"...जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो हमने बड़ी दुर्घटना को ऐसी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया है जिसमें मौत हुई है या आग 15 मिनट से अधिक समय तक लगी रही है या इससे संयंत्र बंद हो गया है या 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इसलिए, हमारे पास ईआरडीएमपी, एमेर्जेंसी रेस्पोंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नामक एक परिभाषित विनियमन है। इसमें हमने परिभाषित किया है कि इनमें से किन दुर्घटनाओं की जांच संबंधित इकाई द्वारा की जानी है। हमने परिभाषित किया है कि उन्हें किस प्रकार की समिति का गठन करना है। उन्हें अपनी सिफारिशें हमें देनी होंगी। कुछ प्रमुख घटनाओं में जहां हम पाते हैं कि आपदा बहुत बड़ी है या हम पाते हैं कि इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में, हम अपनी जांच टीम नियुक्त करते हैं और वह जांच दल घटना की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपता है। उस रिपोर्ट में वे कवर करते हैं, कि विफलता के कारण क्या हैं और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या सिफारिशें हैं। वे इसकी पहचान करते हैं। दुर्घटनाओं से संबन्धित इन सिफारिशों को एकत्रित किया जाता है और बैठकों के माध्यम से उद्योग के साथ साझा किया जाता है और हम इसे अपने पोर्टल पर वेबहोस्ट भी करते हैं ताकि हर कोई उस पर कार्रवाई कर सके। हम इन सिफारिशों के अनुपालन के लिए उद्योग के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी करते हैं।

इसके अलावा, इन समितियों की रिपोर्ट संबंधित इकाई के बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है ताकि पूरी कंपनी बोर्ड इसका संज्ञान ले सके और बोर्ड की कार्रवाई रिपोर्ट को फिर से पीएनजीआरबी को प्रस्तुत किया जा सके। इसलिए प्रणाली को मजबूत किया गया है। विगत में हमने देखा था कि घोर लापरवाही के कारण 2014 में गेल, टाटीपका में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें बोर्ड ने अधिनियम के अनुरूप विनियमन का पालन न करने के लिए निकाय पर जुर्माना भी लगाया था। तो, इस प्रकार हमारे पास एक बहुत ही सुसंगठित प्रणाली है और हम नियमित रूप से उद्योग के साथ क्षमता

निर्माण कार्यशाला आयोजित करते हैं जहां इन घटनाओं से संबन्धित जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है और इससे मिली सीख साझा की जाती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इस पर तकनीकी विशेषज्ञ अपने विचार साझा करते हैं। यदि हमारे विनियमों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हम अपने विनियमों को बदलते और अद्यतित करते हैं।"

2.32 इन दुर्घटनाओं के संबंध में की गई कार्रवाई और ऐसी घटनाओं से प्रभावित लोगों को भुगतान किए गए मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"अधिकांश दुर्घटनाएं निम्न कारण से हुई: -

1. कम्पनी की जानकारी के बिना विभिन्न सेवा प्रदाताओं/तीसरे पक्ष द्वारा किए गए उत्खनन कार्यों के कारण भूमिगत गैस लाइनों के टूटने/दराद पडने/रिसाव के कारण आग लगना।
2. एमडीपीई (प्लास्टिक) लाइनों पर कचरे का निष्कासन और बाद में कचरे को जलाने से गैस लाइनों में आग लगना।
3. वाहन मालिक द्वारा नकली के प्रयोग के कारण सिलिंडर में सीएनजी भरते समय सिलिंडरों का फटना।

" उन दुर्घटनाओं के संबंध में की गई कार्रवाई:-

1. बहु-विषयक टीम द्वारा प्रत्येक दुर्घटना की जांच की गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उस गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे जहां दुर्घटना हुई थी। कम्पनी द्वारा घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीएनजीआरबी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
2. कार्रवाई की गई अनुपालन रिपोर्ट (एटीआर) जांच समिति की सिफारिशों पर पीएनजीआरबी को कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ताकि भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
3. सर्म्पूण सीजीडी उद्योग में दुर्घटनाओं की जांच समिति की सभी सिफारिशों का अनुपालन पीएनजीआरबी द्वारा किया गया है और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसे सभी सीजीडी कम्पनियों के साथ साझा किया गया है।
4. पीएनजीआरबी द्वारा सभी उद्योग सदस्यों के साथ नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जहां प्रमुख दुर्घटनाओं के मामलों पर सभी संबंधितों के बीच सामान्य चीजों पर चर्चा की जाती है /अनुभव साझा किया जाता।
5. पीएनजीआरबी द्वारा अनुमोदित टीपीआईए (तीसरी पक्ष की जांच एजेंसियां) हर पांच साल में एक बार पीएनजीआरबी की ओर से सभी सीजीडी प्रतिष्ठानों में साइट ऑडिट और मॉक फायर ड्रिल करती हैं। इससे प्रतिष्ठानों के सुरक्षा मानकों में सुधार करने में सहायता मिलती है और कर्मचारियों के बीच यह जागरूकता भी आई है कि

आग लगने, उससे बचाने, राहत कार्यों आदि के मामले में आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए।"

2.33 यह पूछे जाने पर कि कौन सी कम्पनी ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करती है और क्या सीएनजी/पीएनजी केन्द्र स्थापित करने के लिए पीईएसओ की मंजूरी/प्रमाणपत्र अनिवार्य है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

" पीएनजीआरबी ईआरडीएमपी विनियमों के अनुसार, सभी प्रमुख दुर्घटनाओं की जांच बहु-अनुशासनिक टीम द्वारा कमियों की पहचान करने, मूल कारण की पहचान करने के लिए की जाएगी और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्नवत सुझाव दिए गए है;

i. मामले-दर-मामले आधार पर पीएनजीआरबी द्वारा गठित अन्य उद्योगों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की एक बहु-अनुशासनिक टीम।

ii. उद्योग से कम्पनी द्वारा गठित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बहु-अनुशासनिक टीम।

यह भी बताया गया कि सीएनजी/पीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए पेसो मंजूरी एक अनिवार्य है।"

2.34 यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसी द्वारा सप्लाई किए गए एलपीजी उपभोक्ताओं के समान उपभोक्ताओं के लिए कोई लोक देयता बीमा पॉलिसी है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

" जीहाँ। पीएनजीआरबी (ईआरडीएमपी) विनियम 2010 के विनियम 9(1) के अनुसरण में, लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 का अनुपालन करना अनिवार्य है और तदनुसार सीजीडी कम्पनियों के पास उपभोक्ताओं के लिए "लोक देयता बीमा पॉलिसी"होना अनिवार्य है।"

<u>बिडिंग राउंड</u>

2.35 एमओपीएनजी द्वारा 8वें और 9वें दौर की बोलियों का नियमों और शर्तों सहित इसमें कितनी प्रगति हुई है और क्या नियम और शर्तों और समय-सारिणी का अनुपालन यथा सहमति के अनुसार किया जा रहा है, इस संबंध मे ब्यौरा देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"8वां सीजीडी बोली दौर दिनांक 22.11.2016 को शुरू हुआ था और निम्नलिखित जीए ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए बोली लगाई गई थी -

क्रम सं.	जीए का नाम	राज्य	प्राधिकृत कम्पनी	प्राधिकरण की तिथि
1	दक्षिण गोवा जिला	गोवा	इंडियन-ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	07.02.2018
2	करनाल जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	08.02.2018

3	अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले	हरियाणा	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	02.07.2019
4	कोल्हापुर जिला	महाराष्ट्र	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	02.07.2019
5	बुलंदशहर (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	इंडियन-ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड	06.03.2018
6	बागपत जिला	उत्तर प्रदेश	बागपत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	10.04.2019

9वां सीजीडी बोली दौर -

9वें सीजीडी बोली दौर की शुरुआत 12.04.2018 को 86 जीए में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए की गई थी, जिसमें देश के 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 174 जिले (156 पूर्ण और 18 भाग) शामिल थे, जिसके अन्तर्गत 24% भारत के भौगोलिक क्षेत्र और 29% तक इसकी जनसंख्या को शामिल किया जाता है । बोली दौर में प्रस्तावित सभी 86 जीए के संबंध में 400 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं।

निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, पीएनजीआरबी देश भर में सीजीडी परियोजनाओं की प्रगति की कड़ी निगरानी करता है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी ने देश में सीजीडी परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित किया है।"

2.36 पीएनजीआरबी ने आगे सूचित किया है कि सीजीडी नेटवर्क का और विस्तार करने के लिए पीएनजीआरबी 11वें बोली दौर के लिए जीए की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

4फरवरी, 2020 को 44जीए (120जिले और 1-भाग जिले) की एक अस्थायी सूची वेब-होस्ट की गई थी, जिसमें विभिन्न हितधारकों से विचार और सुझाव मांगे गए थे। हालांकि, मौजूदा कोविड-19महामारी की स्थिति के कारण 11वें सीजीडी बोली दौर की शुरुआत में देरी हुई है।

अध्याय - तीन
सीजीडी नेटवर्क

प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क का त्वरित कार्यान्वयन सुकर करने के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीएनजीआरबी से एक सीजीडी नीति का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया, जिसे सीजीडी संस्थाओं तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भागीदारी के साथ तैयार किया गया था। माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री ने 23 जनवरी 2020 को मसौदा नीति जारी की है, जिसमें राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिया गया है, जो सीजीडी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लाभकारी होगा।

नगर गैस वितरण नेटवर्क की सुरक्षा:

(क) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीएनजीआरबी ने पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2008 अधिसूचित किया है। इन विनियमों में डिजाइन, सामग्री, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण एवं परीक्षण, कमीशनींग, प्रचालन, अनुरक्षण, घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए सीजीडी नेटवर्क में संशोधन और परित्याग शामिल है और यह सभी पाइपलाइनों, नगर गेट स्टेशन (सीजीएस) तक के इनलेट पृथक वाल्व की वितरण मेन और पाइपिंग सुविधाओं पर लागू होते हैं, और इनमें वाणिज्यिक या औद्योगिक ग्राहक के लिए ग्राहक मीटर तथा घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस उपकरण से जुड़ी कनेक्टिंग होज शामिल है।

(ख) सभी संस्थाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा, तृतीयक पक्ष निरीक्षण आदि सहित उपयुक्त प्रमाणन, निगरानी, नियंत्रण और उपशमन तंत्र द्वारा विभिन्न चरणों में विविध कार्यकलापों की अनुरूपता के मूल्यांकन के माध्यम से इन विनियमों के अनुपालन को मान्यता-प्राप्त तृतीयक पक्ष एजेंसियों द्वारा विनिर्दिष्ट आवधिकता पर और बोर्ड को उपयुक्त प्रस्तुतियों] के माध्यम से दर्शाना होता है। मान्यता-प्राप्त तृतीयक पक्ष एजेंसियों के माध्यम से अनुपालन मूल्यांकन एक स्वीकृत राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है।

(ग) वर्तमान में, इन निरीक्षणों/ लेखापरीक्षाओं के लिए 27 एनएबीएल मान्यता-प्राप्त तृतीयक पक्ष एजेंसियां पैनलबद्ध हैं। इसके अलावा, पीएनजीआरबी इन विनियमों के अनुपालन की जांच करने के लिए बहु-अनुशासनात्मक टीमों के माध्यम से अनुपालन का आकलन भी करता है। इन निरीक्षणों/ लेखापरीक्षाओं के दौरान की गई सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति पर भी नजर रखी जाती है। तथापि, तेल और गैस पाइपलाइन की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संस्था की होती है।

सीजीडी नेटवर्क का विस्तार

3.2 नगर गैस वितरण नेटवर्क की तुलना में क्रमशः मंत्रालय और पीएनजीआरबी की भूमिका पर एक टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विकास करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकारण है। पीएनजीआरबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के विकास के साथ-साथ सीजीडी नेटवर्क विकास को प्राधिकृत करने के लिए जीए को चिह्नित करता है। किसी प्राधिकृत कंपनी द्वारा पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन प्रदान करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार,"केंद्र सरकारसमय-समय परबोर्ड को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें वह भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक कानून व्यवस्था के हित में आवश्यक समझे"।

3.3 पिछले पांच वर्षों के दौरान, पीएनजी (घरेलू परिवारों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस) और सीएनजी (वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस) की खपत का ब्यौरा देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"कंपनियों द्वारा पीपीएसी को दी की गई जानकारी के अनुसार, पीएनजी और सीएनजी की बताई गई खपत निम्नानुसार है:

(एमएमएससीएम में)

वर्ष	पीएनजी	सीएनजी	योग
2015-16	470	3029	3498
2016-17	522	3346	3868
2017-18	589	3737	4326
2018-19	674	4292	4965
2019-20	771	4632	5403

3.4 अगले दस वर्षों में पीएनजी सुविधायुक्त घरों और सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"घरों, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन (पीएनजी) और वाहनों को संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) उपलब्ध कराना, सीजीडी नेटवर्क के विकास का एक भाग है और यह पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कंपनियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, 10वें सीजीडी बोली लगाने के दौर तक देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए पीएनजीआरबी द्वारा 228 भौगोलिक क्षेत्र (जीएज) प्राधिकृत किए गए हैं।

देश के शेष क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन/स्रोत की उपलब्धता और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए भविष्य में बोली लगाने के दौर में शामिल किया जाएगा।

पीएनजीआरबी के पास 28 फरवरी 2021 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश भर में लगभग 76.05 लाख घरों को पीएनजी के घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और 2,830 सीएनजी स्टेशन चल रहे हैं।

9वें और 10वें सीजीडी बोली लगाने के दौर के तहत, सीजीडी कंपनियों ने देश भर में 8 से 10 वर्षों की अवधि में 4.23 करोड़ पीएनजी घरेलू कनेक्शन प्रदान करने और 8181 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस संबंध में, पीएनजीआरबी ने कोविड-19 महामारी के कारण सीजीडी कंपनियों को अतिरिक्त समयावधि प्रदान की है, जो 129 दिनों से लेकर 251 दिनों तक के बीच है।

सीजीडी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए, पीएनजीआरबी ने थर्ड पार्टी कंपनियों के लिए बिना भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करने के निमित्त शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संपर्क वाहक विनियम घोषित करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचित किये हैं। सीजीडी नेटवर्क के कवरेज को और बढ़ाने के लिए, जिसमें सीएनजी और पीएनजी दोनों शामिल हैं, पीएनजीआरबी ने दिनाँक 04.02.2020 को 44 जीए की एक सूची जारी की थी, जिसमें 120 जिलों को उनके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस स्रोत की उपलब्धता के आधार पर चिह्नित गया था। 11वें सीजीडी बोली लगाने के दौर के लिए प्रस्तावित इस संभावित सूची के कार्यान्वयन के साथ, सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत जिलों की संख्या 520 जिलों तक पहुँच जाएगी, जो देश के लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र में 84% आबादी को कवर करेगा।"

<u>सीजीडी के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र</u>

3.5 उन भौगोलिक क्षेत्रों, जिन्हें देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे द्वारा कवर किया गया है, की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के ढांचे द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्रों की सूची **अनुबंध - नौ** के रूप में संलग्न है।"

3.6 उन भौगोलिक क्षेत्रों, जिन्हें देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे द्वारा कवर किया जाना है की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"सरकार, पीएनजी और सीएनजी उपयोगों के लिए देश में सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है"।

3.7 सीजीडी नेटवर्क को बढाने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) के विकास के संबंध में यह बताया गया है कि:

"पीएनजीआरबी ने दिनांक 2 जून, 2020 की सार्वजनिक सूचना द्वारा यह स्पष्ट किया कि कोई भी संस्था किसी भी भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में या कहीं और भी एलएनजी स्टेशन स्थापित कर सकती है, भले ही वह उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्राधिकृत संस्था नहीं है। तथापि, ऐसी संस्था पीएनजीआरबी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए विनियमों, जैसे टी4एस विनियमों का अनुपालन करेगी। इसके बाद, इस संबंध में पणधारकों के प्रश्नों का 23 जुलाई, 2020 की सार्वजनिक सूचना के आधार पर उत्तर दिया गया था"।

मौखिक साक्ष्य के दौरान, यह भी बताया गया कि:

"हमने 230 ज्योग्राफिकल एरियाज़ ऑथोराइज़्ड किए हैं। कुछ समस्यायों के कारण, पिछले माह इनमें से 2 एरियाज़ कैंसिल कर दिए गए थे। अभी ये 228 एरियाज़ हैं और 400 से ज्यादा जिले कवर्ड हैं। हम लोग सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन के अंतर्गत 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज़ को कवर कर रहे हैं। हमारी अंतिम दौर की बोली के बाद 53 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 70 प्रतिशत आबादी की सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच होगी"।

3.8 मौखिक साक्ष्य के दौरान, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में कवर की गई आबादी की गणना के मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, यह भी बताया गया कि:

"...आपके प्रश्न के संबंध में कि हम क्षेत्रफल के संदर्भ में 53 प्रतिशत और जनसंख्या के संदर्भ में 70 प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं, आपने बहुत सही कहा जब आपने कहा कि दिल्ली में भी 70 प्रतिशत जनसंख्या कवर नहीं है। इसलिए, हम यह कैसे करते हैं का उत्तर है कि यदि हमने दिल्ली को अधिकृत किया है, तो हम मानते हैं कि लोगों की शहर गैस वितरण तक पहुंच है। ऐसे में लोग कनेक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यह उनकी मर्जी है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां अधिकृत कंपनी द्वारा पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। लेकिन, तब जब उस विशेष क्षेत्र के प्रगति की निगरानी करते हैं तो हम इसका ध्यान रखते हैं। यदि कार्य योजना के संदर्भ में वहाँ एक निश्चित प्रतिबद्धता है कि उन्हें इतनी स्टील पाइपलाइनें बिछानी हैं और फिर उन्हें इतने सारे पीएनजी कनेक्शन देने हैं; उन्हें निर्धारित संख्या में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने होंगे। यदि वे उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए, यह 53 प्रतिशत और 70 प्रतिशत मूल रूप से ऐसा है जैसे कि एक क्षेत्र को अधिकृत किया गया है, ताकि पूरे क्षेत्र और पूरी आबादी को हम सीजीडी के अंतर्गत मानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन उस पूरे क्षेत्र में सीजीडी कनेक्शन या गैस कनेक्शन होंगे। लेकिन आठ से दस वर्षों की अवधि में, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे क्षेत्र में या तो गैस

कनेक्शन होगा या उनकी पहुंच होगी। फिर, यह उनकी पसंद है कि वे एलपीजी का उपयोग करते हैं या वे पाइप्ड गैस का उपयोग करते हैं"।

यह भी बताया गया कि:

"...जो वर्क प्रोग्राम हमने दिया हुआ है, जैसे दिल्ली में आईजीएल है, उन्होंने कहा कि हम एक लाख किलोमीटर की पाइपलाइन ले करेंगे और फर्ज़ कीजिए कि दिल्ली में 20 चार्ज एरिया हैं, मतलब हमने आगे उसको फिर चार्ज एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है तो उनको सारे चार्ज एरियाज़ कवर करने होते हैं। उन्होंने जितने किलोमीटर लाइन कमिट की हुई है, उतनी पाइपलाइन उनको ले करनी पड़ती है। अगर वे नहीं कर रहे हैं तब हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं"।

3.9 किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र (जीए) की कार्य अवधि की समाप्ति के पश्चात उपलब्ध तंत्र के बारे में पूछे जाने पर, पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"अभी पुराने ज्योग्राफिकल एरियाज़ का मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव पीरियड पांच वर्षों का होता है। ये समय सीमा काफी एरियाज़ में पहले ही खत्म हो चुकी है। हमने अभी एक गाइडिंग प्रिंसिपल रेगुलेशन पास किया है। उसके साथ-साथ एक्सेस कोड रेगुलेशन को रिवाइज़ किया गया है और सीजीडी टैरिफ रेगुलेशंस बनाने हैं। इन सब रेगुलेशंस के बनने के बाद जहां पर मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव पीरियड खत्म हो चुका है, हम उस एरिया को कॉमन कैरियर डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां पर ऑथराइज़्ड एनटिटी के अलावा अगर कोई और भी काम करना चाहे, तो वह काम कर सकता है। वह कैपेसिटी बुक करके और अपना टैरिफ पे करके काम कर सकता है। इससे मार्केट में कंपीटीशन आएगा और हम यह उम्मीद करते हैं कि कंपीटीशन की वजह से रेट्स भी कम हो सकते हैं, जिससे सर्विसेज़ बेटर मिलेगी और देश में गैस का कंजप्शन बढ़ेगा"।

<u>खुदरा सीएनजी बिक्री केन्द्र</u>

3.10 देश में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश/मानदंड और किस प्रकार सीएनजी स्टेशन का आवंटन किया जाता है और इसके लिए आवश्यक अनुमति देने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है तथा विभिन्न शहरों में सीएनजी स्टेशनों पर लाइसेंस/परमिट जारी करने के लिए क्या शर्तें हैं, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"पीएनजीआरबी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सीजीडी नेटवर्क बिछाने, बनाने और संचालित करने के लिए अधिकृत करता है। 9वें सीजीडी बोली दौर से, सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लक्ष्यों को भी एक बोली मानदंड के रूप में शामिल किया गया है। बोली में भाग लेने वाली कंपनियों को पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या और उक्त जीए के अंदर बिछाई जाने वाली इंच-किमी पाइपलाइन का उल्लेख करने के साथ-साथ उन सीएनजी स्टेशनों की संख्या का बतानी होगी जिन्हें वे अगले आठ वर्षों में (कुछ मामलों में दस वर्षों में) संबंधित जीए में स्थापित करने का प्रस्ताव करते

हैं। तकनीकी रूप से योग्य कंपनियाँ सीएनजी, पीएनजी और इंच-किमी संख्या के लिए अपना कोटेशन जमा करती हैं और प्रत्येक इकाई के लिए एक समग्र स्कोर प्राप्त किया जाता है। इसके बाद, उच्चतम समग्र स्कोर वाली कंपनी को सफल इकाई घोषित किया जाता है। उसके बाद, सफल कंपनी को सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पीएनजीआरबी को एक कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी जमा करनी होती है। इसके बाद, कंपनियों को उनके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों और शर्तों के साथ प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। अधिकृत कंपनी को स्थापित किए जाने वाले सीएनजी स्टेशनों की संख्या, प्रदान किए जाने वाले पीएनजी कनेक्शन और बिछाई जाने वाली इंच-किमी पाइपलाइन के संबंध में वर्ष-वार लक्ष्य प्राप्त करना होगा, जैसाकि प्राधिकार पत्र में उल्लेख किया गया हो"।

3.11 यह पूछे जाने पर कि क्या सीएनजी स्टेशन कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा संचालित (कोको) हैं या कुछ अधिकृत एजेंटों को प्रदत्त लाइसेंस हैं, और ये सीएनजी स्टेशन अपने लिए गैस कहाँ से लाते हैं अर्थात आईजीएल सभी स्टेशनों को सीएनजी उपलब्ध कराता है या किसी अन्य वितरक से प्राप्त करते हैं, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"एक बार प्राधिकृत किए जाने पर, सीजीडी इकाई को अपने जीए में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के साथ-साथ पीएनजी कनेक्शन भी उपलब्ध कराना है। कंपनियों के पास सीएनजी स्टेशनों के आवंटन की अपनी प्रणाली है, उन्हें केवल प्रत्येक वर्ष के अपने लक्ष्यों को पूरा करना है जैसा उनके प्राधिकार पत्र में उल्लेख किया गया हो। ये सीएनजी स्टेशन कोको (कोको) हो सकते हैं या संचालन के लिए कुछ अन्य एजेंटों को लाइसेंस दिया गया हो, लेकिन प्राधिकार पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार ही प्राधिकृत कंपनी का स्वामित्व होना चाहिए और इसके साथ ही पीएनजीआरबी के सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। प्राधिकृत इकाई को अपने जीए के भीतर प्राकृतिक गैस का परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अपने सीजीडी नेटवर्क के भीतर पाइपलाइन बिछानी होती है ताकि पीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जा सके और अपने सीएनजी स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा सके। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी स्वविवेक पर किसी भी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस प्राप्त कर सकती है जो उनके जीए के आसपास है या कैस्केड के माध्यम से एक व्यवहार्य प्राकृतिक गैस स्रोत से। जीए के भीतर सभी सीएनजी स्टेशन एकमात्र इकाई के स्वामित्व में होते हैं और इन सीएनजी स्टेशनों में खपत के लिए प्राकृतिक गैस उसी इकाई द्वारा प्राप्त की जानी होती है।"

3.12 यह पूछे जाने पर कि क्या बढ़ती माँग को देखते हुए पर्याप्त गैस उपलब्ध है, और यदि नहीं, तो मंत्रालय इस माँग को किस प्रकार पूरा करेगा और अगले पाँच वर्षों में कितने सीएनजी स्टेशन खोलने की योजना है, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"9वें और 10वें सीजीडी बोली दौर में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सौंपी गई न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार, प्राधिकृत कंपनियाँ देश भर में 8/10 वर्षों की अवधि में 8,181 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2025-26 तक देश भर में 6,941 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाने की संभावना है"।

पीएनजी के तहत कवरेज

3.13 यह पूछे जाने पर कि क्या भौगोलिक क्षेत्र में वितरकों को परियोजनाओं की एक विशेष अवधि के लिए कोई विशेष अधिकार दिए जाते हैं तथा उनके पास ये विशेषाधिकार कितने समय तक रहते हैं और इस संबंध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"कंपनियों को दो प्रकार की विशिष्टताएँ दी गई हैं: -

एक. सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण और प्रचालन के लिए विशिष्टता - यह विशिष्टता प्राधिकार दिए जाने की तिथि से पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है।

दो. सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के दायरे से विशिष्टता - यह विशिष्टता पीएनजीआरबी के मौजूदा नियमों के प्रावधानों के अनुसार तीन वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है।

सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुसार, संस्थाओं को संपर्क वाहक या सामान्य वाहक के दायरे से छूट के संदर्भ में प्राधिकरण की तिथि से 3/5/8/10 वर्ष की विशिष्टता अवधि की अनुमति है।

इस संबंध में, पीएनजीआरबी ने तीसरे पक्ष की कंपनियों को गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच प्रदान करने के लिए शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संपर्क वाहक विनियम घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित किया है"।

3.14 देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएनजी नेटवर्क से कवर किए गए घरों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएनजी घरेलू कनेक्शनों का जीए-वार विवरण **अनुबंध - दस** में दिया गया है।"

3.15 उन मानदंडों जिन पर यह तय किया जाता है कि क्या किसी क्षेत्र में पाइप्ड प्राकृतिक गैस पहुंचाई गई है, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी:

"नगर गैस वितरण या सीजीडी नेटवर्क उनके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों (एक जिला, जिले का भाग, दो या अधिक जिलों या ऐसे किसी भी संयोजन से मिलकर) की पहचान इस आधार पर की जाती है और अंतिम रूप देने के बाद सीजीडी बोली दौर में बोली लगाई जाती है"।

3.16 यह पूछे जाने पर कि क्या पीएनजीआरबी भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में पीएनजी कनेक्शन को तेज करने और कवरेज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया किः

"जी हां, पीएनजीआरबी ने 06.04.2018 को सीजीडी प्राधिकरण नियमों में संशोधन किया है और बोली मूल्यांकन मानदंड में संस्थाओं द्वारा उद्धृत घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या का प्रतिशत भार 50% तक बढ़ा दिया है। इस संशोधन के बाद, आने वाले 8-10 वर्षों में लगभग 4.24 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा 9वें और 10वें सीजीडी बोली दौर को पूरा किया गया है।"

पीएनजी और सीएनजी का मूल्य निर्धारण

3.17 जब भारत के प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के संदर्भ में ब्यौरा प्रदान के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूलेके संदर्भ में एमओपीएनजी द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा **अनुबंध-ग्यारह** पर दिया गया है ।

3.18 समिति यह जानना चाहा कि पीएनजी/सीएनजी उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस के मूल्य कैसे तय होते हैं और मूल्य निर्धारण फार्मूले का पूरा ब्यौरा तथा खुदरा क्षेत्र में सीएनजी/पीएनजी के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं तो मंत्रालय ने निम्नवत बतायाः

"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने गेल (इंडिया) लिमिटेड को छह जिलों नामतः वाराणसी, पटना, राँची, पूर्वी सिंहभूम, खोरधा और कटक में शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए प्राधिकृत किया है।

गेल की सीजीडी परियोजनाओं के लिए सीएनजी/पीएनजी खंड के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र आमतौर पर 'वैकल्पिक ईंधन'के मूल्य निर्धारण के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए 'लागत प्लस'मूल्य निर्धारण से जुड़ा होता है। लागत प्लस मूल्य निर्धारण जीए में किए गए नियोजित पूँजी और परिचालन व्यय पर उचित रिटर्न के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसे गैस लागत, आपूर्ति और वितरण लागत और कम्पनी मार्जिन के रूप में मूल्य निर्धारण संरचना में शामिल किया गया है।

संबंधित वैकल्पिक ईंधन के ऊर्जा समकक्ष मूल्य के बदले सीएनजी/पीएनजी के बिक्री मूल्य को बेंचमार्क करने का प्रयास है जो आमतौर पर छूट पर जो ग्राहक को पीएनजी/सीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

सीजीडी उद्योग के बदलते बाजार की गतिशीलता को देखते हुए, सीएनजी/पीएनजी के लिए मूल्य निर्धारण करते समय बाजार प्रतिस्पर्धी माहौल में मूल्य स्वीकार्यना आदि जैसे अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है।

संबंधित जीए के सीजीएस तक के खंड के लिए वितरित गैस की लागत घटक :

1. गैस की वितरण लागत की गणना निम्नलिखित मानकों पर विचार करके की जाएगी:
    - एक्स-टर्मिनल गैस का मूल्य
    - विनिमय दर
    - विपणन मार्जिन
    - ट्रंक पाइपलाइन ट्रांसमिशन शुल्क
    - कर और शुल्क
2. आपूर्ति और वितरण लागत

आपूर्ति और वितरण (एसएंडडी) लागत में सीएनजी/पीएनजी उत्पादों की बिक्री की लागत शामिल है, जिसमें संचालन और रखरखाव खर्च और आकस्मिक/अन्य खर्च शामिल हैं:

पीएनजी के लिए एसएंडडी

- प्रचालन व्यय
- सुविधाएँ (बिजली और ईंधन)
- उपभोज्य स्टोर और स्पेयर और एएमसी / नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव
- सीजीडी नेटवर्क ढुलाई टैरिफ
- कैस्केड की ढुलाई लागत (पीएनजी खपत के लिए विभाजित यदि पीएनजी कैस्केड के माध्यम से आपूर्ति की जाती है)
- अन्य व्यय/विपणन/बिक्री संवर्धन

सीएनजी के लिए एसएंडडी

- प्रचालन व्यय
- सुविधाएँ (बिजली और ईंधन)
- उपभोज्य स्टोर और स्पेयर और एएमसी/सीएनजी स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव, फोरकोर्ट प्रबंधन / सीएनजी उपकरण
- सीजीडी नेटवर्क परिवहन टैरिफ
- कैस्केड की परिवहन लागत
- अन्य व्यय/विपणन/बिक्री संवर्धन

3. कम्पनी मार्जिन

कम्पनी मार्जिन में डीलरों/तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) और कंपनियों के विपणन मार्जिन को संदेय व्यापार मार्जिन / सुविधा शुल्क आदि शामिल हैं।

4. कर और शुल्क

सभी लागू कर और शुल्क

मूल्य निर्धारण फॉर्मूले का उदाहरण:

सीएनजी और पीएनजी मूल्य के लिए नमूना मूल्य निर्धारण फॉर्मूला नीचे प्रदर्शित किया गया है:

घरेलू पीएनजी	यूनिट मूल्य
सिटी गेट स्टेशन पर सीजीडी इकाई को प्राकृतिक गैस की लागत	क
सीजीडी इकाई की आपूर्ति और वितरण लागत	ख
कम्पनी का मार्जिन	ग
मूल विक्रय मूल्य	घ = क+ख+ग
मूल्य वर्धित कर (यदि लागू हो)	ङ=वैट दर* (घ)
कोई अन्य कर (यदि लागू हो)	च
खुदरा बिक्री मूल्य (रु./एससीएम)	**घ+ङ+च**

सीएनजी	यूनिट मूल्य
सिटी गेट स्टेशन पर सीजीडी इकाई को प्राकृतिक गैस की लागत	क
सीजीडी इकाई की आपूर्ति और वितरण लागत	ख
इकाई का मार्जिन (डीलर / ओएमसी सहित)	ग
मूल विक्रय मूल्य	घ = क + ख + ग
उत्पाद शुल्क	ङ = 14% * घ
मूल्य वर्धित कर (यदि लागू हो)	च=वैट दर* (घ+ङ)
कोई अन्य कर	छ
खुदरा बिक्री मूल्य (रुपये/किलोग्राम)	**घ+ङ+च+छ**

सीएनजी के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक

1. **प्राकृतिक गैस की लागत** : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा घरेलू गैस की कीमतों का निर्धारण और घोषणा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है।
2. **ट्रंक पाइपलाइन परिवहन टैरिफ** : पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 के अनुसार पीएनजीआरबी द्वारा ट्रंक पाइपलाइन परिवहन निर्धारित और अधिसूचित किया जाता है।
3. **बाजार की माँग** : सीएनजी/पीएनजी की अधिक माँग से बुनियादी ढाँचे की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है, जिससे एसएंडडी लागत आसान होती है।

4. **कर और शुल्क :** सीएनजी के उत्पादन पर 14% उत्पाद शुल्क लागू होता है। इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकार के कर की दर के अनुसार मूल्य वर्धित कर लगाया जाता है। सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर विभिन्न राज्यों में बहुत अधिक है जैसे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 14.5%, गुजरात में 15%, मध्य प्रदेश में 14%, बिहार में 20% आदि, जबकि दिल्ली में इस पर छूट दी गई है।"

3.19 पीएनजी बनाम एलपीजी द्वारा गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए उपभोक्ताओं के लिए लागत लाभ के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"दिल्ली में दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य 809 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। मई, 2020 से, जबकि दिल्ली जैसे कुछ बाजारों में घरेलू एलपीजी पर एलपीजी उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी नहीं है, दूर-दराज और दूरदराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए, सरकार बंदरगाह से बॉटलिंग प्लांट तक उच्च अंतर्देशीय माल ढुलाई के कारण कुछ सब्सिडी प्रदान करना जारी रखी है।

दिल्ली-एनसीटी जीए पर आधारित एक उदाहरण, पीएनजी बनाम एलपीजी गणना निम्नानुसार हैं:

(अप्रैल 2021)

1 किलो एलपीजी का जीसीवी	11900	किलो कैलोरी
1 किलो एलपीजी	0.047	एमएमबीटीयू
एलपीजी का 1 सिलेंडर: 14.2 किग्रा (क)	**0.67**	**एमएमबीटीयू**
दिल्ली में कीमत (ख)	809	रु.
घरेलू गैस		
दिल्ली में पीएनजी के 1 एससीएम की लागत (ग)	28.41	रु.
पीएनजी के 1 एससीएम का जीसीवी	9880	किलो कैलोरी
1 एमएमबीटीयू	252000	किलो कैलोरी
पीएनजी के 1 एससीएम का जीसीवी (घ)	0.039	एमएमबीटीयू
19.88 पीएनजी के बराबर एससीएम	564.79	रु.
प्रयुक्त परिवर्तन = 1 किग्रा = 1.4 एससीएम		

ऊर्जा और कीमतों के मामले में तुलना		
	पीएनजी	**रसोई गैस**
रुपये/एमएमबीटीयू में लागत	724.63	1206.46
	(ग/घ)	(ख/क)

3.20 विभिन्न राज्यों में गैस संबंधी अलग-अलग करों के प्रचलन के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि:

"यह टैक्स वाला जो इश्यु है, यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारी काफी पुरानी रिक्वेस्ट है, जैसे हमने गैस एक्सचेंज तो बना दिया, परंतु जब तक गैस जीएसटी पर नहीं आएगी तब तक गैस एक्सचेंज भी सक्सेसफुल नहीं होगा और गैस का जो वैट है, वह राज्यवार पांच पर्सेंट से 24-25 पर्सेंट तक वैरी करता है। इसलिए एक बड़ा एलिमेंट जो गैस की कॉस्ट का है, वह टैक्स है। अगर यह जीएसटी में जाता है, हम यह नहीं कहते हैं कि जीएसटी में पांच पर्सेंट रेट लगाएं, रेट जो मर्जी लगा लें लेकिन कम से कम इसको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए तो पूरी इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स और गैस एक्सचेंज को भी काफी मदद मिलेगी"।

3.21 कई पाइपलाइनों के माध्यम से जुड़े जीए के मामले में टैरिफ तंत्र के बारे में पूछे जाने पर पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

".....यूनिफाइड टैरिफ में एक रेगुलेशन पास किया गया है। इसका एक फायदा होगा। अब तक उपभोक्ताओं को प्रत्येक पाइपलाइन के लिए टैरिफ का भुगतान करना पड़ता था।यदि कोई गैस कई पाइपलाइनों से गुजर रही है, तो उपभोक्ताओं को कैस्केडिंग टैरिफ का भुगतान करना पड़ता है।इसलिए, इस कैस्केडिंग टैरिफ से बचने के लिए, हमने एकीकृत टैरिफ की अवधारणा की शुरूआत की है।सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें - जो आपस में जुड़ी हुई हैं और जो राष्ट्रीय गैस ग्रिड का हिस्सा बन रही हैं - एकीकृत टैरिफ के अधीन होंगी।जो उपभोक्ता नेशनल गैस ग्रिड सिस्टम के इस नेटवर्क पर हैं, उन्हें केवल एक सिंगल टैरिफ देना होगा।तो, इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में गैस सस्ती हो जाएगी और यह उन लोगों के लिए गैस सस्ती कर देगा जो कई पाइपलाइनों का उपयोग कर रहे हैं. इसका एक फायदा यह होगा कि के.जी. बेसिन में जो डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ओएनजीसी और रिलायंस, उनको फायदा होगा। गैस एक्सचेंज, जो हमने अभी अथॉराइज किया है, इससे उसकी सुविधा भी मिलेगी क्योंकि गैस एक्सचेंज के लिए अगर उनको मल्टीपल टैरिफ लगता है, तो प्रॉब्लम होती है और सिंगल टैरिफ है, तो लोग ज्यादा गैस ट्रेडिंग कर सकते हैं।

इससे एक फायदा यह भी होगा कि देश में जो नए एलएनजी टर्मिनल्स आते हैं, अगर उनको मल्टीपल टैरिफ पे करना पड़े, तो वह अनवायवल हो जाता है। लेकिन अब यूनिफाइड टैरिफ की वजह से नए टर्मिनल्स वायवल रहेंगे और इससे नए टर्मिनल्स में इंवेस्टमेंट ज्यादा होगा। इससे गैन-ऑन-गैस कम्पीटिशन भी बढ़ेगा। अभी कंज्यूमर्स को गैस लेनी होती है, तो वह यह देखता है कि वह किस पाइपलाइन पर है और वह पाइपलाइन किस की है, तो वे नॉर्मली उसी पाइप लाइन कम्पनी से गैस खरीदते थे। लेकिन अब चूंकि पूरे देश में एक ही टैरिफ है, तो अब गैस कहीं से भी लिया जा सकता है। इसलिए इससे गैस-ऑन-गैस कम्पीटिशन देश में आएगा"।

3.22 मौखिक साक्ष्य के दौरानदूरी के कारण टैरिफ दर में विसंगतियों के बारे में विस्तार से कहते हुए पीएनजीआरबी के प्रतिनिधि ने बताया कि:

> "...आपने एक सवाल उठाया था कि यूनिफाइड टैरिफ की वजह से कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो सोर्स के नज़दीक हैं, उनको ज्यादा देना पड़ेगा और जो दूर वाले हैं, उनको कम देना पड़ेगा तो इस तरह से क्रॉस सब्सिडाइज़ेशन तो नहीं है। इसका ध्यान रखने के लिए हमने पाइपलाइन के दो ज़ोन यूनिफाइड टैरिफ के लिए बनाए हैं - ज़ोन - 1 और ज़ोन - 2 हैं। ज़ोन-1 के जो कस्टमर्स हैं, उनको सिर्फ 4 पर्सेंट पे करना पड़ेगा, जितना कि ज़ोन-2 वाले कस्टमर्स पे कर रहे हैं। ज़ोन-2 में अगर 70 रुपये है तो ज़ोन-2 वाले को 26 रुपये और 65 रुपये, रफली यह रेट आता है। उसका ध्यान हमने यूनिफाइड टैरिफ में रखा है।
>
> अभी हम क्या करते हैं कि जैसे अलग-अलग पाइपलाइंस हैं, मतलब दो तरह की पाइपलाइंस हैं। एक तो जो प्री-पीएनजीआरबी है, जो पीएनजीआरबी के आने से पहले की हैं, उनको हम 12 पर्सेंट रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर टैरिफ फिक्स करते हैं और जो बिडआउट पाइपलाइंस हैं, उनका जो बिड के माध्यम मे रेट आया है, वह रेट उनको मिलता है। तो पाइपलाइन कंपनीज़ को टैरिफ मिलेगा वह उतना ही मिलेगा, जितना पहले मिल रहा था। अब उनको कम्बाइंड करने के बाद, जो रेट कम्बाइंड पाइपलाइन का निकलेगा, तो कस्टमर्स को वह पे करना पड़ेगा। इस तरह से यह पूरा सिस्टम है। इसमें सरकार का रोल नहीं है। पूरा रोल हमारा ही है"।

3.23 समिति ने यह इंगित किया कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमतों में भारी अंतर है। सीएनजी की कीमतों में इस भारी अंतर के कारण और क्या इससे दिल्ली के उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ता है,के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"भारत में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों को घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करते समय, सरकार ने शहरी गैस वितरण (परिवहन के लिए घरेलू पीएनजी और सीएनजी) को सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में रखा है। अपेक्षाकृत सस्ती घरेलू गैस (जब आयातित प्राकृतिक गैस की तुलना में) सीजीडी कंपनियों को पिछले 6 महीनों में सभी प्रकार की गैसों (घरेलू और आरएलएनजी) की वास्तविक खपत के आधार पर आवंटित की जाती है। घरेलू गैस की कीमत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती है और इसे सीजीडी कंपनियों को आधार लागत के रूप में पारित किया जाता है।

खुदरा सीएनजी मूल्य तब निर्धारित होता है और इसमें विभिन्न लागत शीर्षों जैसे कर, परिवहन शुल्क, डीलर मार्जिन, आपूर्ति और वितरण लागत आदि शामिल होते हैं। इसलिए खुदरा मूल्य सीजीडी कंपनी और भौगोलिक क्षेत्र (जीए) के स्थान पर निर्भर करता है। यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि चूंकि प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए राज्य वैट और

केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे कर सीएनजी पर लागू होते रहते हैं, जिससे क्षेत्रों/राज्यों में कीमतों में अंतर होता है।"

<u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

3.24 यह पूछे जाने पर कि क्या इन पीएनजी/सीएनजी आउटलेटों पर कोई विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) लागू हैं ताकि इन आउटलेटों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता/कदाचार, यदि कोई हो, को रोका जा सके तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"किसी भी अनियमितता/कदाचार को रोकने के लिए पीएनजी/सीएनजी आउटलेट्स पर लागू विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) के संबंध में, यह अवगत कराया जाता है कि पीएनजीआरबी द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। तथापि, पीएनजी घरेलू कनेक्शन और सीएनजी स्टेशनों से संबंधित सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकताओं के संबंध में सीजीडी कंपनियों और उपभोक्ताओं के दायित्वों को पीएनजीआरबी (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सेवा की गुणवत्ता हेतु संहिता) विनियम, 2010 में प्रदान किया गया है।"

3.25 यह पूछे जाने पर कि पीएनजी/सीएनजी कंपनियों/इकाइयों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायतों के निपटान/निवारण के लिए व्यवस्था क्या है और दिशानिर्देशों का पालन न करने पर कितनी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है तो मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"पीएनजीआरबी, पीएमओ/एमओपीएनजी से प्राप्त केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान करता है।

इसके अलावा, पीएनजीआरबी विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों/मुद्दों को समय पर निपटान के लिए संबंधित सीजीडी कम्पनियों को भी सूचित करता है। ऐसा ही संबंधित कम्पनियों द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस संबंध में, आज की तारीख में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें पीएनजीआरबी द्वारा सीजीडी कंपनियों को इसके लिए दंडित किया गया हो।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

सिफारिश सं. 1

राष्ट्रीय गैस ग्रिड नेटवर्क

समिति नोट करती है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश है और हाइड्रोकार्बन आवश्यकता का लगभग 87% का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा उपभोग में भारत की हिस्सेदारी बढ़नी तय है और उच्च निर्भरता आयात पर होगी। समिति यह भी नोट करती है कि प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ईंधन होने के कारण बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का समाधान करने और साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखती है।

समिति आगे नोट करती है कि सरकार ने अब देश भर में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि आने वाले वर्षों में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कम से कम 15% किया जा सके और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा जा सके। इस दिशा में घरेलू उत्पादन और देश में तरल प्राकृतिक गैस के आयात के रूप में गैस स्रोतों के विकास के साथ-साथ देश में गैस पाइपलाइन अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। समिति यह भी जानती है कि गैस पाइपलाइन प्राकृतिक गैस के परिवहन का एक किफ़ायती और सुरक्षित साधन है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वर्तमान में, लगभग 20,227 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क प्रचालन में है और एक जीवंत गैस बाजार विकसित करने के लिए, गैस ग्रिड को पूरा करने हेतु देश भर में अतिरिक्त 20,227 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो देश में सभी प्रमुख मांग और आपूर्ति केंद्रों को जोड़ेगी।

समिति यह भी नोट करती है कि सरकार की देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एलएनजी के आयात हेतु एलएनजी टर्मिनल जैसी अवसंरचना का निर्माण करने की योजना है। समिति ने यह भी पाया कि मंत्रालय/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

(पीएनजीआरबी) ने हाल के 8वें, 9वें और 10वें दौर में देश के कई भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण नेटवर्क के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बोली के इन दौरों के पूरा होने के बाद, यह नोट किया गया है कि 407 जिलों में से 238 जीए की सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच है।

समिति का यह विचार है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड देश की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना परियोजना है, जो देश को संबंधित परियोजनाओं यथा पाइपलाइन परियोजनाओं, सीजीडी नेटवर्क और एलएनजी टर्मिनलों आदि के कार्यान्वयन के विकास के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक प्रगति हासिल करने में मदद करेगी। समिति, देश भर में 32,600 किलोमीटर की योजनाबद्ध गैस पाइपलाइन के साथ एक अवसंरचना सृजित करने के लिए सरकार के कदम की सराहना करती है, जिसमें से 20,227 किलोमीटर चालू हैं और 15,500 किलोमीटर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उनकेवर्ष 2024-25 तक पूरा होने की उम्मीद है।इसके लिए किए गए प्रयासों और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आवधिक रूप से राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए और उपयुक्त कदम उठाने चाहिए और संबंधित प्राधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि यह महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना बिना किसी विलंब और लागत वृद्धि के पूरी हो सके।

<u>सिफारिश संख्या 2</u>

<u>अनुमोदनों/मंजूरियों के लिए एकल-खिड़की त्वरित प्रणाली</u>

समिति नोट करती है कि पाइपलाइनों को बिछाने में विलंबका कारण मंजूरी और अनुमति देने में शामिल एजेंसियों की बहुलता है। समिति यह भी पाती है कि आरओयू अधिसूचना, दर निर्धारण, उच्च मुआवजा दरों की मांग और कई राज्य सरकारों के पास भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना राष्ट्रीय महत्व कीपरियोजना है, और इसलिए, पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए विभिन्न केंद्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों/विभागों से अनुमति और मंजूरी लेने में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। समिति, मंत्रालय/पीएनजीआरबी पर अर्ध-वार्षिक/वार्षिक

सामंजस्य तंत्र के साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए सीजीडी संस्थाओं को एक व्यापक अनुमोदन जारी करने और स्थानीय तथा राज्य/जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए संयुक्त परामर्श तंत्र के लिए एक मंच विकसित करने के लिए दबाव डालती है ताकि इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी मतभेदों को दूर किया जा सके, राज्य/जिला स्तर पर एक अवसंरचना अनुमोदन समिति बनाई जा सकती है जो इस तरह की मंजूरी ले सकती है और उनके बारे में तेजी से पता लगा सकती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय/पीएनजीआरबी को एकल-खिड़कीत्वरित प्रणाली के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए जो इस तरह की अनुमतियां लेने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करेगा।

सिफारिश संख्या 3

गैस ग्रिड अवसंरचना

समिति नोट करती है कि गैस के परिवहन के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना के तहत देश भर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और अंतिम उपयोगकर्ता तक गैस पहुंचाने के लिए इन ट्रंक पाइपलाइनों से स्पर लाइन बिछाई जा रही है। देश में लगभग कुल 20,227 किलोमीटर लंबी परिचालनरत पाइपलाइन है और वर्ष 2024-25 तक लगभग 15,500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई जानी है। समिति यह भी नोट करती है कि इन ट्रंक पाइप लाइनों से स्पर लाइनें निकाली जा रही हैं जिनके द्वारा गैस अंतिम प्रयोक्ता तक पहुँचाई जाएगी।

यद्यपि समिति पाइपलाइन अवसंरचना के विस्तार की सराहना करती है, तथापि, वहयह नोट करके चिंतित है कि किसानों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग, उपयोग के अधिकार (आरओयू), वन संबंधी मंजूरी आदि जैसे विभिन्न कारणों से हल्दिया-जगदीशपुर पाइपलाइन, कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन(केकेएमपीएल) और अंगुल-श्रीकाकुलम पाइपलाइन संबंधी कार्य में विलंब हो रहा है।देश के लिए एक स्थिर ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना का निर्माण करने मेंये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां उपरोक्त पाइपलाइन परियोजनाओं में राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को पूरा करने के प्रति कम उत्साह दिखारही हैं।

समिति का यह दृढ़ मत है कि देश में गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि इन ट्रंक पाइपलाइनों को पूरा करने की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। समिति उन कुछेक हिस्सों में महत्वपूर्ण ट्रंक पाइपलाइनों को बिछाने में विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है जो राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक ऐसा बेहतर तंत्र विकसित और तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा राज्य सरकारें समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन अवसंरचनाबिछाने संबंधी कार्य को पूरा करसकें और विभिन्न पणधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।

सिफारिश संख्या 4

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

समिति नोट करती है कि प्राकृतिक गैस दुनिया में ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरी है। अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसके अंतर्निहित लाभों के कारण, ऊर्जा मिश्रण को प्राकृतिक गैस की ओर स्थानांतरित करने की वैश्विक प्रवृत्ति है। तथापि, भारत के मामले में, कुल ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्तमान में केवल 6% है, जबकि वैश्विक हिस्सेदारी 24.2% है। चूंकि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की नीतियां अपना रही है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि हुई हैऔर वर्ष 2030 तक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए मांग में वृद्धि होने जा रही है। समिति पाती है कि मांग में इस वृद्धि से देश में गैस की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ेगा। जब तक घरेलू उत्पादन या नई खोजों के द्वारागैस की उपलब्धता में वृद्धि नहीं की जाती,तब तक एलएनजी आयात के माध्यम से मांग पूरी करनी पड़ेगी। तथापि, ये आयात अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन भी हैं।

समिति का यह विचार है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देश में प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सभी संभावित विकल्पों का पता लगाने हेतु

एक योजना विकसित करनी चाहिए। इस दिशा में, समिति चाहती है कि मंत्रालय को अन्वेषण के लिए दिए गए ब्लॉकों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, पहले से खोजे गए क्षेत्रों में अन्वेषण और उत्पादन के लिए कार्यकलापों को तेज करना चाहिए और पड़ोसी क्षेत्रों से गैस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइनों के निर्माण में तेजी लाने के लिए मजबूत राजनयिक प्रयास करना चाहिए और कम लागत पर एलएनजी के आयात के लिए दीर्घकालिक अनुबंधकरना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि गैस के अपरंपरागत स्रोतों जैसे गैस हाइड्रेट्स, सीबीएम, शेल गैस के अन्वेषण और विकास पर गंभीरतापूर्वकविचार करना चाहिए।इस मांग को पूरा करने के विकल्प के तौर पर सीबीजी संयंत्रों को भी देखा जा सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और घरेलू उत्पादन में वृद्धि करनेके लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिए,सौंपे गए ब्लॉकों में उत्पादन संबंधी कार्यकलापों में तेज़ी लानी चाहिए और टैक्स ब्रेक,स्टेबल टैक्स व्यवस्था आदि जैसे राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन देने चाहिए।

सिफारिश संख्या 5

गैस पाइपलाइनों का क्षमता उपयोग

समिति पाती है कि मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का क्षमता उपयोग वर्तमान में निचले स्तर पर है। उनमें से कुछ 10% से 20% की उपयोगिता स्तर पर काम कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि जो पाइपलाइनें 10 वर्षों से अधिक समय से परिचालन में हैं, वे अपने इष्टतम स्तर तक नहीं चल रही हैं और मुख्य रूप से घरेलू गैस की सीमित उपलब्धता के कारण बाधित हैं। गैस पाइपलाइनों से जुड़े कुछ गैस आधारित बिजली संयंत्र घरेलू गैस आपूर्ति की अनुपलब्धता और आयातित गैस का पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जाने के कारण (लगभग 14,305 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ) फंसे हुए हैं, क्योंकि यह बहुत महंगा है।

समिति मानती है कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को इष्टतम मांग प्राप्त करने के लिए लम्बे समय की आवश्यकता होती है। हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों,जैसे औद्योगिक, बिजली और उर्वरक के उपयोग के लिए इन गैस पाइपलाइनों के पूर्ण उपयोग को प्रभावित करनेवाली चुनौतियों का

समाधान किए जाने की सख्त आवश्यकता है। समिति नोट करती है कि इस परिमाण के निवेश के लिए ऐसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पूर्ण और कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में ऐसी परियोजनाएं कीमती संसाधनों को खत्म कर देंगी। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि विशेष रूप से अपारंपरिक स्रोतों के दोहन के माध्यम से घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ाने और इन क्षेत्रों को गैस उपलब्ध कराकर विभिन्न गैस पाइपलाइनों को परस्पर जोड़ने, पाइपलाइन मार्ग के साथ आगामी गैस आधारित उर्वरक इकाइयों, रिफाइनरी इकाइयों, इस्पात उद्योग आदि का सिंक्रनाइज्ड कमीशनिंग/रूपांतरण करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

सिफारिश सं. 6

पीएनजीआरबी की कार्यपद्धति

समिति नोट करती है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना 31 मार्च, 2006 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के संसद द्वारा पारित किए जाने और उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद की गई थी। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (विधि) और तीन अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं। बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष सहित बोर्ड के तीन सदस्यों से बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के लिए गणपूर्तिहोती है।

समिति नोट करती है कि पीएनजीआरबी बोर्ड पिछले कुछ वर्षो से पूरी तरह से गठित नहीं हुआ है। बोर्ड में कई रिक्तियां हैं और यहां तक कि वित्त सलाहकार का पद भी रिक्त है और कई बार गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या भी उपलब्ध नहीं होती है। समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि बोर्ड की किसी गणपूर्ति या पूरी संख्या के अभाव में, पीएनजीआरबी जैसा महत्वपूर्ण संगठन भी निर्णय लेने मेंसक्षम नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप नीतियां नहीं बन पाएँगी और निर्णय लेने में विलंबसे एजेंसी अर्थहीन और अप्रभावीसंगठन बन जाएगी। लंबी अवधि में ऐसी रिक्तियां दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भी बाधा डालती हैं और विशेष रूप से तब, जब सरकार की योजना देश में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने की है और जब वह वर्तमान में देश में सीजीडी नेटवर्क का इतना बड़ा विस्तार कर रही है।

समिति यह भी नोट करती है कि ये रिक्तियां पीएनजीआरबी को स्थिरता प्राप्त करने और खुद को एक कुशल विनियामक के रूप में स्थापित करने से रोकेंगी और यह नहीं समझरहीं कि पीएनजीआरबी में उपयुक्त पेशेवर पृष्ठभूमि और अनुभव वाले व्यक्तियों कोनियुक्त नहीं किया गया है। समिति रिक्तियों की लंबी अवधि को गंभीरता से देखती है और सिफारिश करती है कि सरकार को तत्काल पीएनजीआरबी में रिक्त पदों का समाधान करने और रिक्तियों के उत्पन्न होने से पहले अग्रिम रूप से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक तंत्र बनाने और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षेत्र के तीव्र विकास को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए सभी स्तरों पर मानव संसाधन के संदर्भ में संगठन को मजबूत करने की भी तत्काल आवश्यकता है। इस समिति को सूचित करते हुए रिक्तियों को भरा जाए।

सिफारिश सं. 7

पीएनजीआरबी की भूमिका/शक्ति का पुनःस्थापन

समिति नोट करती है कि 238 जीए देश भर के 400 जिलों को कवर कर रहे हैं, जो 11वें सीजीडी बोलीदौर के साथ देश के लगभग 70%भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) और इसकी 84% आबादीको कवर कर रहे हैं।

समिति का मानना है कि ऐसे नेटवर्क/बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता के साथ, पाइपलाइनों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि, अब तक इन क्षेत्रों में पीएनजीआरबी की एक सीमित भूमिका रही है क्योंकि इसे शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार दिया गया है। अन्य विनियामकों की तर्ज पर पीएनजीआरबी के अधिदेश को पुनर्निर्देशित करने की तत्काल आवश्यकता है और उन्हें सौंपे गए पूरे क्षेत्र की निगरानी और विनियमन के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

समिति चाहती है कि मंत्रालय को पीएनजीआरबी के कार्य की समीक्षा करनी चाहिए और इस क्षेत्र को विनियमित करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए योग्य कर्मचारियों को शामिल करके इसे और मजबूत किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से नियम और विनियम बनाने

चाहिए। सुरक्षा पहलुओं को लागू करने के लिए तेल और गैस क्षेत्र को पीएनजीआरबी के पर्यवेक्षण और विनियमन के तहत लाया जाए ताकि विभिन्न एजेंसियों और एक केंद्रीकृत ढांचे के बीच अतिव्याप्त अधिदेशों से बचा जा सके जिससे प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके और नियमों तथा विनियमों को प्रभावी तरीक़े से लागू किया जा सके और विलंब को कम किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि इस आशय से विधायी ढांचे में यथाशीघ्र आवश्यक परिवर्तन लाया जाए।

सिफ़ारिश संख्या 8

विवाद समाधान तंत्र

समिति यह पाती है कि पीएनजीआरबी के विरुद्ध कुछ मुकदमें चल रहे हैं और वे विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल), उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं और मध्यस्थता के कुछ मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। कई कानूनी मुद्दों के कारण, पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क की प्रगति प्रभावित होती है और विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होता है जिससे देश में गैस क्षेत्र के विकास में बाधा आती है और उसमेंविलंब होता है। समिति को सूचित किया गया है कि पीएनजीआरबी द्वारा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं के एक पैनल, जो विभिन्न न्यायिक निकायों में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, से भी कानूनी सलाह प्राप्त की जाती है।

समिति को पीएनजीआरबी द्वारा यह सूचित किया गया है कि आज की स्थिति के अनुसार, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। समिति चाहती है कि पीएनजीआरबी / मंत्रालय आम समस्याओं की पहचान करने और समाधान तंत्र के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों से परामर्श करे।समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक मामले में अदालतों का सहारा लेने के बजाय पक्षों के साथ बातचीत करके मामलों की संख्या को कम करने और एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए कदम उठाए जाएं।समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि कानूनी मुद्दों से निपटने में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए व्यापक परामर्श द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र लाने के रास्ते तलाशे जाने चाहिए।कानूनी मुद्दों का त्वरित समाधान क्षेत्र की कुशल और निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा जिससे हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा।

समिति विवादों में कमी लाए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए मंत्रालय से यह सिफ़ारिश करती है कि वह सीजीडी और पाइपलाइन नेटवर्क में लंबित मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करे। तदनुसार, मंत्रालय को विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले पक्षों के साथ बातचीत करके एक मजबूत और पारदर्शी संस्थागत तंत्र स्थापित करना चाहिए जिससे कीमती समय और संसाधनों को बचाया जा सके।

सिफारिश सं. 9

लोक दायित्व बीमा पॉलिसी

समिति का मानना है कि पीएनजीआरबी (ईआरडीएमपी) विनियम 2010 के विनियम 9(1) के अनुपालन में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का अनुपालन करना अनिवार्य है और तदनुसार सीजीडी कम्पनियों को उपभोक्ताओं के लिए "लोक दायित्व बीमा पॉलिसी" लेना आवश्यक है।समिति यह भी नोट करती है कि ग्राहक आधार बढ़कर 76 लाख हो गया है और इसका लक्ष्य 4.23 करोड़ घरों का है और वर्तमान में 2830 सीएनजी स्टेशन है और 9वें और 10वें सीजीडी बोली दौर के तहत 8181 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इतने बड़े नेटवर्क के आने के साथ, सुरक्षा मुद्दों का गंभीरता से समाधान करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह जरूरी है कि पीएनजी/सीएनजी उपभोक्ताओं के बीच इस नीति के विवरण के साथ-साथ सुरक्षित प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए।

साथ ही, उपभोक्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि किसी भी ऐसी अप्रिय घटना के मामले में जो चोट/संपत्ति की क्षति या मृत्यु का कारण बनता है,जिसके लिए पीएनजी/सीएनजी आग का प्राथमिक कारण है, वे बीमा कंपनी पर दावा फ़ाइल कर सकते हैं। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय दावा निपटान की प्रक्रिया की समीक्षा करे और लोक दायित्वबीमा पॉलिसी को सरल और आम लोगों की समझमें आने वाला बनाए। उपभोक्ताओं/ग्राहकों को जारी किए गए बिलों में इस तरह के परामर्श मुद्रित किए जा सकते हैं ताकि इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर के साथ उनके बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके। अत: समिति सिफारिश करती है कि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

सिफारिश सं. 10

भौगोलिक क्षेत्रों में कवरेज को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और 238 जीए देश भर में 520 जिलों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता के साथ 400 जिलों को कवर कर रहे हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 70% और 11वें सीजीडी बोली दौर में अपनी आबादी का 84 प्रतिशत कवर करेगा।

समिति महत्वाकांक्षी लक्ष्य तथा इन परियोजनाओं के लाभार्थियों की वास्तविक संख्या को लेकर चिंता को नोट करती है। इसके अलावा, समिति नोट करती है कि भले ही किसी क्षेत्र को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कवर के रूप में चिह्नित किया गया हो, फिर भी कनेक्शन अभी भी हर घर तक नहीं पहुंचा है। अधिकांश घरों में जीए घोषित करने की परिभाषा का मतलब यह नहीं है कि उस क्षेत्र के लोगों को कवरेज दिया जाए। समिति नोट करती है कि सीजीडी नेटवर्क उनके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं और भौगोलिक क्षेत्रों में कनेक्शन की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखे बिना एकल जिला, भाग जिला, दो या अधिक जिले या ऐसा कोई संयोजन शामिल हो सकतेहैं।

दिल्ली का उदाहरण लें, जहां सीजीडी नेटवर्क 1998 से आईजीएल द्वारा संचालित किया जा रहा है, और अभी तक केवल 20 से 30% आबादी की पहुंच पीएनजी तक है, जबकि दिल्ली को 70 विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप 70 चार्ज क्षेत्रों मे विभाजितकिया गया है।

पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे में की गईअच्छी प्रगति पर संतोष प्रकट करते हुए, समिति यह नोट करकेअप्रसन्न है कि जीए के तहत किसी विशेष क्षेत्र में कवरेज को परिभाषित करने के पैरामीटर अस्पष्ट और दोषपूर्ण तरीक़े से परिभाषित हैं। जमीनी हकीकत में वास्तविक पैठ दर्शाने के लिए, लाभार्थियों के आँकड़ों को मापने के लिए एक उचित रूपरेखाहोनी जरूरी है। समिति चाहती है कि मंत्रालय/आईजीएल को दिल्ली और उन अन्य क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन के विस्तार में तेजी लानी चाहिएजहां आईजीएल/एमजीएल नेटवर्क पहले से मौजूद

है और जिन्हें जीए के तहत 100% कनेक्शन हासिल किये जाने का क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि यह कवरेज पीएनजी तक पहुंच रखने वाले परिवारों की वास्तविक संख्या पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल जीए के तहत एक क्षेत्र को चार्ज क्षेत्र घोषित किए जाने के आधार पर। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी जिले को पीएनजी नेटवर्क के अंतर्गत कवर जिले के रूप में घोषित करने का प्रमुख मानदंड प्रत्येक जिले में मांग का स्तर होना चाहिए।

सिफारिश सं. 11

भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा

समिति पाती है कि संबंधित सीजीडी नेटवर्क के लिए संविदा वाहक या सामान्य वाहक के दायरे से छूट के संदर्भ में कम्पनियों को प्राधिकृत किए जाने की तारीख से 3/5/8/10 वर्ष की विपणन अनन्यता अवधि की अनुमति दी जाती है। कई क्षेत्रों में यह समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। समिति महसूस करती है कि तीसरे पक्ष की कम्पनियों को गैर-भेदभावपूर्ण सरल पहुंच प्रदान करने के लिए शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किए जाने की समीक्षा और अद्यतन करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसे पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए खोला जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही, लोगों को अनन्यता अवधि के बाद किसी भी ऑपरेटर के पास स्थानांतरित करवाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से, एक व्यक्ति के पास अपनी इच्छानुसार कनेक्शन लेने का विकल्प होगा और इसलिए उसे सीजीडी कम्पनी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस उभरते और बढ़ते क्षेत्र में और अधिक कम्पनियों द्वारा भाग लिए जाने की तत्काल आवश्यकता है और इसलिए जब अनन्यता अवधि समाप्त हो जाती है, तो नई कम्पनियों को आमंत्रित करने, उन्हें आबंटन करने तथा उनके संचालन की पूरी प्रक्रिया का अनुमान लगाकर, पहले से ही कार्य किया जाना चाहिए। यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता और सुपुर्दगी में वृद्धि करेगा जिससे ग्राहकों को बेहतर

संतुष्टि मिलेगी और आशा है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता धीरे-धीरे एलपीजी के स्थान पर पीएनजी को अपनाएंगे।

सिफ़ारिश संख्या 12

सीजीडी इकाइयों पर पुनर्स्थापना प्रभारों (रेस्टोरेशन चार्जेस) का युक्तिकरण

समिति यह पाती है कि अधिसूचित मानकीकृत प्रभारों के अभाव में प्राधिकारियों द्वारा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए सीजीडी इकाइयों पर बहुत अधिक पुनर्स्थापना प्रभार लगाया जाता है और इसके अलावा, राज्यों में ये प्रभार एक समान नहीं हैं। इससे परियोजनाओं की अवधि औरलागत बढ़ जाती है और पुनर्स्थापना प्रभारों में एकरूपता लाने की तत्काल आवश्यकता है।

समिति को सूचित किया गया है कि पुनर्स्थापना प्रभारों में समानता, एकरूपता और समतुल्यता लाने के लिए निम्नलिखित मॉडलों की जांच की जा सकती है: (एक) सीजीडी इकाई द्वारा खुदाई और पुनर्स्थापना को अपनाकर इन प्रभारों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे सीजीडी इकाई शून्य अनुमति शुल्क के साथ सड़क को पुनर्स्थापित करती है और एक तंत्र विकसित किया जा सकता है जिसमें सीजीडी इकाई संतोषजनक पुनर्स्थापना कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा जमा प्रदान करती है; (दो) एक और ढांचा विकसित किया जा सकता है जिसमें सीजीडी इकाई को सामान्य अनुमति मिलती है और नामित प्राधिकरण सड़कों को पुनर्स्थापित करते हैं, और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए अनुमति शुल्क (सीपीडब्ल्यूडी दरों के आधार पर) का भुगतान करते हैं; (तीन) अन्यथा, सीजीडी इकाई पहले 10 वर्षों के लिए संबंधित म्युनिसिपल कार्पोरेशन/नगर निगम को घरेलू पीएनजी के मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य की निश्चित दर (जैसे 2%-3%) पर वार्षिक शुल्क का भुगतान करती है। भुगतान के समय, ऐसे वार्षिक शुल्क उस विशेष जीए में घरेलू पीएनजी कनेक्शन की कुल संख्या पर आधारित हो सकते हैं। बदले में, पाइपलाइन बिछाने के समयसभी सड़क पुनर्स्थापना प्रभारों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि खुदाई और पुनर्स्थापना के मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)को राज्यों में और पूरे देश के पुनर्स्थापना क्षेत्रों के लिए देश में एक मानक तंत्र पर पहुंचने के लिए शहरी विकास मंत्रालय और राज्य सरकार में नगर प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के साथ इस मामले को उठाना चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय / पीएनजीआरबी को इन सुझावों पर गहराई से विचार करना चाहिए और पुनर्स्थापना मानदंडों पर अन्य सीजीडी इकाइयों से परामर्श करना चाहिए। उन्हें शहरी/नगरपालिका/स्थानीय निकायों के साथ चर्चा के बाद एक सहमति तंत्र पर पहुंचना चाहिए ताकि इस मुद्दे को सुचारु बनाया जा सके।

सिफ़ारिश संख्या 13

सीएनजी नेटवर्क

समिति नोट करती है कि पूरे देश में प्रचालनरत 2,830 सीएनजी स्टेशनों के साथ सीएनजी उपलब्ध कराने में अच्छी प्रगति हुई है। दिल्ली और मुंबई में मुख्य रूप से पर्याप्त संख्या में सीएनजी स्टेशन हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में आईजीएल और एमजीएल के प्रचालन कर रहे हैं। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि ओएमसी के मौजूदा रिटेल आउटलेट जो ऑटो ईंधन का वितरण करते हैं, उन्हें सीएनजी भी प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है। हालांकि, अधिकांश अन्य शहरों में जहां सीजीडी प्रचालनरत है, वहां सीएनजी स्टेशनों की अधिक पहुंच नहीं है। समिति महसूस करती है कि सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क कम होने के कारण इन शहरों के लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार सीएनजी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

समिति ने नोट किया है कि 9वें और 10वें बिडिंग राउंड के तहत कुल 8181 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है। समिति को सूचित किया गया है कि 11वें दौर की बोलियां भी आमंत्रित की गई हैं। समिति सिफ़ारिश करती है कि इन दौरों में योजनागत सभी स्टेशनों को इस प्रकार पूर्णरूपेण प्रचालनरत किया जाए जिससे कुछ चुनिंदा मेट्रो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सारे भौगोलिक क्षेत्र में व्यापक, समान और संतुलित नेटवर्क हो।

सिफ़ारिश संख्या 14

राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशन

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशनों की संख्या अपर्याप्त है, जिससे इन मार्गों पर सीएनजी ईंधन का उपयोग करने वाले यात्रियों को विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों को कठिनाई हो रही है। राजमार्गों पर सीएनजी स्टेशनों को संचालित करने के लिए संस्थाओं को लाइसेंस देकर इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। समिति पाती है कि नए सीएनजी स्टेशन उभरते हुए स्मार्ट शहरों की क्षमता पर

आधारित होने चाहिए। चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई नए राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेशनों के प्रावधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ चर्चा करनी चाहिए और तदनुसार, इन भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जीतने वाली इकाइयों को राजमार्गों के चालू होने के साथ ये सुविधाएं प्रदान करने का अधिदेश दिया जाना चाहिए। इससे वाहन उपयोगकर्ताओं को सीएनजी वाहनों में स्विच करने में काफी सुविधा मिलेगी। इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि अधिक सूक्ष्म, सक्रिय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा और निर्माणाधीन दोनों राजमार्गों पर सुविधाजनक स्थानों पर सीएनजी उपलब्ध कराया जा सके।

सिफ़ारिश संख्या 15

पीएनजी कवरेज बढ़ाना

समिति नोट करती है कि ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग से पारंपरिक ईंधन की तुलना में काफी लाभ होता है क्योंकि यह अधिक स्वच्छ, अधिक दक्ष, सुविधाजनक और सुरक्षित है। सरकार चरणबद्ध तरीके से शहरी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) प्रदान करना शामिल है।

समिति नोट करती है कि अब तक 76.05लाख परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं और 9वें और 10वें सीजीडी बिडिंग राउंड के तहत 4.23करोड़ पीएनजी घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता की गई है। समिति महसूस करती है कि एलपीजी की तुलना में पीएनजी के कई फायदे हैं जो अभी भी घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रमुख ईंधन है। घरों में एलपीजी सिलेंडर के वितरण और आपूर्ति में शामिल लॉजिस्टिक्स की तुलना में पाइप नेटवर्क में परिवहन / आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस सुरक्षित और किफायती है। साथ ही ग्राहक

हमेशा कम मात्रा/कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों को लेकर आशंकित रहते हैं जबकि पीएनजी की खपत को मीटर से मापा जाता है। इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, जिनका एलपीजी सिलेंडर कारोबार बाजार में प्रमुख हिस्सा है, इनको ज़ोर-शोर से सीजीडी नेटवर्क में प्रवेश करना चाहिए ताकि ये अपने ग्राहकों को न खोएं क्योंकि देश एक बड़े और अच्छे सीजीडी नेटवर्क कवरेज के लिए तैयार है। इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर दी जा रही सब्सिडी की बचत करना हो सकता है। चूंकि पीएनजी की कीमत एलपीजी की कीमत से कम है, इसलिए उपभोक्ताओं को इसकी कम लागत का भी लाभ मिलेगा और यह उपभोक्ताओं और सरकार दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति है।

सिफ़ारिश संख्या 16

गैस से नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को गति मिल सकती है

समिति पाती है कि ऊर्जा का भविष्य एक स्थिर ऊर्जा सुरक्षा ढांचे की स्थापना में नवाचार और तकनीकी हस्तक्षेप में निहित है। 2070तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य, और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 500 जी डब्ल्यू तक पहुँचने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के संबंध में सीओपी 26 शिखर सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हाल में की गई घोषणाओं के लिए मजबूत ऊर्जा अवसंरचना के गहन और व्यापक विकास की आवश्यकता है,जो देश के भीतर एक नए निवेश माहौल की शुरूआत करेगा।

भारत को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में विद्युत क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में सबसे आगे रहना होगा। भारत को इस परिवर्तन काल को सहज, विश्वसनीय और किफायती तरीके से लेना चाहिए। कोयले और गैस जैसी भिन्न प्रौद्योगिकियों में सबसे पूरक विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त करने और सस्ती कीमत पर बिजली प्रदान करने के साथ-साथ इसके प्रचालन में ग्रिड को सहयोग देना जारी रखती हैं। गैस पावर

एक बहुमूल्य प्रस्ताव है और यह राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा में और अधिक विविधता लाने और देश में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बन सकता है।

समिति का यह विचार है कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत अधिक रुचि ली जा रही है और ऊर्जा के स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए इसकी उत्पादन लागत को कम करने और इसे वहनीय बनाने के लिएकड़े प्रयास किए जाने चाहिए।इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती है कि गेल, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के गैस विपणन उपक्रम गैस की आपूर्ति का पता लगा सकते हैं ताकि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में सहायता और तेजी लाने के लिए गैस आधारित हाइब्रिड विद्युत संयंत्रों की संभाव्यता को प्रोत्साहित किया जा सके।

नई दिल्ली
24 मार्च, 2022
3 चैत्र, 1944 (शक)

रमेश बिधूडी
सभापति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

Annexure - I

(in MMSCM)

Trend of Natural Gas Production in India

(in MMSCM)	2018-19	2019-20	2020-21
ONGC+OIL			
0	27399	26414	24352
Net Production	26816	25726	23715
Private / JVCs			
0	5477	4770	4321
Net Production	5242	4531	4068
TOTAL			
Gross Production	32875	31184	28672
Net Production[1]	32058	30257	27784
In MMSCMD	88	83	76

State wise Production (In MMSGM)

STATE	2018-19	2019-20	2020-21
A. Onshore			
Assam & Arunachal Pradesh			
Gross Production	3317	3187	3051
Net Production	3093	2942	2815
Gujarat			
Gross Production	1402	1342	1138
Net Production	1349	1287	1059
Tamil Nadu			
Gross Production	1208	1097	911
Net Production	1168	1051	857
Andhra Pradesh			
Gross Production	1082	912	827
Net Production	1045	874	783
Tripura			
Gross Production	1554	1473	1634
Net Production	1554	1472	1634
West Bengal (CBM)			
Gross Production	350	306	307
Net Production	309	277	250
Jharkhand (CBM)			
Gross Production	4	5	2
Net Production	4	5	2
Madhya Pradesh (CBM)			
Gross Production	357	345	334
Net Production	356	344	333
Rajasthan			
Gross Production	1483	1883	2040
Net Production	1378	1772	1938
A. Onshore Total			
Gross Production	10756	10549	10243
Net Production	10254	10025	9670
B. Offshore			
Mumbai High + Eastern Offshore			
Gross Production	19044	18576	17086
Net Production	18773	18226	16810
Private / JVCs			
Gross Production	3075	2059	1343
Net Production	3030	2006	1303
Total (A&B)			
Gross Production	32875	31184	28672
Net Production	32058	30257	27784

NOTE : [1] Denotes natural gas available for consumption, which is derived by deducting from gross production, the quantity of gas flared/loss by producing companies
Source: ONGC, OIL & DGH
MMSCM: Million Standard Cubic Metre

Annexure - II

Import of Liquefied Natural Gas

Year	2018-19	2019-20
Total LNG Imports (Long Term, Spot) in MMT	21.7	25.6
Total LNG Imports (Long Term, Spot) in MMSCM	28740	33887
Total LNG Imports (Long Term, Spot) in MMSCMD	79	93

Source: LNG importing companies and DGCIS
MMT:Million Metric Tonnes
1 MMT = 1325 MMSCM

Annexure - III

Trend of Natural Gas Consumption in India (including internal consumption)			
Financial Year	2018-19	2019-20	2020-21
Net Production in MMSCM	32058	30257	27784
LNG import in MMSCM	28740	33887	32861
Total Consumption (Net Production + LNG import) in MMSCM	60798	64144	60645
Total Consumption (Net Production + LNG import) in MMSCMD	167	176	166

Note : Net production is derived by deducting gas flared and loss from gross production by producing companies.

Source: ONGC, OIL, DGH, LNG importing companies and DGCIS

MMSCM : Million Standard Cubic Meter

Annexure – IV

राज्यवार पीएनजी की खपत (वित्त वर्ष 2020-21) (सितंबर 2020 तक पहली छमाही)*

राज्य (राज्यों) / केंद्र शासित प्रदेश	योग
आंध्र प्रदेश	3.131724
असम	6.560612
बिहार	0.084252
चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	1.646451
दादरा और नगर हवेली	0.426968
दमन और दीव	0.128873
दिल्ली	57.895484
गोवा	0.004950
गुजरात	187.071819
हरियाणा	8.560560
झारखंड	0.086428
कर्नाटक	3.474936
केरल	0.198456
मध्य प्रदेश	6.440257
महाराष्ट्र	99.431031
उड़ीसा	0.052164
पंजाब	0.430892
राजस्थान	0.180510
तेलंगाना	3.623103
त्रिपुरा	6.934648
उत्तर प्रदेश	39.712266
उत्तराखंड	1.072645
कुल योग	427.149029

* जैसा कि सीजीडी कंपनियों द्वारा बताया गया है (संशोधन के अधीन यदि कोई हो)

राज्यवार पीएनजी की खपत (वित्त वर्ष 2019-20)*

राज्य (राज्यों) / केंद्र शासित प्रदेश	योग
आंध्र प्रदेश	6.161722
असम	10.647979
बिहार	0.117074
चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश	2.939007
दादरा और नगर हवेली	0.420933
दमन और दीव	0.186944
दिल्ली	103.609864
गोवा	0.001816
गुजरात	351.279645
हरियाणा	16.540158
झारखंड	0.068693

कर्नाटक	3.560721
केरल	0.251367
मध्य प्रदेश	10.791320
महाराष्ट्र	176.687964
उड़ीसा	0.046071
पंजाब	0.454317
राजस्थान	0.271725
तेलंगाना	3.350141
त्रिपुरा	12.930487
उत्तर प्रदेश	69.556464
उत्तराखंड	1.115602
कुल योग	**770.990015**

* जैसा कि सीजीडी कंपनियों द्वारा बताया गया है (संशोधन के अधीन यदि कोई हो)

अनुलग्नक- V

देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की सूची(दिनांक 30.06.2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	डवेलपर	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	राज्य का नाम	पी/आई
(क) केन्द्रीय सेक्टर					
1	एनटीपीसी,फरीदाबाद सीसीपीपी	एनटीपीसी	431.59	हरियाणा	पी
2	एनटीपीसी, अंटा सीसीपीपी	एनटीपीसी	419.33	राजस्थान	पी
3	एनटीपीसी, औरय्या सीसीपीपी	एनटीपीसी	663.36	उत्तर प्रदेश	पी
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	एनटीपीसी	829.78	उत्तर प्रदेश	पी
	उप योग (उत्तरी क्षेत्र)		**2344.06**		
5	एनटीपीसी, गंधार(झानोर) सीसीपीपी	एनटीपीसी	657.39	गुजरात	पी
6	एनटीपीसी, कावास सीसीपीपी	एनटीपीसी	656.2	गुजरात	पी
7	रत्नागिरी सीसीपीपी (आरजीपीपीएल)	आरजीपीपीएल	1967	महाराष्ट्र	पी
	उप योग (उत्तरी क्षेत्र)		**3280.59**		
8	कथलगुरि	एनईईपीसीओ	291	असम	आई
9	अगरतला	एनईईपीसीओ	135	त्रिपुरा	आई
10	मोनारक	एनईईपीसीओ	101	त्रिपुरा	आई
11	तित्रुरा सीसीपीपी	ओएनजीस-त्रिपुरा (ओटीपीसी)	726.6	त्रिपुरा	आई
	उप योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**1253.6**		
	कुल (सीएस)= क		**6878.25**		
(ख) राज्य सेक्टर					
12	आईपी. सीसीपीपी	आईपीजीसीएल	270	दिल्ली	पी
13	प्रगति सीसीजीटी -III	पीपीसीएल	1500	दिल्ली	पी
14	प्रगति सीसीपीपी	पीपीसीएल	330.4	दिल्ली	पी
15	धौलपुर सीसीपीपी	आरआरवीयूएनएल	330	राजस्थान	पी

16	रामगढ़ सीसीपीपी	आरआरवीयूएनएल	273.8	राजस्थान	आई
	उप योग (उत्तरी क्षेत्र)		2704.2		
17	धुवारान सीसीपीपी	जीएसईसीएल	594.72	गुजरात	पी
18	हजीरा सीसीपीपी	जीएसईजी	156.1	गुजरात	पी
19	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	जीएसईजी	351	गुजरात	पी
20	पीपावाव सीसीपीपी	जीपीपीसीएल	702	गुजरात	पी
21	उतरन सीसीपीपी	जीएसईसीएल	374	गुजरात	पी
22	उरण सीसीपीपी	महागेनको	672	महाराष्ट्र	पी
	उप योग (पश्चिम क्षेत्र)		**2849.82**		
23	गोदावरी(जेगुरूपाडु)	एपीईपीडीसीएल	235.4	आन्ध्र प्रदेश	पी
24	कराईकाल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	पुदुच्चेरी पावर कॉ. लि.	32.5	पुदुच्चेरी	आई
25	कोवीकालपाल (थिरूमाकोट्टाई)	टीएएनजीईडीसीओ	107	तमिलनाडु	आई
26	कुट्टालम सीसीपीपी	टीएएनजीईडीसीओ	100	तमिलनाडु	आई
27	वालुथुर सीसीपीपी	टीएएनजीईडीसीओ	186.2	तमिलनाडु	आई
	उप योग (दक्षिण क्षेत्र)		**661.1**		
28	लकवा जीटी	एपीजीसीएल	97.2	असम	आई
29	लकवा रिपलेस्मेंट सीसीपीपी	एपीजीसीएल	69.76	असम	आई
30	नामरूप सीसीपीपी	एपीजीसीएल	197.4	असम	आई
31	बारामुरा जीटी	टीएसईसीएल	59.5	असम	आई
32	रोकिंदा जीटी	टीएसईसीएल	111	त्रिपुरा	आई
	उप योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**533.96**		
	योग (एसएस) = ख		**6748.98**		
(ग) निजी/आईपीपी सेक्टर					
33	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल (टाटा पावर डिसट्रीब्यूशन)	108	दिल्ली	पी
34	गामा सीसीपीपी	गामा इन्फ्राक्राप	225	उत्तराखंड	पी
35	काशीपुर सीसीपीपी	सरवंथी पावर कॉप.लि.	225	उत्तराखंड	पी
	उप योग (उत्तरी क्षेत्र)		558		पी

36	बढ़ोदा सीसीपीपी	जीआईपीसीएल	160	गुजरात	पी
37	एस्सार सीसीपीपी	एस्सार पावर	300	गुजरात	पी
38	पागुथन सीसीपीपी (सीएलपी)	सीएलपी इंडिया	655	गुजरात	पी
39	सुगन सीसीपीपी (टोरेंट)	टोरेंट पावर	1147.5	गुजरात	पी
40	अनसुगन सीसीपीपी (टोरेंट)	टोरेंट पावर	382.5	गुजरात	पी
41	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी (टोरेंट)	टोरेंट पावर	1200	गुजरात	पी
42	ट्राम्बे सीसीपीपी	टाटा पावर	180	महाराष्ट्र	पी
43	मनगांव सीसीपीपी	पीजीपीएल	388	महाराष्ट्र	पी
	उप योग (पश्चिम क्षेत्र)		4413		
44	गौतमी सीसीपीपी	जीवीके	464	आन्ध्र प्रदेश	पी
45	जीएमआर-काकीनाड़ा (तानीवावी)	जीएमआर एनर्जी	220	आन्ध्र प्रदेश	पी
46	जीएमआर-राजामुंद्री एनर्जी लि.	जीएमआर एनर्जी	768	आन्ध्र प्रदेश	पी
47	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	स्पेक्ट्रम पावर	208	आन्ध्र प्रदेश	पी
48	जेगुरूपाडु सीसीपीपी चरण –II	जीवीके	220	आन्ध्र प्रदेश	पी
49	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा पावर लि.	445	आन्ध्र प्रदेश	पी
50	कोंडापल्ली एक्स. सीसीपीपी	लैनको	366	आन्ध्र प्रदेश	पी
51	कोंडापल्ली एसटी-१ सीसीपीपी	लैनको	742	आन्ध्र प्रदेश	पी
52	कोंडापल्ली सीसीपीपी	लैनको	368.1	आन्ध्र प्रदेश	पी
53	पेडापुरम	रिलायंस इन्फ्रा	220	आन्ध्र प्रदेश	पी
54	वेमागिरी सीसीपीपी	जीएमआर एनर्जी	370	आन्ध्र प्रदेश	पी
55	विजेसवरन सीसीपीपी	एपीजीपीसीएल	272	आन्ध्र प्रदेश	पी
56	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंगस लिमिटेड *	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंगस लि. *	30	आन्ध्र प्रदेश	पी
57	आवीके एनर्जी *	आवीके एनर्जी *	28	आन्ध्र प्रदेश	पी
58	सिल्क रोड शुगर*	सिल्क रोड शुगर*	35	आन्ध्र प्रदेश	पी
59	एलवीएस पावर*	एलवीएस पावर*	55	आन्ध्र प्रदेश	पी

60	करूप्पुर सीसीपीपी	लैनको	119.8	तमिलनाडु	आई
61	पी.नाल्लुर सीसीपीपी (पीपीएन)	पीपीएन पावर	330.5	तमिलनाडु	आई
62	वैलंटरवाई सीसीपीपी	पेन्ना इलैक्ट्रिक	52.8	तमिलनाडु	आई
	उप योग (दक्षिण क्षेत्र)		5314.24		
63	डीएलएफ असम जीटी*		24.5	असम	आई
	उप योग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)		24.5		
	कुल (निजी/आईपीपीएस)=ग		10309.74		
	समग्र योग =क +ख +ग		23936.97		

पी= पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति आई = पृथक, एमयू- मिलियन यूनिट

* बंद पड़े संयंत्र

अनुलग्नक-
VI.

अप्रैल, 2019 से शून्य उत्पादन वाले संयंत्रों की सूची

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	डवेलपर	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	राज्य का नाम	पी/आई
राज्य सेक्टर					
1	धौलपुर सीसीपीपी	आरआरवीयूएनएल	330.00	राजस्थान	पी
निजी/आईपीपी सेक्टर					
2	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल (टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन)	108.00	दिल्ली	पी
3	एस्सार सीसीपीपी	एस्सार पावर	300,00	गुजरात	पी
4	पागुथन सीसीपीपी (सीएलपी)	सीएलपी इंडिया	655.00	गुजरात	पी
5	मनगांव सीसीपीपी	पीजीपीएल	388.00	महाराष्ट्र	पी
6	गौतमी सीसीपीपी	जीवीके	464.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
7	जीएमआर-काकीनाड़ा (तानीवावी)	जीएमआर एनर्जी	220.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
8	जीएमआर-राजामुंद्री एनर्जी लि.	जीएमआर एनर्जी	768.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
9	जेगुरूपाडु सीसीपीपी चरण –II	जीवीके	220.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
10	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा पावर लि.	445.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
11	कोंडापल्ली एक्स. सीसीपीपी	लैनको	366.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
12	कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी	लैनको	742.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
13	पेडापुरम	रिलायंस इन्फ्रा	220.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
14	वेमागिरी सीसीपीपी	जीएमआर एनर्जी	370.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
15	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंगस लिमिटेड *	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंगस लि. *	30.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
16	आवीके एनर्जी *	आवीके एनर्जी *	28.00	आन्ध्र प्रदेश	पी

17	सिल्क रोड शुगर*	सिल्क रोड शुगर*	35.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
18	एलवीएस पावर*	एलवीएस पावर*	55.00	आन्ध्र प्रदेश	पी
19	पी.नाल्लुर सीसीपीपी (पीपीएन)	पीपीएन पावर	330.50	तमिलनाडु	आई
20	डीएलएफ असम जीटी*		24.50	असम	आई
	कुल		6099.00		

पी= पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति आई = पृथक, एमयू- मिलियन यूनिट

* बंद पड़े संयंत्र

241

Annexure-VII

LIST REPRESSING THE CASES PENDING BEFORE APTEL, HIGH COURT & SUPREME COURT

CASES PENDING BEFORE APTEL

S. No.	Case No.	Case Title
1.	Appeal No. 113 of 2015	Niko Resources Ltd Vs. PNGRB
2.	Appeal No. 122 of 2015	GAIL Gas Ltd. Vs. PNGRB
3.	Appeal No. 234 of 2016	GAIL India Ltd. Vs PNGRB
4.	Appeal No. 235 of 2016	GAIL India Ltd. Vs PNGRB
5.	Appeal No. 253 of 2016	GAIL India Ltd. Vs PNGRB
6.	Appeal No. 128 of 2016	GAIL India Ltd Vs. PNGRB
7.	Appeal No. 199 of 2016	GAIL Vs. PNGRB
8.	Appeal No. 254 of 2016	GAIL (India) Ltd. Vs. PNGRB
9.	Appeal No. 128 of 2016	GAIL India Ltd. PNGRB
10.	Appeal No. 131 of 2016	GAIL Vs. Sravanthi Energy Ltd.
11.	Appeal No. 132 of 2016	GAIL Vs. Gamma Infra
12.	Appeal No. 133 of 2016	GAIL Vs. Beta Infra
13.	Appeal No. 174 of 2016	Gujarat Gas Ltd Vs. Saint Gobain Pvt Ltd.

40

S. No.	Case No.	Case Title
14.	Appeal No. 160 of 2017	Gujarat State Petronet Ltd (GSPL) Vs. PNGRB
15.	Appeal No. 266 of 2017 and 267 of 2017	GAIL (India) Ltd. Vs. PNGRB
16.	DFR No. 3099 of 2018	Consortium of Deepak Kumar Vs. PNGRB
17.	Appeal No. 133 of 2018	GSPL India Gasnet Ltd Vs. PNGRB
18.	Appeal No. 134 of 2018	GSPL India Transco Ltd Vs. PNGRB
19.	Appeal No 25 of 2019 (Earlier DFR No. 5123 of 2018)	KEI RSOS Petroleum and Energy Pvt Ltd Vs PNGRB
20.	Appeal No. 64 of 2019 (DFR No. 147 of 2019)	GSPL India Gasnet Ltd Vs. PNGRB
21.	Appeal No. 161 of 2019 (DFR No. 1561 of 2019)	HPCL Vs PNGRB
22.	Appeal No. 254 of 2019 (DFR No. 1708 of 2019)	Petronet MHB Ltd Vs. PNGRB
23.	Appeal No. 308 of 2019 (DFR No. 2147 of 2019)	Gujarat Gas Ltd. Vs. PNGRB
24.	Appeal No. 244 of 2019	BPCL Vs. PNGRB
25.	DFR No. 2427 of 2019	Gas Transmission of India Limited v. PNGRB
26.	Appeal No. 110 of 2020	Mahanagar Gas Limited v. PNGRB

S. No.	Case No.	Case Title
27.	Appeal No. 121 of 2020	Megha Engineering and Infrastructure Ltd. Vs Bhagyanagar
28.	DFR No. 1184 of 2016	Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Vs PNGRB
29.	Appeal No. 152 of 2020	Gail India Ltd. Vs PNGRB
30.	Appeal No. 153 of 2020	Gail India Ltd. Vs PNGRB
31.	Appeal No. 361 of 2020	Haryana City Gas Distribution Limited Vs PNGRB
32.	Appeal No. 239 of 2020	Think Gas Ludiana Pvt. Ltd Vs PNGRB
33.	DFR No. 467 of 2020	Jay Madhok Energy Private Limited Vs PNGRB
34.	DFR No. 01 of 2021	Jay Madhok Energy Private Limited Vs PNGRB
35.	Appeal no. 236 of 2020	Sanwariya Gas Ltd. Vs PNGRB
36.	DFR 453 of 2020	Maharashtra Natural Gas Ltd. Vs PNGRB
37.	DFR No. 315 of 2020	BPCL Vs PNGRB

CASES PENDING BEFORE HIGH COURT

S. No.	Case No.	Case Title
1.	CWP 13490 of 2008	Jatinder Moudgal Vs. UOI & Ors.

S. No.	Case No.	Case Title
2.	W. P.(C) No. 8211 of 2010	IOCL, BPCL and HPCL Vs. Reliance Industries. PNGRB & Ors
3.	W.P. (C) No. 7303 of 2013	IOCL, BPCL and HPCL Vs. CCI
4.	W.P No.15259 of 2013	Bhagyanagar Gas Ltd Vs.PNGRB
5.	W.P.(C) No. 2445 of 2014	GAIL Vs. PNGRB
6.	SCA No.14604 of 2014	Torrent Power Vs. PNGRB & Ors
7.	W.P. (C) No 2611 of 2014	Great Eastern Energy Corporation Ltd. Vs. PNGRB
8.	W.P.(C) No. 9374 of 2015	Indraprastha Ga Limited Vs. PNGRB
9.	SCA No. 4512 of 2015	GH Gediya Vs. UOI & PNGRB
10.	W.P. No.35852 of 2015	Bhagyanagar Gas Ltd Vs. PNGRB
11.	W.P.(C) No. 1189 of 2016	GAIL India Ltd. Vs. PNGRB & Anr.
12.	W.P. (C) No. 2956 of 2016	GAIL India Ltd. Vs. PNGRB
13.	WP No.14956 of 2016	Subhas Datta Vs.UOI & Ors
14.	W.P.(C) No. 3685 of 2016	Adani Gas Ltd Vs UOI
15.	SCA No.4188 of 2017	Adani Gas Ltd Vs. PNGRB, Vadodra Gas Ltd.
16.	SCA No. 17174 of 2018	South Gujarat Consumer Association Vs PNGRB

S. No.	Case No.	Case Title
17.	W.P. (C) No. 6270 of 2018	Adani Gas Ltd. Vs. PNGRB
18.	SCA No.19028 of 2018	Torrent Power Vs.PNGRB & Ors
19.	W.P. (C) No. 248 of 2019	Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporations Ltd Vs. PNGRB
20.	W.P. (C) No. 927 of 2019	Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporations Ltd Vs. PNGRB
21.	WP No. 2001 of 2019	Munnalal Agarwal & Ors Vs UOI & Ors
22.	WP No. 464(W) of 2020	Subhas Dutta vs. MoPNG, PNGRB & State of West Bengal
23.	W. P.(C) No. 5076 of 2020	IMC Limited vs UOI & Ors.
24.	W.P.(C) No. 9711 of 2020	Mahanagar Gas Limited vs PNGRB & Union of India
25.	W.P.(C) No. 11148 of 2020	Mahanagar Gas Limited vs PNGRB & Union of India
26.	SCA No. 16873 of 2020	Gujarat Gas Limited vs PNGRB & Union of India
27.	W.P.(C) No. 407 of 2021	Indraprastha Gas Limited vs PNGRB & Union of India
28.	W.P.(C) No. 1017 of 2021	Gujarat Gas Limited vs PNGRB

CASES PENDING BEFORE SUPREME COURT

236

S. No.	Case No.	Case Title
1.	Civil Appeal No. 3112 of 2015	LMJ Energy Infra Ltd Vs.PNGRB & Anr
2.	Civil Appeal No.11304/2016	GAIL Vs. GSPC Gas Ltd(Later renamed as Gujarat Gas Ltd)
3.	SLP No. 28192-93 of 2018	Adani Gas Ltd Vs UOI
4.	Civil Appeal No. 4989 of 2019	GSPC V. GAIL and Others
5.	Civil Appeal No. 1261 of 2019	Adani Gas and others Contempt Pettion and MA Petition

Annexure-VIII

CASES RELAETD TO CGD

S. No.	Court/Tribunal	Case No.	Case Title	Outcome
1.	Supreme Court of India	Civil Appeal No. 4910/2015	Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Vs Indraprastha Gas Ltd. & Ors.	The Hon'ble Supreme Court of India struck down the CGD Transportation Tariff Regulations and held that "*the power to fix the tariff has not been given to the Board. In view of that the Board cannot frame a Regulation which will cover the area pertaining to determination of network tariff for city or local gas distribution network and compression charge for CNG*".
2.	Delhi High Court	W.P.(C) No. 2113/2015	M/s Synergy Steels Limited Vs Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and Another	The Hon'ble High Court of Delhi affirms the act of PNGRB to extend the time for furnishing PBG and held that "*extension of time for furnishing the Performance Bank Guarantee is not contrary to the tender terms but is, in fact, an option available to PNGRB. It chose that option in public interest and therefore the grant of extension of time cannot be faulted and the petitioner cannot claim any right to seek quashing of this action on the part of PNGRB, particularly when the petitioner lost the race at*

234

S. No.	Court/Tribunal	Case No.	Case Title	Outcome
				the LOI stage and there was nothing in the tender terms barring the grant of extension of time to the successful entity."
3.	APTEL	Appeal No. 88/2016	M Gail Gas Limited Vs. Petroleum & Natural Gas Regulatory Board and Ors.	PNGRB invoked bank guarantee submitted by Appellant in respect of its authorization to lay, build, operate or expand city or local natural gas distribution network for the Firozabad geographical area under Taj Trapezium Zone. The Hon'ble Tribunal upheld the decision of the Board and held that *"Based on our discussions and also considering the relevant Sections of the PNGRB Act, 2006, relevant CGD Authorization Regulations and Exclusivity Regulations alongwith the above cited judgments and the text of the performance bank guarantee submitted by the Appellant, we find no substance in the instant appeal. The appeal is dismissed."*
4.	APTEL	Appeal No. 104/2016	GAIL Gas Ltd. Vs. PNGRB	PNGRB had enchased the amount of bank guarantee

S. No.	Court/Tribunal	Case No.	Case Title	Outcome
				worth Rs. 3,53,81,000/- for the four geographical areas i.e. Kota, Dewas, Meerut and Sonepat. The Hon'ble APTEL upheld the decision of the Board and held that "*This case does not exhibit any fraud on the part of the Board as well as no irretrievable injustice has been caused to the Appellant. Hence, we do o not want to interfere with the impugned decision of the Board*"
5.	APTEL	Appeal No. 51/2017	Central U. P. Gas Limited Vs Petroleum and Natural Gas Regulatory Board	PNGRB had enchased the amount of bank guarantee worth Rs. 1.50,00,000/- for the geographical areas of Jhansi. The Hon'ble APTEL upheld the decision of the Board and held that "*Having regard to the well settled principles laid down by the Apex Court, the High Court of Delhi and this Tribunal as stated supra, in view of the well considered order passed by the Respondent Board by assigning a valid and cogent reason and also taking into consideration that the PBG has already been encashed by the Board and the same is also replenished by the Appellant, the appeal filed by the Appellant is liable to*

232

S. No.	Court/Tribunal	Case No.	Case Title	Outcome
				be dismissed."
6.	APTEL	Appeal No. 297 & 300/2018	Jay Madhok Energy Pvt. Ltd. Vs. PNGRB & Ors.	The Appellant has challenged the decision of the PNGRB wherein inviting bids for grant of authorization of laying, building, operating or expanding City or Local Natural Gas Distribution Network in the geographic area of Jalandhar (except area already authorized), Kapurthala District and SBS Nagar District and the geographical area of Ludhiana (except area already authorized), Barnala District and Moga District respectively in the 9th round of bidding. The Hon'ble APTEL dismissed the appeal of the Appellant and held that *"In our considered opinion, we do not find any merit in the appeals warranting our interference. On overall considerations, the appeals are liable to be dismissed."*
7.	Supreme Court of India	Civil Appeal No. 3992 of 2019	Adani Gas Limited vs Petroleum And Natural Gas Regulatory Board & Ors.	The contest in the present batch of appeals has arisen over the grant of authorisation for laying, building, operating or expanding CGD networks in the following GAs: (i) GA 51 - Puducherry

S. No.	Court/Tribunal	Case No.	Case Title	Outcome
				District; (ii) GA 61 - Kanchipuram District; and (iii) GA 62 – Chennai & Tiruvallur Districts. It was held by Hon'ble Supreme Court of India that *"The sole question was whether the highest bidder's quote was reasonable, and the power to determine such reasonability resided solely with the Board by virtue of Clause 14.2 of the Bid Document. Thus, the presence and hearing of other bidders was not necessary. Therefore, we disagree with the opinion of the Chairperson and concur with the view which was taken by the Member Technical (Petroleum and Natural Gas) to dismiss the appeals."*

अनुलग्नक- IX

प्राधिकृत सीजीडी नेटवर्क का विवरण – मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन			
क्र.सं.	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	प्राधिकृत सीजीडी इकाई
1	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
2	पूर्वी गोदावरी जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर)	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
3	पश्चिम गोदावरी जिला	आंध्र प्रदेश	गोदावरी गैस प्राइवेट लिमिटेड
4	कृष्णा जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर)	आंध्र प्रदेश	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
6	अनंतपुर और वाईएसआर (कडप्पा) जिले	आंध्र प्रदेश	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसफिक कंसोर्टियम
7	चित्तूर, कोलार और वेल्लोर जिले	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसफिक कंसोर्टियम
8	अपर असम	असम	असम गैस कंपनी लिमिटेड
9	पटना जिला	बिहार	गेल (इंडिया) लिमिटेड
10	औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
1 1	बेगूसराय जिला	बिहार	थिंक गैस बेगूसराय प्राइवेट लिमिटेड
12	गया और नालंदा जिले	बिहार	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
13	अरवल, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले	बिहार	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15	नवादा और कोडरमा जिले	बिहार और झारखंड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	शेखपुरा, जमुई और देवघर जिले	बिहार और झारखंड	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा,	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट

		पंजाब और हिमाचल प्रदेश	लिमिटेड
18	दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश	दादरा व नगर हवेली	गुजरात गैस लिमिटेड
19	दमन केंद्र शासित प्रदेश	दमन और दीव	इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
20	दीव और गिर सोमनाथ जिले	दमन व दीव व गुजरात	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
21	दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश	दिल्ली	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
22	उत्तर गोवा जिला	गोवा	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
23	दक्षिण गोवा जिला	गोवा	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
24	अहमदाबाद जिला (ईएएए)	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
25	भावनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
26	जामनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
27	कच्छ पश्चिम	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
28	कच्छ पूर्व	गुजरात	जे मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम
29	अमरेली जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
30	पाटन जिला	गुजरात	साबरमती गैस लिमिटेड
31	दहेज तालुका	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
32	दाहोद जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
33	बनासकांठा जिला	गुजरात	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
34	आनंद जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
35	पंचमहल जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
36	गांधीनगर, मेहसाणा, साबरकांठा	गुजरात	साबरमती गैस लिमिटेड
37	वडोदरा	गुजरात	वडोदरा गैस लिमिटेड
38	सूरत, भरूच, अंकलेश्वर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
39	नाडियाड	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
40	नवसारी	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड

41	राजकोट	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
42	सुरेंद्रनगर	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
43	अहमदाबाद शहर और दस्करोई क्षेत्र	गुजरात	अदानी गैस लिमिटेड
44	हजीरा	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
45	वलसाड	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
46	कंजरी व वडताल गांवों सहित आनंद क्षेत्र (खेड़ा जिले में)	गुजरात	चारोटार गैस सहकारी मंडली लिमिटेड
47	सुरेंद्रनगर जिला (ईएएए)और मोरबी जिला (ईएएए)	गुजरात	अडानी गैस लिमिटेड
48	बरवाला और रणपुर तालुका	गुजरात	अडानी गैस लिमिटेड
49	नवसारी जिला (ईएएए), सूरत जिला (ईएएए), तापी जिला (ईएएए)और डांग जिला	गुजरात	अडानी गैस लिमिटेड
50	जूनागढ़ जिला	गुजरात	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
51	खेड़ा जिला (ईएएए) और महिसागर जिला	गुजरात	अडानी गैस लिमिटेड
52	नर्मदा (राजपीपला) जिला	गुजरात	गुजरात गैस लिमिटेड
53	पोरबंदर जिला	गुजरात	अडानी गैस लिमिटेड
54	सोनीपत	हरियाणा	गेल गैस लिमिटेड
55	पानीपत जिला	हरियाणा	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
56	यमुनानगर जिला	हरियाणा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
57	रेवाड़ी जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
58	रोहतक जिला	हरियाणा	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
59	करनाल जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
60	अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले	हरियाणा	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
61	भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिले	हरियाणा	अडानी गैस लिमिटेड
62	सोनीपत जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर) और जींद जिला	हरियाणा	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
63	नूंह और पलवल जिले	हरियाणा	अडानी गैस लिमिटेड
64	कैथल जिला	हरियाणा	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
65	पंचकुला जिला (ईएएए), सिरमौर, शिमला और सोलन (ईएएए) जिले	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड

66	सिरसा, फतेहाबाद और मनसा (पंजाब) जिले	हरियाणा और पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड
67	बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले	हिमाचल प्रदेश	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
68	पूर्वी सिंहभूम जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
69	रांची जिला	झारखंड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
70	बेंगलुरु ग्रामीण और शहरी जिले	कर्नाटक	गेल गैस लिमिटेड
71	तुमकुर जिला	कर्नाटक	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
72	धारवाड़ जिला	कर्नाटक	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
73	बेलगाम जिला	कर्नाटक	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
74	चित्रदुर्ग और दावणगेरे जिले	कर्नाटक	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड
75	बल्लारी और गडग जिले	कर्नाटक	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
76	बीदर जिला	कर्नाटक	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
77	रामनगर जिला	कर्नाटक	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
78	बगलकोट, कोप्पल और रायचूर जिले	कर्नाटक	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
79	चिक्कमगलुरु, हासन और कोडागु जिले	कर्नाटक	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
80	कालाबुरागी और विजयापुर जिले	कर्नाटक	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
81	मैसूरु, मांड्या और चामराजनगर जिले	कर्नाटक	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
82	उत्तरा कन्नड़, हावेरी और शिवमोग्गा जिले	कर्नाटक	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
83	एर्नाकुलम जिला	केरल	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
84	पलक्कड़ और त्रिशूर जिले	केरल	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड

85	अलापुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले	केरल	एजीएंडपी एलएनजी मार्किटिंग पीटीई लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंसोर्टियम
86	देवास	मध्य प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
87	धार जिल	मध्य प्रदेश	नैवरिया गैस प्राइवेट लिमिटेड
88	इंदौर (उज्जैन नगर सहित)	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड
89	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	अवंतिका गैस लिमिटेड
90	भोपाल और राजगढ़ जिले	मध्य प्रदेश	थिंक गैस भोपाल प्राइवेट लिमिटेड
91	गुना जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
92	रीवा जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
93	सतना और शांडोल जिले	मध्य प्रदेश	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
94	अशोकनगर जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
95	ग्वालियर (ईएएए) जिला और श्योपुर जिला	मध्य प्रदेश	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
96	मुरैना जिला	मध्य प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
97	रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले	मध्य पदेश	गेल गैस लिमिटेड
98	शिवपुरी जिला	मध्य प्रदेश	थिंक गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रा. लिमिटेड और थिंक गैस इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड कंसोर्टियम
99	सीधी और सिंगरौली जिले	मध्य प्रदेश	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
100	उज्जैन (ईएएए जिला, देवास (ईएएए) जिला और इंदौर (ईएएए) जिला	मध्य प्रदेश	गुजरात गैस लिमिटेड
101	अनूपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले	मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	अडानी गैस लिमिटेड
102	झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले	मध्य प्रदेश व राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड
103	झाँसी (ईएएए) जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया जिले	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	अडानी गैस लिमिटेड
104	पालघर जिला और ठाणे ग्रामीण	महाराष्ट्र	गुजरात गैस लिमिटेड
105	रायगढ़ जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड

106	पुणे जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्रों को छोड़कर)	महाराष्ट्र	महेश गैस लिमिटेड
107	रत्नागिरी जिला	महाराष्ट्र	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड
108	सोलापुर जिला	महाराष्ट्र	आईएमसी लिमिटेड
109	कोल्हापुर जिला	महाराष्ट्र	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
110	मुंबई और ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
111	पिंपरी-चीचवाड़ और आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों हिंजवडी, चाकन, ताइगाँव सहित पुणे शहर	महाराष्ट्र	महराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड
112	ठाणे शहरी और आसपास के नगरपालिका	महाराष्ट्र	महानगर गैस लिमिटेड
113	अहमदनगर और औरंगाबाद जिले	महाराष्ट्र	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
114	लातूर और उस्मानाबाद जिले	महाराष्ट्र	यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड
115	सांगली और सतारा जिले	महाराष्ट्र	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
116	सिंधुदुर्ग जिला	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
117	वलसाड (ईएएए), धुले और नासिक जिले	महाराष्ट्र और गुजरात	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
118	खोरधा जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
119	कटक जिला	ओडिशा	गेल (इंडिया) लिमिटेड
120	पुदुचेरी जिला	पुडुचेरी	ईस्ट कोस्ट नेचुरल गैस डिसट्रीब्यूशन प्रा. लिमिटेड
121	कराईकल और नागपट्टिनम जिले	पुदुचेरी व तमिलनाडु	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
122	जालंधर	पंजाब	जे मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम
123	लुधियाना	पंजाब	जे मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम
124	अमृतसर जिला	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड
125	भटिंडा जिला	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड
126	रूपनगर जिला	पंजाब	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
127	फतेहगढ़ साहिब जिला	पंजाब	आईआरएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
128	एसएएस नगर जिला (ईएएए), पटियाला	पंजाब	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड

	और संगरूर जिले		
129	लुधियाना जिला (पहले से अधिकृत क्षेत्र को छोड़कर), बरनाला और मोगा जिले	पंजाब	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड
130	जालंधर जिला (ईएएए), कपूरथला और एसबीएस नगर जिले	पंजाब	थिंक गैस लुधियाना प्राइवेट लिमिटेड
131	फिरोजपुर, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब जिले	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड
132	होशियारपुर और गुरदासपुर जिले	पंजाब	गुजरात गैस लिमिटेड
133	कोटा	राजस्थान	राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
134	भिवाड़ी (अलवर जिले में)	राजस्थान	हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (भिवाड़ी) लिमिटेड
135	बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले	राजस्थान	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
136	अलवर (भिवाड़ी के अलावा) और जयपुर जिले *	राजस्थान	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
137	कोटा जिला (ईएएए), बारां और चित्तौड़गढ़ (केवल रावतभाटा तालुका) जिले	राजस्थान	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
138	भीलवाड़ा और बूंदी जिले	राजस्थान	अदानी गैस लिमिटेड
139	चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तालुका के अलावा) और उदयपुर जिले *	राजस्थान	अदानी गैस लिमिटेड
140	धौलपुर जिला	राजस्थान	धौलपुर सीजीडी प्राइवेट लिमिटेड
141	अजमेर, पाली और राजसमंद जिले	राजस्थान	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
142	जालोर और सिरोही जिले	राजस्थान	गुजरात गैस लिमिटेड
143	चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले	तमिलनाडु	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
144	कुड्डलोर, नागपट्टिनम और तिरुवरूर जिले	तमिलनाडु	अदानी गैस लिमिटेड
145	रामनाथपुरम जिला	तमिलनाडु	एजीपी सीजीडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
146	हैदराबाद	तेलंगाना	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
147	भद्राद्री कोठागुडेम और खम्मन जिले	तेलंगाना	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
148	जगतियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर और राजन्ना सिरसीला जिले	तेलंगाना	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
149	जगॉव, जयशंकर भूपलपल्ली, महबूबबाद,	तेलंगाना	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

	वारंगल शहरी और वारंगल ग्रामीण जिले		लिमिटेड
150	मेडक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी जिले	तेलंगाना	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
151	मेडचल-मलकजगिरी, रंगा रेड्डी और विकाराबाद जिले	तेलंगाना	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
152	नलगोंडा सूर्यपेट और यादाद्री भुवनगिरी जिले	तेलंगाना	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
153	अगरतला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
154	गोमती जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
155	पश्चिम त्रिपुरा (ईएएए), जिला	त्रिपुरा	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
156	मथुरा	उत्तर प्रदेश	डीएसएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और सौम्या माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के जेवी
157	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
158	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
159	झांसी	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
160	सहारनपुर जिला	उत्तर प्रदेश	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
161	बुलंदशहर (भाग) जिला	उत्तर प्रदेश	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
162	बागपत जिला	उत्तर प्रदेश	बागपत ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
163	बरेली	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
164	कानपुर	उत्तर प्रदेश	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
165	आगरा	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
166	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
167	गाजियाबाद और हापुड़ जिले	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
168	खुर्जा	उत्तर प्रदेश	अदानी गैस लिमिटेड
169	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड
170	वाराणसी जिला	उत्तर प्रदेश	गेल (इंडिया) लिमिटेड
171	बुलंदशहर जिला (ईएएए), अलीगढ़ व हाथरस जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड
172	इलाहाबाद जिला (ईएएए), भदोही व कौशाम्बी जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियनऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड

173	अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली जिले	उत्तर प्रदेश	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
174	औरैया, कानपुर देहात और इटावा जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
175	फैजाबाद और सुल्तानपुर जिले	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
176	गोरखपुर, संत कबीर नगर व कुशीनगर जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
177	मेरठ जिला(ईएएए), मुजफ्फरनगर व शामली जिले	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
178	मुरादाबाद (ईएएए), जिला	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
179	उन्नाव (ईएएए), जिला	उत्तर प्रदेश	ग्रीन गैस लिमिटेड
180	आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
181	बरेली (ईएएए), जिला, पीलीभीत और रामपुर जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
182	बस्ती और अंबेडकरनगर जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
183	फर्रुखाबाद, एटा और हरदोई जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
184	गोंडा और बाराबंकी जिले	उत्तर प्रदेश	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
185	जौनपुर और गाजीपुर जिले	उत्तर प्रदेश	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमि.
186	कानपुर(ईएएए),जिला, फतेहपुर व हमीरपुर जिले	उत्तर प्रदेश	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
187	मैनपुरी और कन्नौज जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
188	मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले	उत्तर प्रदेश	गेल गैस लिमिटेड
189	शाहजहाँपुर और बदायूँ जिले	उत्तर प्रदेश	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
190	फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन)	उत्तर प्रदेश व राजस्थान	गेल गैस लिमिटेड
191	बिजनौर और नैनीताल जिले	उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
192	उधम सिंह नगर जिला	उत्तराखंड	इंडियनऑयल-अदानी गैस प्राइवेट लिमि.
193	हरिद्वार जिला	उत्तराखंड	हरिद्वार प्राकृतिक गैस प्राइवेट लिमिटेड

**** न्यायाधीन। नोट: ईएएए का मतलब पहले से ही अधिकृत क्षेत्र के अलावा/छोड़कर***

249

Annex - X

Annex - X

Details of CGD Networks in the Country

S.No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
1	1.04	Kakinada	Bhagyanagar Gas Limited	Andhra Pradesh	12-Jun-09	3,150	11,817	20,573	44,763	58,340
2	5.03	East Godavari District (EAAA)	Godavari Gas Private Limited	Andhra Pradesh	14-Aug-15	0	0	11,045	26,200	44,347
3	5.04	West Godavari District	Godavari Gas Private	Andhra Pradesh	14-Aug-15	0	301	15,117	26,321	43,021
4	5.06	Krishna District (EAAA)	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Andhra Pradesh	14-Sep-15	0	40	2,882	7,297	10,003
5	9.01	Srikakulam, Visakhapatnam & Vizianagaram Districts	Indian Oil Corporation Limited	Andhra Pradesh	01-Mar-19	NA	NA	0	0	0
6	99.06	Vijayawada	Bhagyanagar Gas Limited	Andhra Pradesh	28-Jul-08	752	2,118	5,658	23,117	40,531
7	10.01	Anantapur and YSR (Kadapa) Districts	AGP City Gas Private Limited	Andhra Pradesh	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
8	10.02	Sri Potti Sriramulu Nellore District	AGP City Gas Private Limited	Andhra Pradesh	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
9	10.03	Chittoor, Kolar and Vellore Districts	AGP City Gas Private Limited	Andhra Pradesh, Karnataka & Tamil Nadu	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
10	9.02	Cachar, Hailakandi & Karimganj Districts	Purba Bharati Gas Private Limited	Assam	20-Sep-18	NA	NA	0	0	210
11	9.03	Kamrup & Kamrup Metropolitan Districts	Purba Bharati Gas Private Limited	Assam	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
12	99.15	Upper Assam	Assam Gas Company Limited	Assam	06-Feb-15	30,023	31,628	32,469	34,970	36,183
13	9.04	Aurangabad, Kaimur & Rohtas Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	08-Sep-18	NA	NA	0	0	0
14	9.05	Begusarai District	Think Gas Begusarai Private Limited	Bihar	20-Sep-18	NA	NA	0	0	0
15	9.06	Gaya & Nalanda Districts	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Bihar	20-Sep-18	NA	NA	0	0	0
16	97.01	Patna District	GAIL (India) Limited	Bihar	07-Mar-18	NA	0	5,007	11,846	27,472
17	10.04	Araria, Purnia, Katihar and Kishanganj Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
18	10.05	Arwal, Jehanabad, Bhojpur and Buxar Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
19	10.06	Khagaria, Saharsa and Madhepura Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
20	10.07	Lakhisarai, Munger and Bhagalpur Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
21	10.08	Muzaffarpur, Vaishali, Saran and Samastipur Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
22	10.09	Nawada and Koderma Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar & Jharkhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
23	10.10	Sheikhpura, Jamui and Deoghar Districts	Indian Oil Corporation Limited	Bihar & Jharkhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
24	2.01	Chandigarh	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Chandigarh (UT), Haryana, Punjab & Himachal Pradesh	08-May-13	2,350	11,782	1,06,766	1,10,412	1,11,620
25	1.05	UT of Dadra & Nagar Haveli	Gujarat Gas Limited	Dadra & Nagar Haveli (UT)	01-Apr-15	60	486	2,670	4,227	6,6?3
26	4.08	UT of Daman	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Daman & Diu (UT)	01-Apr-15	0	2,140	2,944	3,323	4,790
27	9.07	Diu & Gir Somnath Districts	IRM Energy Private Limited	Daman and Diu & Gujarat	25-Sep-18	NA	NA	0	0	0
28	[illegible]	North Goa District	Goa Natural Gas Private Limited	Goa	24-Jun-10	0	25	2,170	3,772	5,226
29	8.01	South Goa District	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Goa	07-Feb-18	NA	0	0	0	0
30	1.01	Bhavnagar	Gujarat Gas Limited	Gujarat	05-Mar-14	4,667	11,150	23,067	29,033	35,941

123

Details of CGD Networks in the Country

S No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections *(Cumulative)* As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
31	3.03	Jamnagar	Gujarat Gas Limited	Gujarat	17-Jan-14	4,103	7,309	11,723	16,391	22,360
32	3.04	Kutch (West)	Gujarat Gas Limited	Gujarat	19-Dec-14	200	479	607	1,004	1,615
33	3.05	Kutch (East)	Joy Madhok Energy Private Limited led Consortium	Gujarat	12-Mar-15	0	0	0	0	0
33	6.03	Amreli District	Gujarat Gas Limited	Gujarat	27-May-16	0	200	1,644	3,314	5,095
34	6.04	Patan District	Sabarmati Gas Limited	Gujarat	27-May-16	0	1,200	3,029	7,668	17,758
35	6.05	Dahej Vagra Taluka	Gujarat Gas Limited	Gujarat	06-Jun-16	0	69	396	545	1,107
36	6.06	Dahod District	Gujarat Gas Limited	Gujarat	27-Jun-16	0	0	659	2,282	2,948
37	6.09	Banaskantha District	IRM Energy Private Limited	Gujarat	01-Jul-16	0	2,000	9,250	17,131	25,160
38	6.10	Anand District (EAAA)	Gujarat Gas Limited	Gujarat	04-Jul-16	30,143	31,859	34,563	36,331	37,527
39	6.11	Panchmahal District	Gujarat Gas Limited	Gujarat	04-Jul-16	9,239	9,814	10,569	14,063	16,193
40	6.18	Ahmedabad District (EAAA)	Gujarat Gas Limited	Gujarat	22-Jun-16	0	0	0	0	0
41	9.08	Surendranagar District (EAAA) & Morbi District (EAAA)	Adani Gas Limited	Gujarat	17-Oct-18	NA	NA	0	0	0
42	9.09	Barwala & Ranpur Talukas	Adani Gas Limited	Gujarat	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
43	9.10	Navsari District (EAAA), Surat District (EAAA), Tapi District (EAAA) & the Dangs District	Adani Gas Limited	Gujarat	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
44	9.11	Junagadh District	Torrent Gas Private Limited	Gujarat	13-Sep-18	NA	NA	0	0	0
45	9.12	Kheda District (EAAA) & Mahisagar District	Adani Gas Limited	Gujarat	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
46	9.13	Narmada (Rajpipla) District	Gujarat Gas Limited	Gujarat	06-Sep-18	NA	NA	0	0	0
47	9.14	Porbandar District	Adani Gas Limited	Gujarat	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
48	98.02	Surat, Bharuch, Ankleshwar	Gujarat Gas Limited	Gujarat	08-Nov-12	5,51,103	5,87,476	6,27,096	6,59,166	6,84,780
49	98.04	Nadiad	Gujarat Gas Limited	Gujarat	01-Oct-13	32,228	57,071	59,849	62,113	64,501
50	98.05	Navsari	Gujarat Gas Limited	Gujarat	01-Oct-13	86,312	92,727	96,432	1,00,833	1,05,077
51	98.06	Rajkot	Gujarat Gas Limited	Gujarat	01-Oct-13	1,73,096	1,92,457	2,12,528	2,33,131	2,55,308
52	98.07	Surendranagar	Gujarat Gas Limited	Gujarat	01-Oct-13	21,215	22,429	23,657	24,519	25,248
53	98.08	Ahmedabad City and Daskroi Area	Adani Gas Limited	Gujarat	28-Nov-13	2,71,447	3,26,359	3,73,525	3,82,613	4,12,939
54	98.09	Hazira	Gujarat Gas Limited	Gujarat	17-Jul-14	32,798	33,556	34,651	35,402	36,244
55	98.10	Valsad	Gujarat Gas Limited	Gujarat	30-Jan-15	91,326	95,323	1,00,201	1,04,878	1,09,757
56	98.11	Anand area including Kanjari & Vadtal Villages (in Kheda District)	Charotar Gas Sahakari Mandali Limited	Gujarat	12-May-15	27,962	26,007	27,994	31,117	34,295
57	99.11	Gandhinagar Mehsana Sabarkantha	Sabarmati Gas Limited	Gujarat	16-Dec-09	1,09,956	1,25,663	1,51,309	1,81,866	2,06,434
58	99.18	Vadodara	Vadodara Gas Limited	Gujarat	28-Oct-16	84,432	1,00,927	1,22,996	1,47,786	1,73,682
59	1.05	Sonipat	GAIL Gas Limited	Haryana	12-Jun-09	5,600	10,529	15,531	22,257	25,104
60	4.02	Panipat District	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Haryana	01-Apr-15	C	879	16,825	10,939	16,939
61	6.13	Yamunanagar District	Bharat Petroleum Corporation Limited	Haryana	27-Jul-16	C	0	0	4,265	6,143
62	6.15	Rewari District	Indraprastha Gas Limited	Haryana	19-Aug-16	C	103	3,679	0,457	10,115
63	6.17	Rohtak District	Bharat Petroleum Corporation Limited	Haryana	09-Apr-18	NA	0	0	567	1,178
64	8.02	Karnal District	Indraprastha Gas Limited	Haryana	08-Feb-18	NA	0	300	3,908	9,721
65	8.03	Ambala & Kurukshetra Districts	HPOIL Gas Private Limited	Haryana	22-Feb-18	NA	0	0	0	5,943
66	9.16	Bhiwani, Charkhi Dadri & Mahendragarh Districts	Adani Gas Limited	Haryana	13-Sep-18	NA	NA	0	0	0
67	9.17	Hisar District	HCG (KCE) Private Limited	Haryana	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
68	9.18	Jhajjar District	Haryana City Gas (KCE) Private Limited	Haryana	07-Mar-19	NA	NA	0	0	74

Details of CGD Networks in the Country

S No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections *(Cumulative)* As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
69	9.19	Sonipat District (EAAA) & Jind District	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Haryana	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
70	9.20	Nuh and Palwal Districts	Adani Gas Limited	Haryana	13-Sep-18	NA	NA	0	1,474	1,476
71	10.11	Kaithal District	Indraprastha Gas Limited	Haryana	29-Mar-19	NA	NA	0	877	9,586
72	9.15	Panchkula District (EAAA), Sirmaur, Shimla & Solan (EAAA) Districts	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Haryana & Himachal Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	0	0
73	10.12	Sirsa, Fatehabad and Mansa (Punjab) Districts	Gujarat Gas Limited	Haryana & Punjab	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
74	9.21	Bilaspur, Hamirpur & Una Districts	Bharat Gas Resources Limited	Himachal Pradesh	06-Sep-18	NA	NA	0	0	1,000
75	97.02	East Singhbhum District	GAIL (India) Limited	Jharkand	07-Mar-18	NA	0	1,242	5,876	12,665
76	97.03	Ranchi District	GAIL (India) Limited	Jharkand	07-Mar-18	NA	0	1,862	6,337	15,897
77	9.22	Bokaro, Hazaribagh & Ramgarh Districts	Indian Oil Corporation Limited	Jharkhand	06-Sep-18	NA	NA	0	0	0
78	9.23	Giridih & Dhanbad Districts	GAIL Gas Limited	Jharkhand	06-Sep-18	NA	NA	0	906	4,909
79	10.13	Chatra and Palamu Districts	Bharat Gas Resources Limited	Jharkhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
80	10.14	Seraikela-Kharsawan District	GAIL Gas Limited	Jharkhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	1,320
81	10.15	West Singhbhum District	GAIL Gas Limited	Jharkhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
82	4.01	Bengaluru Rural and Urban Districts	GAIL Gas Limited	Karnataka	18-Feb-15	20,596	50,548	97,299	1,51,708	1,87,328
83	5.05	Tumkur District	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Karnataka	14-Aug-15	0	0	3,876	10,634	15,430
84	5.07	Dharwad District	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Karnataka	14-Sep-15	0	0	3,115	7,892	11,081
85	5.08	Belgaum District	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Karnataka	14-Sep-15	0	0	2,108	6,328	17,568
86	9.24	Chitradurga & Davanagere Districts	Unison Enviro Private Limited	Karnataka	25-Sep-18	NA	NA	0	0	0
87	9.25	Udupi District	Adani Gas Limited	Karnataka	13-Sep-18	NA	NA	0	0	0
88	9.26	Ballari & Gadag Districts	Bharat Gas Resources Limited	Karnataka	24-Sep-18	NA	NA	0	0	0
89	9.27	Bidar District	Bharat Gas Resources Limited	Karnataka	10-Aug-18	NA	NA	0	0	0
90	9.28	Dakshina Kannada District*	GAIL Gas Limited	Karnataka	28-Aug-18	NA	NA	0	1,797	8,180
91	9.29	Ramanagara District	Maharashtra Natural Gas Limited	Karnataka	26-Sep-18	NA	NA	0	0	817
92	10.16	Bagalkot, Koppal and Raichur Districts	AGP City Gas Private Limited	Karnataka	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
93	10.17	Chikkamagaluru, Hassan and Kodagu Districts	AGP City Gas Private Limited	Karnataka	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
94	10.18	Kalaburagi and Vijayapura Districts	AGP City Gas Private Limited	Karnataka	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
95	10.19	Mysuru, Mandya and Chamarajanagar Districts	AGP City Gas Private Limited	Karnataka	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
96	10.20	Uttara Kannada, Haveri and Shivamogga Districts	AGP City Gas Private Limited	Karnataka	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
97	4.09	Ernakulam District	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Kerala	14-Oct-15	[illegible]	3,126	40,729	41,514	42,421
98	9.30	Kozhikode & Wayanad Districts	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Kerala	14-Sep-18	NA	NA	0	0	0
99	9.31	Malappuram District	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Kerala	27-Sep-18	NA	NA	0	0	0
100	9.33	Palakkad & Thrissur Districts	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Kerala	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0

Details of CGD Networks in the Country

S.No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
101	10.21	Alappuzha, Kollam and Thiruvananthapuram Districts	AGP City Gas Private Limited	Kerala	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
102	9.32	Kannur, Kasaragod & Mahe Districts	Indian-Oil Adani Gas Private Limited	Kerala & Puducherry	14-Sep-18	NA	NA	0	0	0
103	1.01	Dewas	GAIL Gas Limited	Madhya Pradesh	01-Jun-09	1,865	5,375	7,990	11,540	13,012
104	8.16	Dhar District	Noveriya Gas Private	Madhya Pradesh	07-Nov-16	0	0	0	302	566
105	9.34	Bhopal & Rajgarh Districts	Think Gas Bhopal Private Limited	Madhya Pradesh	24-Sep-18	NA	NA	0	0	0
106	9.35	Guna District	Indian Oil Corporation Limited	Madhya Pradesh	06-Sep-18	NA	NA	0	0	506
107	9.36	Rewa District	Indian Oil Corporation Limited	Madhya Pradesh	06-Sep-18	NA	NA	0	0	610
108	9.37	Satna & Shahdol Districts	Bharat Gas Resources Limited	Madhya Pradesh	06-Sep-18	NA	NA	0	0	1,580
109	99.08	Indore (including Ujjain City)	Avantika Gas Limited	Madhya Pradesh	31-Aug-09	10,532	19,565	37,967	54,369	62,673
110	99.12	Gwalior	Avantika Gas Limited	Madhya Pradesh	04-Jan-10	2,126	6,336	13,236	19,596	24,277
111	10.22	Ashoknagar District	Indian Oil Corporation Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
112	10.23	Gwalior (EAAA) District and Sheopur District	Rajasthan State Gas Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
113	10.24	Morena District	Indian Oil Corporation Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
114	10.25	Raisen, Shajapur and Sehore Districts	GAIL Gas Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
115	10.26	Shivpuri District	Think Gas Bhopal Private Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
116	10.27	Sidhi and Singrauli Districts	Bharat Gas Resources Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
117	10.28	Ujjain (EAAA) District, Dewas (EAAA) District and Indore (EAAA) District	Gujarat Gas Limited	Madhya Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
118	10.29	Anuppur, Bilaspur and Korba Districts	Adani Gas Limited	Madhya Pradesh and Chhattisgarh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
119	10.30	Jhabua, Banswara, Ratlam and Dungarpur Districts	Gujarat Gas Limited	Madhya Pradesh and Rajasthan	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
120	10.31	Jhansi (EAAA) District, Bhind, Jalaun, Lalitpur and Datia Districts	Adani Gas Limited	Madhya Pradesh and Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
121	4.05	Palghar District & Thane Rural	Gujarat Gas Limited	Maharashtra	01-Apr-15	122	140	188	262	368
122	4.04	Raigarh District (EAAA)	Mahanagar Gas Limited	Maharashtra	01-Apr-15	45	432	8,898	26,480	39,937
123	4.06	Pune District (EAAA)	Torrent Gas Pune Limited	Maharashtra	18-May-15	0	0	0	402	1,147
124	6.14	Ratnagiri District	Unison Enviro Private Limited	Maharashtra	08-Aug-16	0	0	27	1,899	1,126
125	7.01	Solapur District	Sholagasco Private Limited	Maharashtra	08-Mar-17	0	0	0	0	0
126	8.04	Kolhapur District	HPOIL Gas Private Limited	Maharashtra	08-Mar-18	0	0	0	0	1,961
127	9.38	Ahmednagar & Aurangabad Districts	Bharat Gas Resources Limited	Maharashtra	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
128	9.39	Valsad (EAAA), Dhule & Nashik Districts	Maharashtra Natural Gas Limited	Maharashtra & Gujarat	28-Sep-18	NA	NA	0	0	20,438
129	9.40	Latur & Osmanabad Districts	Unison Enviro Private Limited	Maharashtra	25-Sep-18	NA	NA	0	0	0
130	9.41	Sangli & Satara Districts	Bharat Gas Resources Limited	Maharashtra	28-Sep-18	NA	NA	0	0	304
131	9.42	Sindhudurg District	Maharashtra Natural Gas Limited	Maharashtra	06-Sep-18	NA	NA	0	0	1,247
132	99.02	Mumbai & Greater Mumbai	Mahanagar Gas Limited	Maharashtra	21-Jun-06	6,44,451	7,21,419	8,05,514	8,90,671	9,26,518

Details of CGD Networks in the Country

S.No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
133	99.05	Pune City including Pimpri Chichwad & adjoining contiguous areas Hinjewadi, Chakan, Talegaon	Maharashtra Natural Gas Limited	Maharashtra	01-Jun-09	50,851	1,03,014	1,69,407	2,74,618	3,40,664
134	99.07	Thane urban and adjoining Municipalities	Mahanagar Gas Limited	Maharashtra	04-Aug-09	3,04,396	3,86,834	4,68,872	5,64,247	6,12,119
135	99.01	National Capital Territory of Delhi	Indraprastha Gas Limited	National Capital Territory of Delhi (UT)	09-Jan-09	5,22,747	6,11,293	7,37,653	9,13,139	10,39,701
136	9.43	Angul & Dhenkanal Districts	Bharat Gas Resources Limited	Odisha	10-Aug-18	NA	NA	0	0	0
137	9.44	Sundargarh & Jharsuguda Districts	GAIL Gas Limited	Odisha	08-Sep-18	NA	NA	0	0	273
138	9.45	Balasore, Bhadrak & Mayurbhanj Districts	Adani Gas Limited	Odisha	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
139	9.46	Bargarh, Debagarh & Sambalpur Districts	Bharat Gas Resources Limited	Odisha	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
140	9.47	Ganjam, Nayagarh & Puri Districts	GAIL Gas Limited	Odisha	08-Sep-18	NA	NA	0	0	315
141	9.48	Jagatsinghpur & Kendrapara Districts	Bharat Gas Resources Limited	Odisha	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
142	9.49	Jajpur & Kendujhar Districts	Bharat Gas Resources Limited	Odisha	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
143	97.04	Khordha District	GAIL (India) Limited	Odisha	07-Mar-18	NA	0	4,020	5,911	14,924
144	97.05	Cuttack District	GAIL (India) Limited	Odisha	07-Mar-18	NA	0	1,634	3,283	7,022
145	9.51	Puducherry District	East Coast Natural Gas Private Limited	Puducherry	25-Sep-18	NA	NA	0	0	0
146	9.50	Karaikal & Nagapattinam Districts	Torrent Gas Private Limited	Puducherry & Tamil Nadu	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
147	3.01	Jalandhar	Jay Madhok Energy Private Limited led Consortium	Punjab	05-Sep-13	0	0	0	0	0
#	3.06	Ludhiana	Jay Madhok Energy Private Limited led Consortium	Punjab	25-Jul-15	0	0	0	0	0
148	4.07	Amritsar District	Gujarat Gas Limited	Punjab	05-May-15	0	0	0	794	3,249
149	6.01	Bhatinda District	Gujarat Gas Limited	Punjab	10-May-16	0	0	0	100	669
150	6.08	Rupnagar District	Bharat Petroleum Corporation Limited	Punjab	10-Jun-16	0	0	0	4,500	4,950
151	6.12	Fatehgarh Sahib District	IRM Energy Private Limited	Punjab	05-Jul-16	0	0	400	1,251	1,385
152	9.52	SAS Nagar District (EAAA), Patiala & Sangrur Districts	Torrent Gas Private Limited	Punjab	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
153	9.53	Ludhiana District (EAAA), Barnala & Moga Districts	Think Gas Ludhiana Private Limited	Punjab	26-Oct-18	NA	NA	0	0	70
154	9.54	Jalandhar District (EAAA), Kapurthala & SBS Nagar Districts	Think Gas Ludhiana Private Limited	Punjab	26-Oct-18	NA	NA	0	0	0
155	10.32	Ferozepur, Faridkot and Sri Muktsar Sahib Districts	Gujarat Gas Limited	Punjab	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
156	10.33	Hoshiarpur and Gurdaspur Districts	Gujarat Gas Limited	Punjab	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
157	1.02	Kota	Rajasthan State Gas Limited	Rajasthan	01-Jun-06	194	191	2,041	10,079	15,674
158	9.55	Barmer, Jaisalmer & Jodhpur Districts	AGP CGD India Private Limited	Rajasthan	28-Sep-18	NA	NA	0	0	x
159	9.56	Alwar (Other than Bhiwadi) & Jaipur Districts*	Torrent Gas Private Limited	Rajasthan	27-Aug-18	NA	NA	0	0	)

Details of CGD Networks in the Country

S No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
160	9.57	Kota District (EAAA), Baran & Chittorgarh (Only Rawatbhata Taluka) Districts	Torrent Gas Private Limited	Rajasthan	13 Sep 18	NA	NA	0	0	0
161	9.58	Bhilwara & Bundi Districts	Adani Gas Limited	Rajasthan	14-Sep-18	NA	NA	0	0	0
162	9.59	Chittorgarh (Other than Rawatbhata Taluka) & Udaipur Districts*	Adani Gas Limited	Rajasthan	13-Sep-18	NA	NA	0	0	0
163	9.60	Dholpur District	Dholpur CGD Private	Rajasthan	28-Sep 18	NA	NA	0	0	0
164	98.12	Bhiwadi (in Alwar District)	Haryana City Gas Distribution (Bhiwadi) Limited	Rajasthan	01-Aug-18	NA	NA	0	0	2,002
165	10.34	Ajmer, Pali and Rajsamand Districts	Indraprastha Gas Limited	Rajasthan	29-Mar-19	NA	NA	0	0	29,012
166	10.35	Jalore and Sirohi Districts	Gujarat Gas Limited	Rajasthan	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
167	9.61	Kanchipuram District	AGP CGD India Private Limited	Tamil Nadu	26-Sep-18	NA	NA	0	0	0
168	9.62	Chennai & Tiruvallur Districts	Torrent Gas Chennai Private Limited	Tamil Nadu	07 Sep 18	NA	NA	0	0	0
169	9.63	Coimbatore District	Indian Oil Corporation Limited	Tamil Nadu	12-Sep-18	NA	NA	0	0	0
170	9.64	Cuddalore, Nagapattinam & Tiruvarur Districts	Adani Gas Limited	Tamil Nadu	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
171	9.65	Ramanathapuram District	AGP CGD India Private Limited	Tamil Nadu	26-Sep 18	NA	NA	0	0	0
172	9.66	Salem District	Indian Oil Corporation Limited	Tamil Nadu	12-Sep 18	NA	NA	0	0	0
173	9.67	Tiruppur District	Adani Gas Limited	Tamil Nadu	13-Sep 18	NA	NA	0	0	0
174	9.68	Bhadradri Kothagudem & Khammam Districts	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Telangana	20-Sep 18	NA	NA	0	0	0
175	9.69	Jagtial, Peddapalli, Karimnagar & Rajanna Sircilla Districts	Indian Oil Corporation Limited	Telangana	12-Sep-18	NA	NA	0	0	0
176	9.70	Jangaon, Jayashankar Bhupalpally, Mahabubabad, Warangal Urban & Warangal Rural Districts	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Telangana	24-Sep 18	NA	NA	0	0	0
177	9.71	Medak, Siddipet & Sangareddy Districts	Torrent Gas Private Limited	Telangana	13 Sep 18	NA	NA	0	0	0
178	9.72	Medchal-Malkajgiri, Ranga Reddy & Vikarabad Districts	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Telangana	14 Nov 18	NA	NA	0	0	0
179	9.73	Nalgonda Suryapet & Yadadri Bhuvanagiri Districts	Megha Engineering & Infrastructure Limited	Telangana	13 Sep-18	NA	NA	0	0	0
180	99.09	Hyderabad	Bhagyanagar Gas Limited	Telangana	09-Oct 09	2,706	7,743	10,579	69,073	1,29,850
181	9.74	Gomati District	Tripura Natural Gas Company Limited	Tripura	28-Sep 18	NA	NA	0	0	0
182	9.75	West Tripura (EAAA) District	Tripura Natural Gas Company Limited	Tripura	28 Sep 18	NA	NA	0	3,490	[illegible]
183	99.16	Agartala	Tripura Natural Gas Company Limited	Tripura	24 Feb 15	28,669	34,741	39,743	41,266	42,414
184	1.03	Mathura	Sanwariya Gas Limited	Uttar Pradesh	11-Jun 09	3,884	4,181	4,345	4,520	4,589
185	1.06	Meerut	GAIL Gas Limited	Uttar Pradesh	12-Jun-09	4,565	10,555	21,121	40,311	[illegible]
186	2.02	Allahabad	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttar Pradesh	08-May 13	744	10,072	30,669	35,140	[illegible]
187	2.03	Jhansi	Central UP Gas Limited	Uttar Pradesh	20 Feb 14	0	0	0	0	[illegible]
188	6.02	Saharanpur District	Bharat Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh	11 May 15	0	0	2,000	4,501	[illegible]

hhc

128

243

Details of CGD Networks in the Country

S.No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
189	8.05	Bulandshahr (part) District	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttar Pradesh	06-Mar-18	NA	0	0	0	0
190	8.06	Bagpat District	Bagpat Green Energy Private Limited	Uttar Pradesh	28-Mar-18	NA	0	0	0	0
191	9.76	Bulandshahr District (EAAA), Aligarh & Hathras Districts	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttar Pradesh	24-Sep-18	NA	NA	0	0	0
192	9.77	Allahabad District (EAAA), Bhadohi & Kaushambi Districts	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttar Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	0	318
193	9.78	Amethi, Pratapgarh & Raebareli Districts	Bharat Gas Resources Limited	Uttar Pradesh	10-Aug-18	NA	NA	0	0	1,824
194	9.79	Auraiya, Kanpur Dehat & Etawah Districts	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	0	115
195	9.80	Faizabad & Sultanpur Districts	Green Gas Limited	Uttar Pradesh	24-Sep-18	NA	NA	0	0	0
196	9.81	Gorakhpur, Sant Kabir Nagar & Kushinagar Districts	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	0	20
197	9.82	Meerut District (EAAA), Muzaffarnagar & Shamli Districts	Indraprastha Gas Limited	Uttar Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	948	18,368
198	9.83	Moradabad (EAAA) District	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	13-Sep-18	NA	NA	0	0	623
199	9.84	Unnao (EAAA) District	Green Gas Limited	Uttar Pradesh	24-Sep-18	NA	NA	0	0	0
200	97.08	Varanasi District	GAIL (India) Limited	Uttar Pradesh	07-Mar-18	NA	0	15,200	18,482	33,288
201	98.01	Khurja	Adani Gas Limited	Uttar Pradesh	04-Dec-12	5,753	8,797	11,309	8,067	8,371
202	98.03	Moradabad	Torrent Gas Moradabad Limited	Uttar Pradesh	30-Nov-12	1,493	2,468	4,084	6,803	9,242
203	99.03	Bareilly	Central UP Gas Limited	Uttar Pradesh	22-Apr-09	5,746	9,617	17,290	24,314	30,741
204	99.04	Kanpur	Central UP Gas Limited	Uttar Pradesh	22-Apr-09	13,585	21,937	39,316	61,568	78,062
205	99.10	Agra	Green Gas Limited	Uttar Pradesh	12-Nov-09	9,564	20,663	32,442	54,491	76,877
206	99.17	Lucknow	Green Gas Limited	Uttar Pradesh	15-Mar-16	6,635	20,912	34,917	49,494	64,747
207	99.19	Ghaziabad & Hapur Districts	Indraprastha Gas Limited	Uttar Pradesh	06-Sep-19	1,16,528	1,38,380	1,80,529	2,11,749	2,39,891
208	10.36	Azamgarh, Mau and Ballia Districts	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
209	10.37	Bareilly (EAAA) District, Pilibhit and Rampur Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
210	10.38	Basti and Ambedkarnagar Districts	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
211	10.39	Farrukhabad, Etah and Hardoi Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
212	10.40	Gonda and Barabanki Districts	Torrent Gas Private Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
213	10.41	Jaunpur and Ghazipur Districts	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttar Pradesh	24-Apr-19	NA	NA	NA	0	0
214	10.42	Kanpur (EAAA) District, Fatehpur and Hamirpur Districts	Indraprastha Gas Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	12,376
215	10.43	Mainpuri and Kannauj Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
216	10.44	Mirzapur, Chandauli and Sonbhadra Districts	GAIL Gas Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	504
217	10.45	Shahjahanpur and Budaun Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
218	99.13	Firozabad (Taj Trapezium Zone)	GAIL Gas Limited	Uttar Pradesh & Rajasthan	26-Sep-11	200	867	4,228	14,770	17,048

Details of CGD Networks in the Country

S.No	Unique GA ID	Geographical Area/ CGD Networks	Authorized CGD Entity	State/Union Territory	Date of Authorization	Achievement of PNG Domestic Connections *(Cumulative)* As on 31.03.2017	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
219	10.46	Bijnor and Nainital Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	Uttar Pradesh and Uttrakhand	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
220	9.85	Dehradun District	GAIL Gas Limited	Uttrakhand	12-Sep-18	NA	NA	0	1,957	6,190
221	5.01	Udham Singh Nagar District	Indian Oil Adani Gas Private Limited	Uttrakhand	28-Jul-15	0	82	4,661	8,784	10,196
222	5.02	Haridwar District	Haridwar Natural Gas Private Limited	Uttrakhand	27-Jul-15	150	150	3,268	5,536	20,814
223	9.86	Burdwan District	Indian Oil Adani Gas Private Limited	West Bengal	28-Sep-18	NA	NA	0	0	0
224	99.14	Kolkata Municipal Corporation and Parts of Adjoining Districts	Bengal Gas Company Limited	West Bengal	02-Feb-13	0	0	0	0	0
225	10.47	Darjeeling, Jalpaiguri and Uttar Dinajpur Districts	Hindustan Petroleum Corporation Limited	West Bengal	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
226	10.48	Howrah (EAAA) District and Hoogly (EAAA) District	Hindustan Petroleum Corporation Limited	West Bengal	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
227	10.49	Nadia (EAAA) District and North 24 Parganas (EAAA) District	Hindustan Petroleum Corporation Limited	West Bengal	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
228	10.50	South 24 Parganas (EAAA) District	Hindustan Petroleum Corporation Limited	West Bengal	29-Mar-19	NA	NA	0	0	0
Total (A) - CGD Networks authorized by PNGRB						33,47,057	39,91,356	50,22,542	61,23,238	71,27,346

CGD Networks - Operational based on Court Orders/Under Consideration

S.No	Remarks	Geographical Area/ CGD Networks	CGD Networks operated by	State/Union Territory	Remarks	Achievement of PNG Domestic Connections (Cumulative) As on 31.03.2017	As on 30.03.2018	As on 31.03.2019	As on 31.03.2020	As on 28.02.2021
1	Sub-Judice	Vadodara	Adani Gas Limited	Gujarat	Sub-Judice	Info Not available	Info. Not available	Info Not available	616	616
2	Under Consideration	Gandhinagar	Gujarat Gas Limited	Gujarat	Under Consideration	Info Not available	Info Not available	1,13,708	1,20,194	1,26,807
3	Sub-Judice	Gurugram	Haryana City Gas Distribution Limited	Haryana	Sub-Judice	17,884	20,338	21,636	20,327	22,595
4		Gurugram	Indraprastha Gas Limited	Haryana	Sub-Judice	Info Not available	Info Not available	Info Not available	9,561	14,895
5		Faridabad	Adani Gas Limited	Haryana	Sub-Judice	43,603	45,553	51,468	57,291	60,826
6		Gautam Budh Nagar District	Indraprastha Gas Limited	Uttar Pradesh	Sub-Judice	1,13,495	1,44,426	1,85,041	2,28,194	2,52,014
Total (B) - CGD Networks Operational based on Court Orders						1,74,982	2,10,317	3,81,853	4,36,183	4,77,753
Total (A+B)						35,22,039	42,01,673	54,04,395	65,59,421	76,05,098

Note/Remarks:
1. All the GAs where PNG connections/CNG Stations have been established is considered as Operational.
2. Under normal conditions, Operation of any particular GA commences within around one year of authorization.
3. EAAA stands for Excluding/Except Area Already Authorized | * stands for Sub-Judice | # stands for authorization of GA cancelled

अनुलग्नक -
XI

नई घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014

सं. 22013/27/2012-ओएनजी डी.वी. -इस मंत्रालय की दिनांक10.01.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 22011/3/2012-ओएनजी.डी.वी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने एतद्वारा नई घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 को अधिसूचित किया है: -

1. इन दिशा-निर्देशों के तहत कूप शीर्ष गैस मूल्य (पी)' नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाएगा:-

$$P = \frac{V_{HH} P_{HH} + V_{AC} P_{AC} + V_{NBP} P_{NBP} + V_R P_R}{V_{HH} + V_{AC} + V_{NBP} + V_R}$$

जहां

(i) V_{HH}= यूएसए और मैक्सिको में उपभोग की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।

(ii) V_{AC}= कनाडा में उपभोग की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।

(iii) V_{NBP}= रूस को छोड़कर यूरोपीय संघ (ईयू) और विगत सोवियत संघ (एफएसयू) देशों में उपभोग की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।

(iv) V_R= रूस में उपभोग की गई प्राकृतिक गैस की कुल वार्षिक मात्रा।

(v) P_{HH} और PNBP परिवहन और शोधन प्रभारों को घटाकर क्रमश: हेनरी हब (एचएच) और राष्ट्रीय संतुलन बिन्दु (एनबीपी)पर दैनिक मूल्यों का वार्षिक औसत हैं।

(vi) P_{AC} और PR पैरा 2 में दिए अनुसार परिवहन और शोधन प्रभारों को घटाकर क्रमश: अलवर्ट हब और रूस (रूसी सरकार अथवा समतुल्य स्रोत के संघीय प्रशुल्क द्वारा प्रकाशित) पर मासिक मूल्यों का वार्षिक औसत हैं।

('कूप शीर्ष मूल्य संविदा क्षेत्र/पट्टा क्षेत्र में गैस खरीददार से गैस उत्पादक द्वारा प्राप्य योग्य गैस के मूल्य को दर्शाता है। जमीनी ब्लाकों के मामलों में, संविदा क्षेत्र में संविदाकार (उत्पादक) द्वारा प्राप्य योग्य मूल्य कूप शीर्ष मूल्य होगा। अपतट ब्लाकों के मामले में, यदि गैस अपतट संविदा क्षेत्र में प्रसंस्कृत की जाती है और बेची जाती है तो अपतट में प्राप्य योग्य मूल्य कूप शीर्ष मूल्य होगा, यदि प्रसंस्करण के लिए गैस लैंडफॉल बिन्दु पर लाई जाती है और लैंडफॉल बिन्दु पर बेची जाती है तो लैंडफॉल बिन्दु पर स्थापित सुविधाएं संविदा क्षेत्र का हिस्सा मानी जाएंगी और लैडफॉल बिन्दु पर प्राप्य मूल्य कूप शीष मूल्य होगा)।

2. तीन अलग-अलग हब और रूस के लिए कूपशीर्ष मूल्य तीन हब की कीमतों और रूसी मूल्य में से परिवहन और शोधन शुल्क के लिए 0.50 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू घटाकर निर्धारित की जाएगी।

3. इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गैस मूल्य, ओएनजीसी और ओआईएल इंडिया को दिए गए नामांकन ब्लॉकों, नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों, ऐसे एनईएलपी पूर्व ब्लॉकों जहां, उत्पादन हसिसेदारी संविदा (पीएससी)) गैस मूल्यों के लिए सरकार की मंजूरी ली जाती है और पैरा 4 और 5 में यथा निर्दिष्ट के अलावा कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉकों से उत्पादित सभी गैसों पर लागू होगा।

4. इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गैस मूल्य उन पर लागू नहीं होगी, जहां ऐसी अवधि की समाप्ति तक जो संविदागत रूप से तय की गई हैं। यह गैस मूल्य उन पर भी लागू नहीं होगा जहां पीएससी संबंधित प्राकृतिक गैस मूल्य सूचकांक/निर्धारण के लिए एक विशिष्ट सूत्र बना हुआ है और ऐसे एनईएलपी पूर्व पीएससीज पर लागू नहीं होगा जहां गैस मूल्य के लिए सूत्र/आधार हेतु सरकार की मंजूरी नहीं है। इसके अलावा, एनओसीज के नामांकन ब्लॉकों में छोटे/पृथक क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण लगातार दिनांक 8 जुलाई, 2013 को जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

5. ब्लॉक केजीडीएन 98/3 की डी 1, डी 3 से परिकल्पित उत्पादन में कमी के कारण लागत वसूली से संबंधित मामला मध्यस्थता में है। इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य के बीच का अंतर एनसीवी आधार पर परिवर्तित किया जाएगा और वर्तमान मूल्य (4 2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन बीटीयू) गेल द्वारा बनाए गए गैस पूल खाते में जमा किया जाएगा और एकत्र की गई राशि इन ब्लॉकों के ठेकेदारों को देय है या नहीं लंबित मध्यस्थता के निर्णय और कानूनी कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

6. मूल्य निर्धारण/अधिसूचना की आवधिकता छमाही होगी। इन दिशानिर्देशों के तहत मूल्य की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला परिमाण डेटा और मूल्य एक चौथाई अंतर के साथ चार चौथाई डेटा का अनुगामी होगा। इन दिशा-निर्देशों में ऊपर उल्लिखित सूत्र के आधार पर प्रथम मूल्य का निर्धारण हेनरी हब, एनबीपी, अल्बर्टा कनाडा और रूस में दिनांक 01 जुलाई, 2013 तथा 30 जून, 2014 के बीच प्रचलित मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यह मूल्य 01 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2015 तक बना रहेगा। इसके बाद, तिमाही अंतर के साथ 01 जनवरी, 2014 और 31 दिसम्बर, 2014 के बीच प्रचलित उक्त मूल्यों के

आधार पर इसे 01 अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 की अवधि के लिए यह संशोधित किया जाएगा और ऐसे ही आगे किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य की घोषणा उस छमाही से पहले की जाएगी, जिसके लिए यह लागू है।

7. इन दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित कीमत 1 नवम्बर, 2014 से लागू होगी।

8. इन दिशानिर्देशों के तहत मूल्यों के आवधिक संशोधन की सूचना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम आयोजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (डीजी पीपीएसी) के महानिदेशक देंगे।

9. इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद, अत्यंत गहरे समुद्री क्षेत्रों, गहरे समुद्री क्षेत्रों और उच्च दाब उच्च तापमान (कूपशीर्ष बंद होने का दाब > 690 बार, बॉटम होल टेम्परेचर> 150 डिग्री सेंटीग्रेड) क्षेत्रों में की गई सभी खोजों के लिए, पैरा 1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार गैस मूल्य निर्धारण पर एक प्रीमियम दिया जाएगा। इस पैरा के तहत प्रीमियम निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय किया जाएगा।

10. इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य जीवीसी के आधार पर होगा।

11. इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य, अमरीकी डालर एमएमबीटीयू में होगा।

12. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में, ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली गैस के लिए 40% राजसहायता मिलती रहेगी। हालाँकि, निजी

ऑपरेटरों द्वारा भी एनईआर में गैस का उत्पादन शुरू करने की संभावना है, और वे उसी बाजार में काम कर रहे हैं, यह राजसहायता अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भी उपलब्ध होगी।

13. इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्य समान रूप से सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगा ।

******